कोविड 19 महामारी के परे प्रवासियों के साथ हमसफर

जोसेफ जेवियर

Caritas® INDIA
The Joy of Service...

INDIAN SOCIAL INSTITUTE

60 ANNIVERSARY igsss
Indo-Global Social Service Society
Celebrating the Spirit of Humanity

कोविड 19 महामारी के परे प्रवासियों के साथ हमसफर

© भारतीय सामाजिक संस्थान, बेंगलुरु
कारितास इंडिया, नई दिल्ली
इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी, नई दिल्ली

प्रथम प्रकाशन 2020

आई.एस.बी.एन : 978-81-952078-6-2

भारतीय सामाजिक संस्थान
24 बेंसन रोड, बेंसन टाउन, बेंगलुरु – 560046
ईमेल: ajoexavier@gmail.com
वेब: www.isibangalore.com

कारितास इंडिया,
सी.बी.सी.आई सेंटर,
1 अशोक प्लेस, नई दिल्ली – 110001
वेब: www.caritasindia.org

इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी,
28, इंस्टीटूशनल एरिया, लोदी रोड,
नई दिल्ली – 110003
वेब: www.igsss.org

कवर एवं डिजाइन: पैट्रिक हांसदा, कारितास इंडिया

मुद्रितः ज्योति प्रिंटर्स
सी 12, सेक्टर 8, नोएडा – 201301
फोनः 9289199317

इस प्रकाशन को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, प्रकाशकों को उचित अभिस्वीकृति देते हुए पुनः प्रकाशित या प्रसारित किया जा सकता है।

विषय सूची

आभार	II
प्रस्तावना	IV
संक्षेपण	VI
तालिकाओं की सूची	VII
मानचित्र की सूची	VIII
अध्याय 1. परिचय एवं विधि	01
अध्याय 2. मजदूर और कोविड 19 महामारी के संदर्भ में व्यथित प्रवासी	10
अध्याय 3. सामना करने की रणनीति, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे एवं प्रवासियों के अधिकार	21
अध्याय 4. अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष एवं आगे के कार्य	54
संदर्भ ग्रंथ सूची	69

आभार

मई माह के अन्त में यह इत्तफाक से परे था। प्रवासियों के आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावित कारितास इंडिया, नई दिल्ली के निदेशक फा. पॉल मूंजेली, श्री जोन पीटर नेलसन इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (आईजीएसएसएस) के निदेशक ने मुझसे निवेदन किया कि मैं प्रवासियों के भविष्य के बारे में अध्ययन कर लूँ। उन्होंने यह महसूस किया कि ये अध्ययन उन्हें प्रवासियों के साथ कार्य करने और उनका साथ देने में वर्तमान में उत्तरी एवं उत्तर–पूर्वी प्रदेशों में जहाँ वे वर्तमान में कार्यरत हैं, उनकी मदद करेगा। भारतीय सामाजिक संस्थान, बैंगलूरू के निदेशक के रूप में मैं विचार कर रहा था कि जहाँ प्रवासी मजदूरों के लिए एक ईकाई हैं, कैसे बेहतर तरीके से यह संस्थान कोविड–19 महामारी के बाद प्रवासी मजदूरों की सेवा कर सकता है। आईएसआई–बी की पहुँच अधिकतर दक्षिण भारत में है। परन्तु प्रवासी आपातकाल के समाधान के लिए सम्पूर्ण भारत के पहुँच की आवश्यकता है। इस मतलब के लिए मैं CI and IGSSS से बेहतर संस्था नहीं पा सकता। सभी औपचारिक प्रक्रियाओं को भूलकर हमने इस पर कार्य करने में अपनी सहमति दे दी जो प्रत्येक संस्थाओं की अनूठी भेंट है। अल्पकाल में इस अध्ययन को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक संस्थान में उपलब्ध मानव संसाधनों को सुव्यवस्थित तरीके से समन्वय किया गया। इन दोनों संस्थानों ने मुझे अपने जमीनी स्तर के अनुभवों के आधार पर महत्वपूर्ण सुझाव दिया और हम सामूहिक तौर पर इस अध्ययन से उभर कर आये परिणामों को एडवोकेसी के लिए एवं इसके तार्किक निष्कर्षों को प्रचार–प्रसार एवं अपने कार्य की रणनीतियों को पुनर्निधारण कर आगे तक ले जाने के लिए सहमत हो गये। मैं सबसे अधिक तीनों संस्थानों ने जो नये तरीके के आपसी सहयोग की संस्कृति का प्रदर्शन और धनी संयुक्त लाभ को संजाये रखता हूँ। यह रपट भी इसका प्रमाण है। मैं व्यक्तिगत तौर पर फा. पॉल और श्री नेलसन का आभारी हूँ।

तीनों संस्थानों को मिलाकर एक अध्ययन दल का निर्माण किया गया जिसमें 8 स्टॉफ थे और जिन्होंने सम्पूर्ण अध्ययन के पूर्ण होने तक दिलोजान से मदद की। इन्होंने ऑकड़ा एकत्र करने, केस का विवरण लेने, छायांकन करने एवं साक्षात्कार लेने में जमीनी स्तर के स्टॉफ के साथ आपस में संयोजन एवं समन्वय किया। मैं उनका एक–एक जन का साधुवाद हूँ। मैं श्री जुलियुस पास्काल ओस्ता का विशेष रुप से नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे KOBO से परिचय कराया जो ऑकड़े एकत्र करने का एक मोबाइल ऐप का मंच है। ये मोबाइल ऐप अति मददगार हुआ जब हम वर्तमान के महामारी का सामना कर रहे थे और हमें सामाजिक दूरियॉ रखना आवश्यक था।

अध्ययन के तहत करीब 12 विभिन्न अनुभवी विषेशज्ञों से साक्षात्कार किया गया। जिस किसी को मैंने फोन एवं ईमेल से सम्पर्क किया उन्होंने अपने व्यस्त कार्यों एवं वचनबद्धताओं के बावजूद उदारता पूर्वक एवं त्वरित रूप से फोन पर अपने ज्ञान एवं अनुभवों का आदान प्रदान किया। उनके द्वारा दिये गये मार्गदर्शन ने मुझे अध्ययन के सैद्धान्तिक खाका तैयार करने में मदद की। मैं उनका ऋणी हूँ। रिपोर्ट का ड्राफ्ट शासकीय अधिकारियों, शिक्षाविदों, नेटवर्क प्रमुखों, राष्ट्रीय स्तर के स्वयं सेवी संस्थाओं और क्रियान्वयन करने वाले सहयोगियों के एक जाने माने पैनल को प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक जनों ने रिपोर्ट के विश्लेषण एवं सुझावों की पुष्टि की और व्यवहारिक साकारात्मक सुझाव दिया। कृतज्ञता स्वरूप मैं दस्तावेज के अन्त में अध्ययन दल का नाम, विषय विशेषज्ञों और पैनल का नाम लिख रहा हूँ।

तीनों संस्थानों के स्टॉफ के सहयोग के बगैर 8 दिनों में 11 प्रदेशों के 47 जिलों से आंकड़ा एकत्र करना संभव नहीं था। मैं तीनों संस्थानों से 78 स्टॉफ पाकर सौभाग्यशाली था जिन्हें मैंने साक्षात्कार तालिका के संचालन में बड़ी संवेदनशीलता और प्रेम से प्रशिक्षित किया। प्रत्येक जन समय पर सामने आये और अद्‌भुत कार्य किया। मैं उन सबों का आभारी हूँ।

श्री पीटर सेईडल, एशिया डेस्क, कारितास जर्मनी, डा. सिलविया करपागम पेशावर लोक स्वास्थ्य कर्मी एवं पॉल न्यूमन की प्रोफेसर जो बैंगलूरू के संत जोसेफ महाविद्यालय में पढ़ाती हैं इन्होंने मुझे अध्ययन के खाली स्थानों को भरने में महत्वपूर्ण सलाह दी। मिस. हर्षिता ISI-B में अपने संत क्लेर महाविद्यालय, बैंगलूरू में एम.एस.डब्लु. के तहत इंटर्न हैं । मैं उनके अनवरत सहयोग के लिए विषेशकर द्वितीय स्रोत और और प्रति के सम्पादन के लिए धन्यवादी हूँ।

मैंने प्रोफेसर बाबू मैथ्यू से प्रस्तावना लिखने के लिए सम्पर्क किया जो अपने शिक्षाविद पृष्ठभूमि के साथ जमीनी स्तर पर विस्तृत अनुभवों के साथ श्रम से संबंधित विषेशज्ञ हैं तथा एक्शन एड इंडिया के भूतपूर्व प्रमुख हैं। मैं उनके अन्तर्दृष्टिपूर्ण प्रस्तावना के लिए शुक्रगुजार हूँ।

श्री पात्रिक हंसदा जो कारितास इंडिया में कार्यरत है। वे रिपोर्ट के डिजाइनिंग के लिए जिम्मेदार थे। रिपोर्ट का शीर्षक " प्रवासियों के साथ हमसफर" 'Walking with the migrants' हम सबों को प्रवासियों की हाईवे में, अपने मूल निवास की यात्रा या निर्गमन की याद दिलाता है। यह हम सबों को जानबूझ कर उन प्रवासियों के साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता है। मैं बड़ी उत्सुकता से अम्मीद करता हूँ कि ये अध्ययन शासन, नीति निर्धारकों, लोक बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वं–सेवी संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों और सभी सहयोगियों को कोरोना महामारी के समय में प्रवासियों के साथ चलने में नये जोश, संवेदना और प्रेम से प्रवासियों के साथ चलने में पुनर्जीवन देगा।

डॉ जोसेफ जेवियर एसजे
भारतीय सामाजिक संस्थान
बेंगलुरु

प्रस्तावना

नेलसन मंडेला के जन्म दिन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने एक सीधा एवं तीक्ष्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि कोविड–19 महामारी "एक एक्सरे की तरह है जो हमारे समाज के नाजुक अस्थि–पंजर के टूटे हुए हड्डियों को दिखाता है जिसका निर्माण हमने किया है।"

आई एस आई–बी कारितास इंडिया एवं आई जी एस एस एस के द्वारा किया गया वर्तमान अध्ययन भारत की वास्तविकता के संदर्भ में इस एक्सरे के प्रयोग का बहुत ही सामयिक कार्य है। यह अध्ययन 11 राज्यों से प्राप्त ऑकड़ों पर आधारित है। इन प्रदेशों का चुनाव ही बहुत ही महत्वपूर्ण है जब कि संकट की शुरूआत हुई जहॉ प्रवास का प्रारंभ गन्तव्य प्रदेशों से मूल प्रदेश जाने का हुआ। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जो अपने मूल प्रदेशों को लौटे उनकी दुर्दशा को अच्छी तरह समझा जाये। यह मात्र अनुभवाश्रित नहीं है परन्तु उचित दस्तावेजों के मूल्यांकन और विविध पृष्ठभूमियों से अनुभवी एवं विशेषज्ञों से मशविरा पर भी आधारित है। अध्ययन के माध्यम से यह वापस होने वाले प्रवासियों के दर्द को प्रकाशित करता है और इस मानवीय संकट में योगदान देने वाले मूल कारकों को उभारता है।

वास्ताव में भारतीय समाज के सबसे अधिक अदृश्य भाग ये विशाल समूह जो प्रवासी मजदूर हैं, हमें इनकी संख्या, देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान, अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के महत्व और सबसे न्यून उनके अमानवीय स्थिति में उनके अस्तित्व के बारे में बहुत कम ज्ञान था। इस महामारी ने अचानक उनके अदृश्य परिस्थिति को विपरीत परिस्थिति में ला कर रख दिया। बहुत दिनों तक मीडिया और विशेषकर प्रिंट मीडिया ऐतिहासिक रूप से शहरों से अपने मूल निवास गांवों के अप्रत्याशित निर्गमन को प्रकाशित करने के लिए मजबूर हो गया।

क्या ये रूचिकर नहीं कि केन्द्र एवं प्रदेशों की सरकार जो इनकी दुर्दशा के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं था जो कई शहरों में और कई लाखों की संख्या में सड़कों एवं हाईवे में फंसे थे? दो माह से अधिक दिनों तक भारत एवं सम्पूर्ण विश्व ने समाज से वंचित एवं पीड़ित लोगों की अपने गॉव घरों को वापस होने की अमानुषिक यात्रा की गवाही दी। बहुत से लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग साइकिलों में कुछ लोग कुछ दूरी के झटके खा रहे थे इतना तक कि कुछ लोग सिमेंट मिक्सर के पेट में घुस कर यात्रा कर रहे थे और सब के सब बिना खाना एवं पानी के सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गॉव घरों को वापस जाने के लिए संकल्पित थे।

इस मानवीय संकट की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? प्रवासी के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। वे मेंढकों जैसे दौड़ाये गये या उन्हें लाठियों की मार खानी पड़ी और उन्हें भगा दिया गया या तो उन्हें क्वारांटाइन के नाम पर रास्ते के किनारे बदहाली में रखा गया। सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए सामाजिक दूरी को हवा में उड़ा दिया गया था। आज के सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें अपने गॉव घरों को भेजने के लिए परिवहनों की व्यवस्थ करने में लम्बा समय लगा।

क्यों इस बेदर्द, असंवेदनशीलता को व्यक्त होने में इतना लम्बा समय लगा? इसका उत्तर इन नीति निर्धारक गुरूओं और निर्णय करने वाले व्यक्तियों पर है जो अपनी ऑखों में रंगीन चश्मा पहने हुए थे। ये रंगीन चश्में आयात किये हुए थे। वे इस सिद्धान्त के प्रवर्तक थे जो कह रहे थे कि भारत के मजदूरों को "लचीला" बनाया जाना चाहिए। बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ यह हुआ कि सभी प्रकार की श्रम सुरक्षा चाहे यह सेवा का समय, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या आवास सब को न्यूनतम हालात में बाजारों को छोड़ा जाना चाहिए और हमें तीन दशकों तक प्रयोग किये गये लचीलेपन से क्या पाया?

जब प्रधान मंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की तो कामगार बिना काम के, बिना मजदूरी के, बिना आवास के, बिना भोजन के और बिना स्वास्थ्य सहयोग के वास्ताव में उनके पास कुछ नहीं रह गया था। इसलिए भारत ने इतिहास का दूसरा सबसे बड़े प्रवास की साक्षी दी। पहला अंग्रेजों के समय में हुआ था जब उन्होंने उपनिवेश राज्य में अकिंचनता को थोपा और औद्योगीकरण को समाप्त किया। दूसरा "व्यवसाय करने में ढीलापन" का खोखला प्रचार कर ज्ञान का झूठापन था जिसमें ये कहा गया कि सभी श्रम संबंधी कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सरकार ने इस झूठे विश्वास को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया कि ये दोनों प्रदेश श्रम संबंधी कानूनों को लागू करने से स्वतंत्र होंगे। इसके पीछे कारण बताया गया कि यदि ऐसा किया गया तो नये औद्योगिक निवेश प्रवेश करने लगेंगे। न्यायालयों ने कुछ समय के लिए इस प्रयोग पर रोक लगाते हुए प्रतीत हुए।

स्वाभाविक तौर पर लौटे प्रवासियों की दुर्दशा के समाधान के लिए अपने गॉवों के स्तर में उपलब्ध विकल्पों की तलाश है। रिपोर्ट प्रवासियों की तत्काल में इन जरूरतों को समझने का प्रयास करता है। मजे की बात ये है कि उन विकल्पों को नागर समाजों ने जोर दिया था जो प्रवासियों के लिए उम्मीद बनते हैं। ये प्रयास दो लोक मैत्री कार्यक्रम को शामिल करते हैं जो निश्चित तौर पर मगरेगा कानून 2005 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को शामिल करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सभी प्रवासी परिवार नागरिक आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली का लाभ नहीं ले पाते और कुछ ही प्रवासी ग्रामीण रोजगार गारांटी के अवसरों का फायदा ले पाते हैं। इन कमियों की पूर्ति पशु पालन और कौशल विकास से किया जाना चाहिए जो उनके लिए ठोस आजीविका का साधन बन पायेंगे।

अध्ययन विकास के आदर्शों से संबंधित विवेचनात्मक और महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। ये जानना आवश्यक है कि वाइरस से सबसे अधिक प्रभावित लोग मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई और अभी बैंगलूरू में हैं। इन्हीं स्थानों में देश के अधिकांश उद्योग लगे हैं। दोनों विदेशों एवं भारत के बड़े निवेश चाहते हैं कि उन्हें बड़े शहरों में स्थापित किया जाये। वे हरे खेतों को संरक्षण नहीं देना चाहते हैं। वे अपने को शहरी क्षेत्रों में बसाना चाहते हैं। इन्हीं शहरो में हम बड़ी आबादी की झुग्गी–झोपड़ियों को पाते हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं। अपने गॉवों से शहरों की ओर पलायन फिर प्रारंभ हो चुका है। कुछ मालिक और काम देने वाले उनके लिए रेलवे रिजरवेशन दे रहे हैं और ठेकेदारों को दुबारा नये चुनाव के लिए काम पर लगा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर असफलता इस तथ्य को फिर से बढ़ाता है और आजीविका की तलाश में पलायन या प्रवास को बढ़ावा देता है। आकर्षण और दबाव के ये दोनो कारक अनुभवों से बिना पाठ सीखे और बिना खोजी विकल्पों के फिर वापस आ गये हैं और इस कहानी का दुहरावा होगा।

वर्तमान अध्ययन जो अभी आपके हाथ में है एक मूल्यवान और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये जमीनी स्तर से बहुआयामी मुद्दों को चिन्हित करता और उठाता है, महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देता है और केन्द्र एवं राज्य सरकारों, मजदूर संगठनों और नागर समाज संगठनों के लिए वृहद् स्तर का सुझाव पेश करता है।

बाबू मैथ्यू
निदेशक, श्रम अध्ययन केंद्र और अध्यक्ष
सार्वजनिक नीति में परास्नातक कार्यक्रम,
नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलुरु

Abbreviations

AAY	*Antyodaya Anna Yojana*
AIUFWP	All India Union of Forest Working People
APL	Above Poverty Line
BPL	Below Poverty Line
CBOs	Community Based Organisations
CSOs	Civil Society Organisations
CSR	Corporate Social Responsibility
ESI	Employment State Insurance
GC	Global Compact
GDP	Gross Domestic Product
GEN	General
ILO	International Labour Organisation
ISMW	Inter-State Migrant Workmen Act
MGNREGA	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MSMEs	Micro, Small and Medium Enterprises
MSP	Minimum Support Price
NCEUS	National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector
NITI Aayog	National Institution for Transforming India
NTUI	New Trade Union Initiative
OBC	Other Backward Classes
PDS	Public Distribution System
PF	Provident Fund
PPP	Public Private Partnership
PRI	Panchayati Raj Institution
PSU	Public Sector Undertakings
RTI	Right to Information
SC	Scheduled Castes (Dalits)
SC	Supreme Court
SDGs	Sustainable Development Goals
SEWA	Self-Employed Women's Association
SRLM	State Rural Livelihood Mission
ST	Schedule Tribes (Adivasis / Indigenous Peoples)
SWAN	Stranded Workers Action Network
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
VRF	Vulnerability Reduction Fund

तालिका की सूची

तालिका क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
3.1	प्रदेश एवं उत्तरदाता	27
3.2	चेतना, पंजीयन एवं हस्तांतरण राशि प्राप्त	33
3.3	प्रदेश वार प्राथमिकता एवं तात्कालिक मामले	38
3.4	त्वरित जरूरत में काम करने के प्रदेश वार प्रस्ताव	40
3.5	पशु पालन के लिए प्रदेश वार प्राथमिकता	44
3.6	किस प्रकार का प्रशिक्षण रोजगार का अवसर प्रदान करेगा	46
3.7	आय का स्तर बढ़ाने के लिए प्रदेश वार प्राथमिकता	47
3.8	प्रवासी मजदूरों के अधिकार की मजबूती के लिए प्रदेश वार प्राथमिकता	50
3.9	व्यवस्थागत या नीतिगत परिवर्तन के लिए प्रदेश वार प्राथमिकता की आवश्यकता	51
4.1	अध्ययन के प्रमुख ईकाईयों का चित्रांकण	65
4.2	मूल प्रदेशों में लघु कालीन रणनीतिया एवं कार्य योजना	66
4.3	मूल प्रदेशों में मध्यम कालीन रणनीतिया एवं कार्य योजना	67
4.4	मेजबान एवं गंतव्य प्रदेशों के लिए रणनीतिया एवं कार्य योजना	67

मानचित्र की सूची

मानचित्र क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	अध्ययन में शामिल प्रदेश	07
3.1	उत्तरदाताओं की उम्र	22
3.2	शैक्षिक स्थिति	23
3.3	प्रदेश जहॉ उत्तरदाताओं ने पिछले एक साल काम किया	24
3.4	काम की पकृति	25
3.5	वेतन मान का प्रारूप	26
3.6	गंतव्य प्रदेश में कार्य करने का वर्ष	27
3.7	ऑकड़ा एकत्रीकरण के समय उत्तरदाता का स्थान	28
3.8	घर पहुॅचने का साधन	29
3.9	यात्रा के लिए आर्थिक संसाधन	31
3.10	पंजीयन नहीं करने का कारण	33
3.11	विभिन्न सरकारी एवं लोकहितैषी एजेन्ट	34
3.12	विभिन्न अधिकार एवं पहचान पत्रों का स्वामित्व	35
3.13	कार्य के स्थान के संबंध में अधिकार पत्रों का होना	36
3.14	परिवार की तात्कालिक आवश्यकता	37
3.15	प्रवासियों एवं अन्य सहयोगियों के द्वारा तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रदेश को सुझाव	39
3.16	कोविड 19 के चुनौतियों को कम करने के लिए अनिवार्य पहल	41
3.17	प्रवासियो एवं सहयोगियों द्वारा कार्य के स्थल पर सुरक्षात्मक मामले	42
3.18	भूमि स्वामित्व	43
3.19	पशु पालन में रूचि, कौशल एवं प्रशिक्षण	44
3.20	कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता	45
3.21	प्रवासियों एवं सहयोगियों द्वारा आय वृद्धि के लिए सुझाव	46
3.22	प्रवासियों एवं सहयोगियों द्वारा अवरोधों को दूर करने के सुझाव	48
3.23	प्रवासियों एवं सहयोगियों के द्वारा प्रवासियों के अधिकारो की मजबूती के लिए सुझााव	49
3.24	व्यवस्थागत एवं नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकताः प्रवासी एवं सहयोगी	50
3.25	भविष्य की योजनाः प्रवासी	52
3.26	सहयोगियों की नजर में प्रवासियों के लिए भविष्य की योजना	52
3.27	पंजीयन प्रक्रिया	63

अध्याय 1

परिचय एवं विधि

संदर्भ

प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा चिलचिलाती धूप और भूख में अपने कंधों पर अपने बच्चों एवं न्यूनतम सम्पति लिये अपने गॉव घरों की ओर हजारों किलोमीटर की यात्रा हमें कई सालों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इनकी करूणता, असुरक्षित समुदायों की अचिन्हित तथा उपेक्षित पहचान मानवता के अन्तःकरण को हिला के रख दिया। सम्पूर्ण लॉकडाउन समय में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन इनकी व्यथा की गाथा नहीं सुनी गई हो। भारत में कोविड–19 में इन प्रवासी मजदूरों की स्थिति भूख, पीड़ा और खूनी मृत्यु से भरी हुई थी।

एक ओर बेकारी, बेरोजगारी, ऋणीपन, सूखा, न्यूनतम मजदूरी का न मिलना, भेद–भाव और बहिष्कारक प्रथाओं की मूल प्रदेशों में शक्तिहीन करने के व्यवहार और दूसरी ओर मर्यादापूर्ण जीवन जीने की चाह ने इन गरीब और असुरक्षित लोगों को अपने मूल भूमि, वंश एवं संतानों को छोड़कर

असंगठित एवं अनियमित मजदूर की बैलगाड़ी से जुड़ने को मजबूर कर दिया। इनमें से अधिकांश मौसमी और बार बार वही काम करने वाले प्रवासी मजदूर थे जिनका अपने कार्यस्थल पर कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। जब अधिकांश पुरूष मजदूर दूरस्थ स्थानों पर यात्रा कर भाषायी एवं सांस्कृतिक बंधनों को तोड़कर जाने का दुस्साहस

किये महिलाएं ज्यादातर अपने ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में ही घूमती रहीं। विभिन्न अध्ययनों का आंकलन है कि प्रादेशीय और अन्तर्प्रादेशीय प्रवासी मजदूरों की संख्या 200 से 300 लाख हो सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 177. 5 लाख है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में करीब 400 लाख लोग जो असंगठित अर्थव्यवस्था की स्थिति में कार्यरत हैं कोरोना वाइरस के संकट में गरीबी के गर्त में जाने की कगार पर हैं। (द इकोनॉमिक टाइम्स 8 अप्रैल, 2020) लेकिन कटु सच्चाई ये है कि विशाल जनसमूह के विपरीत प्रवास अविश्वसनीय, कठोर दिल और अचिंतित कार्य करने वाले मालिकों और सरकार की सांठगांठ का परिणाम था। इनमें से कई लोग अपने सगे–संबंधियों से मिलने जाने की इच्छा रखते थे, उनके इंतजार का समय बहुत लम्बा था और अधिकांश भटके हुए निःसहाय थे क्योंकि उनके लिए परिवहन का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। अपने गॉव घरों की ओर वापसी में कुछ प्रवासी अपने पास जो कुछ भी था उससे भी वंचित हो गये। निःशुल्क यात्रा सामान्य यात्रा से महंगा था। प्रत्येक प्रवासी मजदूर को अधिकारियों के द्वारा उत्पन्न किये गये मार्गावरोधक कार्य, सामंजस्य की कमी और सम्पर्क में खाई से बनी अपनी व्यथा, दर्द के अनुभवों से बाहर निकलने के लिए परामर्श सहयोग की आवश्यकता हुई। फिर भी कुछ लोकोपकारी संगठनों, संस्थाओं, नागर समाज संगठनों और हितैषी व्यक्तियों ने अपने निःसहाय महसूस करने के बावजूद इन प्रवासी मजदूरों की मदद करने में हाथ बंटाया। यहॉ यह जानना जरूरी है कि कोविड–19 के बवंडर ने प्रवास संबंधी आकर्षण एवं दबाव कारक की शैक्षिक अवधारणा को बदल दिया है। तथाकथित आकर्षण कारक अब दबाव कारक बन गये हैं। मूल स्थान और गंतव्य स्थान, भविष्य की अनिश्चितता के बीच ठोकर खाये ये प्रवासी मजदूरों ने निर्णय किया कि वे किसी भी हालत में जो भी साधन उपलब्ध हो, अपने मूल गॉव स्थानों को जायेंगे चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की प्रताड़ना सहना पड़े या अपने मालिकों को कमिशन भी क्यों न देना पड़े। ये प्रवासी मजदूर अपने को छोड़कर सभी में अपनी आशा खो चुके थे वे कठिन यात्रा पैदल कूच करने को तैयार थे भले ही उन्हें मार्ग में मृत्यु का भी सामना करना क्यों न पड़े लेकिन उनकी निगाहें अपने मूल निवास गॉव पर थीं।

जबकि दोषारोपन की राजनीति थोड़े दिनों या महीनों तक चलते रहेंगे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा भुला दी जायेगी। किसी को निश्चित पता नहीं कि भारतीय संविधान की दृष्टिसीमा पर आधारित अन्त्योदय की अवधारणाओं पर विश्वास करने वाले जागरूक नागरिकों और नागर समाज संगठनों की सरकार चलाने वालों तथा देश निर्माण करने वालों से मांगें कभी सुनी जायेंगी या पूरी होंगी या नहीं। हमारी सरकार और देश के नेतागण आत्मनिर्भर भारत के अजेंडा को किसी भी कीमत पर अंगीकार करने के लिए संकल्पित हैं। देश की टूटती अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए तकनीकी आधारित प्रशासन को लाते हुए कई रणनीतियॉ विकसित की जा रही हैं जो सूक्ष्म, छोटे और माध्यम उद्यमों और आधारभूत संरचनाओं पर केन्द्रित हैं। विकास की ये रणनीतियॉ इन लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए क्या मायने रखती हैं जो अपने

गॉव घर वापस आ गये हैं और अपनी जीविका की रणनीति की तलाश में हैं? इनके गॉवों के प्रदेश क्या इन्हें उनके भोजन, बच्चों की शिक्षा, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा और न्यूनतम आय सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में रखने की स्थिति में हैं ताकि ये इज्जत से अपने जीवन का निर्वाह कर सकें?जब ये प्रवासी मजदूर अपने मूलगॉव पहुँचते हैं तो हार्दिक रूप से किसकी तलाश करते हैं? किस प्रकार ये अपने भविष्य के सपने को बताते हैं और किन चीजों को ये अपने पास संजोयें हुए हैं? अपने प्रदेश की सरकार से ये क्या किये जाने की उम्मीद करते हैं? प्रदेश के नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदाय आधारित संगठनों से ये किस तरह की भूमिका निभाने की उम्मीद करते हैं? इन्हीं ज्वलंत प्रश्नों ने भारतीय सामाजिक संस्थान, बेंगलुरु (आई एस आई–बी), कारितास इंडिया (सी आई) और इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (आई जी एस एस एस) तीनों संस्थानों को वैज्ञानिक त्वरित आंकलन अध्ययन के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर की खोज करने के लिए एक साथ लाया ।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रवास या पलायन एक विशाल और जटिल हुई वास्तविकता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय, आर्थिक, विकास और आय की विभिन्नता में प्रदेशिक पलायन के बावजूद अन्तर्प्रदेशीय पलायन या प्रवास को रोकना करीब असंभव है। फिर भी जो संभव है वो यही है कि उनकी, सुनियोजित और अपने अच्छे भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से मर्यादित प्रवास जिसे मजदूरों की एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की स्वतंत्रता को विश्व मान्यता देता है, और जो गैर–भेदभावपूर्ण तथा समेकित हो, इसे सुनिश्चित किया जाना संभव है। प्रवासी मजदूर देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं अतः प्रवासी मजदूरों के अधिकारों और उनके कल्याण सुनिश्चित करना अवश्यंभावी है जो दृश्यहीन हो जाते हैं या भुला दिये जाते हैं। इसके लिए मूल तथा गन्तव्य प्रदेश के विधान के निर्माता, नीति निर्धारक न्यायपालिका, मालिक या कार्य पर लगाने वाले मालिकों, मजदूर

संगठनों एवं संगठनों, मीडिया और नागर समाज संगठन प्रवासियों के संकट एवं असुरक्षा को दूर करने के लिए एक साथ मिल कर कार्य करें और इसके लिए उपाय ढूँढ़ें।

प्रवास के संकट ने अनगिनत चर्चा, रिपोर्ट, अध्ययन को पैदा किया है जो आज सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है। कोई भी एक अध्ययन इस जटिल संकट की विशालता और अनके मूल कारणों के साथ आगे के कार्य को विस्तारपूर्वक प्रदर्शित नहीं कर सकता है। यह अध्ययन न सिर्फ उनकी व्यथा की कहानियों को उनके भविष्य की ओर देखते हुए जानबूझ कर उल्लेखित करता है परन्तु उन प्रवासी मजदूरों, जो कोविड–19 के संदर्भ में अपने मूल गॉवों में वापस हुए हैं उनकी आवाजों और उनकी चिंताओं, आवश्यकताओं को व्यक्त करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन उत्तर और उत्तरीपूर्वी उन 11 प्रदेशों पर केन्द्रित है जो प्रवास के स्रोत समझे जाते हैं जौभी कि कुछ प्रदेश प्रवासियों के गंतव्य भी हैं। अध्ययन, विपरीत प्रवास करने वाले प्रवासी मजदूरों की व्यथाओं के अनुभवों पर केन्द्रित करता है और उनके मूल कारणों को उभारता है जिसके कारण अप्रत्याशित मानवीय संकट पैदा हुआ, जो प्रकाशित हुए। आगे यह मूल प्रदेश में प्रवासी मजदूरों एवं उनके परिवारों की वर्तमान की जरूरतों, सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की खाई, उनके अधिकारों की उपलब्धता और आजीविका के अवसरों विशेषकर कृषि, पशुपालन तथा रोजगारमूलक आय वृद्धि कौशल विकास का भी आंकलन करता है। प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह अध्ययन प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को दूर करने के लिए प्रदेश, उचित और रणनीतिक प्रत्युत्तर का विकास करते हुए क्या पहल कर सकता है उसे भी उल्लेखित करता है। यह मजदूरों के अनौपचारीकरण एवं उनके द्वारा सामना किये गये चुनौतियों के विस्तृत संदर्भ में उनके अधिकारों को भी प्रस्तावित करता है जिन्हें उनके दोनों मूल एवं गंतव्य प्रदेशों में सशक्त करने की आवश्यकता है।

गंतव्य प्रदेशों में प्रवासी मजदूरों के कार्य के विषय में अध्ययन कार्य की स्थिति, कार्य के स्वरूप, वेतन पद्धति और कार्य काल तक सीमित करता है। फिर भी कार्य संबंधित केस व्याख्यानों से प्राप्त अन्तर्दृष्टि के आधार पर गंतव्य प्रदेशों में संभावित विकल्पों के कार्यन्यवयन भी प्रस्तावित किये गये है। आंकड़ों के विश्लेषण, केस व्याख्यानों, विषेशज्ञों से साक्षत्कार तथा द्वितीय स्रोत से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार, मजदूर संगठनों और नागर समाज संगठनों के लिए मजदूरों के अधिकार विशेषकर प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सामान्य रोडमैप प्रस्ताव किया गया है। प्रवासी मजदूरों की आजीविका संबंधी अत्यावश्यकता पर विचार करते हुए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन रणनीति और कार्य योजना प्रस्तावित किया गया है जिन पर मूल एवं गंतव्य प्रदेशों की सरकार और विभिन्न सहयोगी विचार कर सकते हैं। प्रादेशिक एवं अन्तर्प्रादेशिक पलायन या प्रवास की स्थिति पर अध्ययन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है विशेषकर उनके कार्य की स्थिति, मजदूरी, भेदभावपूर्ण व्यवहार, अधिकारों और लोक स्वास्थ्य की प्राप्ति महत्वपूर्ण हैं। यह अध्ययन योग्य क्षेत्र है।

साहित्य समीक्षा

प्रवास या पलायन एक विस्तृत और वैश्विक तथ्य है। इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए अन्तप्रादेशीय प्रवासियों को "व्यथित मजदूर प्रवासी" के रूप में परिभाषित किया गया है जो रोजगार की तलाश में अपनी जीविका बेहतर करने के लिए एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश प्रवास या पलायन करते हैं। ये परिदृश्य बहिर्प्रवास के रूप में भी जाना जाता है जो कई दशकों से मजदूर सुरक्षा, प्रताड़ना एवं भेदभाव के लिए बिना किसी उचित पद्धति एवं नीति के सामान्य मान लिया गया है।

"प्रवास या पलायन एक प्रकार का मानवीय गतिशीलता है जिसमें अलग–अलग दूरियों पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय दोनों अस्थायी और स्थायी गति शामिल है।" (जेलिंस्की, 1971)। मजदूर प्रवास या पलायन आर्थिक रूप से अविकासित प्रदेशों से लेकर तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित प्रदेशों में भी होता है। (दास एवं साहा, 2013)

प्रवास के प्रकार

प्रवास के कई वर्ग हैं। चेन प्रवासः यह उस तरह की प्रक्रिया है जहॉ एक अगुवाई करने वाला समूह नेतृत्व करके कहीं ले जाता है और उसी क्षेत्र से ग्रामीण समुदाय उसका अनुपालन करता है। बलात प्रवासः यह प्रवास स्वेच्छा से नहीं है जिसमें शरणार्थी, अन्तरिक रूप से विस्थापित एवं शरण ढूँढ़ने वाले लोग शामिल हैं। वृतीय प्रवासः अस्थायी और साधारणतः प्रवासी मजदूर द्वारा अपने गृह स्थान और गंतव्य स्थान के बीच रोजगार के उद्देश्य से आने–जाने का दुहरावा होता है। वापसी या विपरीत प्रवासः स्वेच्छा से आप्रवासियों को अपने मूल निवास स्थान में वापसी। मौसमी प्रवासः यह कुछ एक समय के लिए श्रम या मौसम के प्रत्युत्तर में प्रवास होने की प्रक्रिया है।

व्यथित प्रवास अस्तित्व और आजीविका की असुरक्षा के कारण होता है। (रिनौड, 2011) व्यथित प्रवास उन क्षेत्रों में होता है जहॉ खाद्य सुरक्षा निम्न है और प्रदेश की क्षमता सीमित है। (रालेघ, 2010)। व्यथित परिस्थिति परिस्थितिगत झटके और आगे होने वाले संकट और द्वंद्व को बचाने के लिए आवश्यक मदद् के साथ बढ़ती असुरक्षा के तीखे प्रभाव को दिखाता है। (सुहरके, 1993)।

1966 में ई.एस.ली. ने प्रवास के आकर्षण–दबाव के आदर्श को प्रतिपादित किया था। उन्होंने प्रवास करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले चार कारणों को प्रस्तावित कियाः

1. मूल निवास स्थान से संबंधित कारण
2. गंतव्य स्थान से संबंधित कारण
3. मूल निवास स्थान एवं गंतव्य स्थान के बीच हस्तक्षेप करने वाली बाधाएं एवं
4. कई व्यकितगत कारण

गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोंण से मौसमी और वृत्तीय प्रवास महत्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं क्योंकि ये गरीब तबके के लोगों के बीच अधिकतर पाये जाते हैं। (देशिघर एवं फारिंगटन 2009; श्रीवास्ताव, 2011)। (कोहली 2010) ने भारत के संदर्भ में आर्थिक विकास की कमी, कम मजदूरी, बेरोजगारी, मूल निवास प्रदेश में भूमिहीन मजदूरों की बढ़ती संख्या जैसे दबाव कारक एवं हरित क्रांति के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ती मांग, उच्च मजदूरी एवं पंजाब के शहरी औद्योगिक एवं असंगठित क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित मजदूरों की बढ़ती मांग जैसे आकर्षण कारकों को चिन्हित किया। चक्रवर्ती एवं कूरी (2013) ने भी ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दबाव कारक के रूप में पहचाना। सक्सेना एवं बेदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सैम्पल गॉवों के अध्ययन के आधार पर प्रवास के कारणों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। उनके विश्लेषण के आधार पर ग्रामीण दबाव कारक महत्वपूर्ण था और उसमें और उसमें आर्थिक सामाजिक एवं जनसंख्या कारणों ने योगदान दिया है। (सक्सेना एवं बेदी, 1966)। ग्रामीणें में गैर–कृषि के अवसर की कमी भी 'दबाव' के कारण में प्रमुख कारक बनते हैं जबकि शहरी परिवेश में बहुत सारे लाभ और सुविधाएं 'आकर्षण' के कारण थे (प्रोथेरी, 1968)। जब मजदूर अपने मूल निवास के स्थान पर आजीविका और रोजगार के लिए कोई विकल्प नहीं पाते हैं, तो मजदूर प्रवास होता है। (लाल, सेलोड एवं सालीजी, 2006)।

जबकि शहरी क्षेत्रों के 'आकर्षण' बेहतर रोजगार के अवसर और लगातार और उच्च मजदूरी को शामिल कर सकते हैं पर ये उन्हें शहरी झुग्गी–झोपड़ियों में बदहाली की स्थिति में जीने के लिए प्रेरित करते हैं। (गोशाल और कृष्णन, 1975)। श्रीवास्ताव (2005) लिखते हैं कि भारत में अधिकांश आन्तरिक प्रवासी मजदूर शहरी झुग्गी–झोपड़ियों में अस्वास्थ्य की स्थिति में जीवन यापन करते है। इस प्रकार के जीवन जीने की परिस्थितियॉ स्वास्थ्य की समस्याओं और बीमारी की ओर ले जाती हैं। भारत में जो लोग खदानों, निर्माण के स्थानों और खानों में काम करते हैं वे कई प्रकार के स्वास्थ्य की समस्याओं और अधिकांश हृदय रोग से ग्रसित होते हैं। टाइल्स और ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूर हमेशा कार्य संबंधी स्वास्थ्य समस्या जैसे हृदय रोग, शरीर में दर्द, धूप के जलन एवं चमड़े में जलन

से त्रस्त रहते हैं। प्रवास बाल्यकाल के विकास में बाधक बनते है। श्रीवास्ताव 2011 ने दिखाया कि भारत में मौसमी और वृतीय प्रवास करने वालों के साथ चलने वाले बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं क्योंकि विद्यालय की पद्धति साधारणतः बच्चों को लम्बे समय तक उनुपस्थित रहने नहीं देते हैं।

असंगठितत क्षेत्र में उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 92 प्रतिशत कार्य–शक्ति अनौपचारिक रोजगार के साथ प्रवासी मजदूरों से मिलता है। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रवास के लिए निर्णायक कारक है। याप (1976) ने कहा है कि प्रवास शहरी–ग्रामीण आय के अन्तर को कम करता है।

प्रवासियों का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

देशिगकर एवं अक्तर (2009) के अनुसार आंतरिक प्रवास की स्थिति में भारत में करीब 100 लाख वृत्तीय प्रवासी हैं जो भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में करीब 10 प्रतिशत का योगदान देते हैं। भारत के परिवेश में महिलाएं प्रवासी घरेलू एवं आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्रकार अवधारणाएं हैं, जिस तरह से परिभाषित हैं और जिस प्रकार आंकड़े एकत्र किये जाते हैं, शासकीय आंकड़े में अदृश्य रह जाती हैं (सेन, 2009)। धन–प्रेषण मूल प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को मजबूती देते हैं। श्रीवास्ताव (2009) ने प्रवासियों के मूल स्थान में जीवन स्तर बेहतर करने धन–प्रेषण एवं बचत की भूमिका पर जोर दिया। देशिगकर (2006) के सुझाव देते हैं जौभी कि प्रवास गरीबी कम नहीं करता है परिवारों को और गरीबी के गर्त में नहीं जाने में मदद करता है। फिर भी प्रवासियों को अनौपचारिक या मान्यता प्राप्त एजेंटों को अपने चुनाव के लिए बहुत शुल्क चुकाना पड़ता है। (सिद्दीकी 2011) ये भारत के कई राज्यों की सच्चाई है।

लॉकडाउन के समय किया गया अध्ययन

अप्रैल 2020 में जन साहस ने कोविड–19 लॉकडाउन के समय में एक अध्ययन किया उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश उत्तरदाताओं के पास काफी राशन–पानी नहीं था, वे अपने प्रवास के स्थान पर मकान किराया भी नहीं दे पाये और फंसे हुए थे और उचित स्वास्थ्य सेवा से भी वंचित रह गये। अपने अधिकार के लिए चाहे उन्हें मालूम नहीं था या उन्हें जानकारी नहीं थी कि कैसे सुविधाओं का लाभ लिया जाये। चार घंटे के अन्दर लॉकडाउन की घोषणा में कई लोगों को काम से बाहर किया गया। (Voices of the Invisible Citizens, 2020).

स्ट्रैन्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क (SWAN) ने अप्रैल 2020 में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों पर महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश में एक अध्ययन किया और उनका निष्कर्ष था कि प्रवासी मजदूरों के पास राशन की कमी थी और उनके पास जितना भी राशन था उनसे सिर्फ एक बार ही जीवित रहने के लिए खाना ही खाते थे। लॉकडाउन के समय में बहुतों को अपने मालिकों द्वारा मजदूरी भी नहीं दी गई थी जिसके कई परिणाम भी हुए। अध्ययन ने स्पष्ट रूप से इंगित किया कि राहत से ज्यादा उनकी पीड़ा थी (21 दिन और लगातार गिनती, 2020)। इसी नेटवर्क ने मई 2020 में रिपोर्ट दिया कि लोगों के द्वारा सरकारी राशन का लाभ ले सकने में 92 प्रतिशत से 82 प्रतिशत की गिरावट आयी इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में कर्नाटक में स्थानीय प्रशासन और नागर समाज संगठनों के बीच बेहतर साझेदारी (32 दिनों और लगातार गिनती)।

एक और अध्ययन ने इंगित किया कि महिलाओं ने अपनी पूरी आजीविका खो दी। तबलीघी जमात सभा के बाद मुस्लिम विक्रेताओं को प्रताड़ित किये जाने की बात भी प्रकाश में आई (तबलीघी जमात एक मुस्लिम मिशनरी आन्दोलन है जिसने मार्च 2020 के प्रारंभ में दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज

मस्जिद में अपना वार्षिक धार्मिक सभा का आयोजन किया था)। इनमें से कई विक्रेता प्रवासी समुदाय से हैं और वे अपने किराया चुकाने के लिए चिंतित थे दोनों वर्तमान में और लॉकडाउन के बाद भी। (Impact of National Lockdown on Women Street Vendors in Delhi, 2020).

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का लक्ष्य दोहरा है। यह गैर सरकारी संगठनों, नागर समाज संगठनों, जमीनी स्तर के संगठनों, मजदूर संगठनों, कम्पनियों के कारपोरेट सोसल रेसपोंसिबीलिटी ईकाई, सरकारी संस्थाओं एवं लोक आन्दोलनों विशेषकर कारितास इंडिया, आई जी एस एस एस, आई एस आइ–बी एवं उनके सहयोगियों को मूलप्रदेश एवं गंतव्य प्रदेश में गोलबंद होने एवं मध्यस्थ बनने के भविष्य के पुनर्निर्धारण मदद करेगी। दूसरा अध्ययन की अनुशंसा का प्रभावी प्रयोग विभिन्न सहयोगियों लोक हितैषियों के द्वारा एडवोकेसी के कार्य और पैरवी के लिए किया जा सके और कार्ययुक्त तथा सृजनात्मक रणनीति बनाया जा सके एवं गंतय प्रदेशों में कार्यरत संगठनों द्वारा प्रभावी रूप से उन प्रदेशों, प्रवासियों के मालिकों के साथ प्रवासियों के पक्ष में कार्य कर सकें।

अध्ययन का लक्ष्य

प्रवासियों के पक्ष से जीवन को बेहतर बनाने की रणनीति और सुरक्षात्मक तरीकों का गहरी समझ निम्न दृष्टिकोणों से उभारनाः–

अ. तत्काल जरूरतों के लिए त्वरित पहल करना और सामाजिक सुरक्षा पक्षों को मजबूती देना।

ब. आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना और

स. प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा करना

मनचित्र 1.1: अध्ययन में शामिल प्रदेश

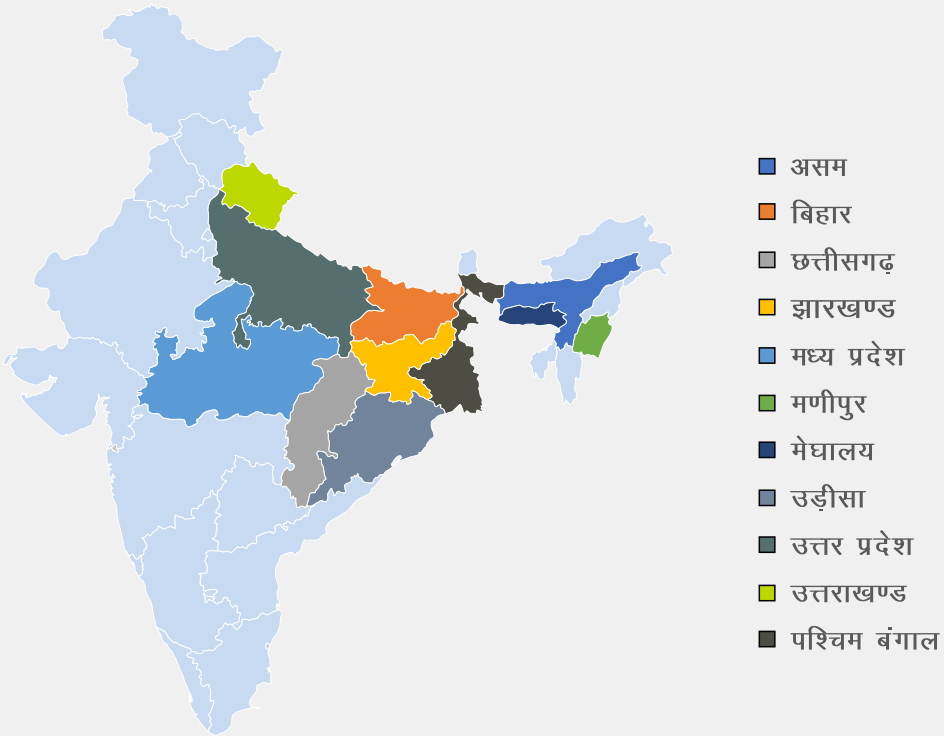

नक्शा जानकारी हासिल करने के क्षेत्र

1. उत्तरदाताओं की रूपरेखा– लिंग, उम्र, मूल निवास प्रदेश, शिक्षा, धर्म, सामाजिक परिस्थिति, कार्य का स्थल, कार्य का स्वरूप, मानदेय का तरीका और गंतव्य स्थान पर कार्य की अवधि।
2. प्रवासियों की व्यथा को समझना विशेषकर लॉकडाउन के समय में, अपने मूल गॉव वापसी में, क्वारंटाइन के समय और अपने मूल स्थानों में।

अ. केन्द्रीय सरकार, मूल प्रदेशों एवं गंतव्य प्रदेशों तथा मानवीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, लोक संस्थाओं, नागर समाजों, व्यक्तियों एवं लोकहितैषियों द्वारा दिये गये राहत मदद् से संतुष्टि का क्या स्तर है?

3. तत्काल जरूरतों को समझना और वर्तमान सामाजिक सुरक्षा पहल तथा उनके क्रियान्वयन में खाई का विश्लेषण करना और उनके बेहतर प्राप्ति के लिए तरीके की पहचान करना तथा सशक्त करना।

अ. क्या प्रवासी/उनके परिवारों के पास अधिकार पहचान पत्र है?

ब. उनके भरण–पोषण के लिए तत्काल क्या–क्या जरूरतें एवं चुनौतियॉ हैं?

स. सामाजिक सुरक्षा के बढ़ावा के लिए क्या–क्या कार्यगत नीतियॉ हैं?

4. प्राप्त करने योग्य एवं प्रदान करने योग्य आजीविका के अवसरों की जानकारी लेना जिन्हें उनके मूल स्थान में ढूंढ़ा जा सकता है एवं सशक्त किया जा सकता है?

अ. किस प्रकार के ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था हैं जिनका पुनर्जीवन और सशक्त किया जा सकता है?

ब. किस प्रकार के पशुपालन विकास आय के स्तर को बढ़ाने में मदद् कर सकता है?

स. किस प्रकार के कौशल एवं क्षमता विकास प्रशिक्षण प्रवासियों/उनके परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार योग्य अवसरों को पैदा करेगा?

5. मूल प्रदेश एवं गंतव्य प्रदेशों में प्रवासियों के अधिकार के किस प्रकार के विशेष अधिकार हो सकते है?

अ. प्रवासियों के अधिकारों के सशक्तिकरण के लिए क्या–क्या कार्यवाई होना है?

ब. प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या–क्या नीतिगत एवं व्यवस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता है?

स. कोविड 19 के परिदृश्य से क्या सीखा जा सकता है?

समष्टि एवं प्रतिचयन विधि

प्रथम उत्तरदाता भारत के उत्तर एवं उत्तरीपूर्वी प्रदेशों थे। इस अध्ययन के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार से उनकी आवाजों को सुनना अपरक्राम्य माना गया चाहे वे अपने घर पहुँच गये हों या अपने मूल प्रदेशों में क्वारंटाइन में रहे हों या घर वापस जाने की यात्रा की तैयारी में हों या गंतव्य स्थान में रूक गये हों।

प्रवासी मजदूरों के दृष्टिकोण, समझ एवं विचार से मेल करने के लिए कुछ प्रमुख चुने हुए प्रवास परिदृश्य एवं वास्तविकता से संबंधित अच्छी जानकारी रखने वाले सहयोगियों का भी साक्षात्कार लिया गया। ये सहयोगी उत्तरदाता माने गये जिसमें शिक्षाविद्, समाज सेवा कर्ता, सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के प्रतिनिधि, जमदूरों के अगुवे, गैर सरकारी संगठन,नागर समाज संगठन, पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम सभा के अगुवे एवं लोकहितैषी शामिल थे।

ऑकड़ा एकत्रीकरण विधि एवं उनका विश्लेषण

अध्ययन में संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों विधियों को अपनाया गया। प्रथम एवं सहयोगी उत्तरदाताओं से उनका प्रत्युत्तर पाने के लिए साक्षात्कार तालिका का प्रयोग किया गया। ऑकड़ा एकत्रीकरण सामाजिक दूरियों को रखते हुए कोबो एकत्रीकरण के द्वारा चाहे व्यक्तिगत साक्षात्कार से या मोबाइल में वार्ता के द्वारा 4 से 10 जून 2020 तक किया गया जिसमें तीनों संस्थाओं के 70 जमीनी, जिले एवं प्रदेश स्तर के स्टॉफ शामिल थे। उत्तरदाताओं की पहचान के लिए स्नो बॉल प्रतिचयन की विधि को अपनाया गया। कुल मिलाकर 700 प्रवासियों और 118 सहयोगियों का साक्षात्कार लिया गया। 51 केस व्याख्यान प्रवासियों के उनकी व्यथाओं, असुरक्षापन के अनुभव एकत्र किये गये। इनके अलावा अव्यवस्थित साक्षात्कार फोन में वर्तमान कोविड 19 संकट पर विश्लेषण भविष्यपरक दृष्टिकोंण एवं उन्मुखीकरण जानने के लिए दर्जनों विशेषज्ञों का साक्षात्कार किया गया।

अवलोकन

1. यह अध्ययन अन्तर प्रादेशिक प्रवासियों पर केन्द्रत है और प्रादेशिक एवं अन्तर जिला प्रवासियों के दृष्टिकोणों पर विचार नहीं करता है। फिर भी विश्वास किया गया है कि इस अध्ययन का परिणाम और सुझाव सभी श्रेणी के प्रवासियों पर लागू हो सकेगा।
2. सच्चाई है कि तीनों संस्थानों के स्टॉफ द्वारा 700 प्रवासियों के साथ सम्पर्क करना और एक प्रवासी के साथ कम से कम 30 मिनट बिताना एक निरत साथ चलने की पुष्टि का समय था। किसी को उत्तर कोविड समय का पता नहीं है। लेकिन प्रवासी इन्तजार नहीं कर सकते।
3. वर्तमान परिस्थिति में साक्षात्कार तालिका के परिचालन के लिए मोबाइल मंच का प्रयोग ही एक सुलभ और उचित विकल्प था। प्रवासियों से व्यक्तिगत मिलकर आमने सामने मिलना या वार्ता करने की कमी थी।

विस्तृत अर्थ में आर्थिक विकास, मजदूर पृष्ठभूमि और कोविड 19 महामारी के संदर्भ में निम्न अध्याय में व्यथित प्रवासियों के प्रतिमान को समझाने के लिए निम्न अध्याय में अध्ययन का सैद्धान्तिक खाका का विकास किया गया है।

अध्याय 2

मजदूर और कोविड 19 महामारी के संदर्भ में व्यथित प्रवासी

प्रत्येक संकट को एवं चुनौति और एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। कोविड 19 जीवन के लिए एक प्रमुख जोखिम परन्तु भूतकाल के आंकलन एवं भविष्य के निर्धारण के लिए एक वृहद् अवसर भी प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम हमारे वर्तमान कार्य–कलाप, लोक नीति में, शासन करने वाली पार्टियों, सरकारी तंत्र आदि में संवेदनहीनता व्याप्त है उसे विवेचनात्मक रूप में देखें। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विषमताओं को समझने के लिए लोकतंत्र, न्याय, शांति सद्भावना और मेल–मिलाप के सिद्धान्तों पर आधारित एवं प्रेरित हम देश के नागरिक के रूप में गरीबों के साथ चलने के लिए दया, करूणा, सद्भावना, बंधुता को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं।

कोविड 19 ने मूल श्रम मुद्दों और नये पहलु के उद्भव का पर्दाफाश किया

शिक्षाविद, समाजिक कार्यकर्ता, लोक संस्थाओं, मीडिया कर्मी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लोक बुद्धिजीवि जैसे पात्रों ने हमेशा से ज्यादा, प्रवास के मुद्दे पर विचार विमर्श एवं मंथन किया। व्यवहारिक रूप में कोई भी ऐसा दिन मूल श्रम मुद्धों पर बात किये बगैर नहीं बीता। आश्चर्य की बात है कि इतनी तादात में इस मामले में राजनीतिक शिक्षा के रूप में वेबिनार का आयोजन किया गया। महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, खाद्य अधिकार, सूचना का अधिकार,

उचित मजदूरी, श्रम अधिकार का उलंघन, श्रम सुरक्षा कानून में उदारता नहीं, अनुबंधित श्रम के मुद्धे, अन्तरप्रान्तीय प्रवासी कर्मी अधिनियम, 1979 पर अप्रत्याशित चर्चा सभी क्षेत्रों में हुई। ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बजट में बढ़ोत्तरी के साथ बल दिया गया।

नये पहलु एवं ईकाई भी चर्चा में उभर कर आये। प्रवासियों को सभी श्रम कानूनों के तहत लाने की जरूरत, शहरी रोजगार गारंटी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का आधार कार्ड से जुड़ाव, सर्वभौमिक न्यूनतम आय, अधिकार प्रवासियों के आगे होना चाहिए जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान सुवाह्व अधिकार के माध्यम से जाते हैं, ओनलाईन पंजीयन, लोक स्वास्थ्य के मुद्दे और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण जैसे कुछ मुद्दे गिने जा सकते हैं। (अरूणा रॉय से व्यक्तिगत साक्षात्कार, 27 जून 2020)। उद्योगपतियों का श्रमिकों के मुद्दे पर आवाज उठाना, सूचना के तकनीकि के कर्मचारियों का राहत में हाथ बंटाना भी सदभावना की अधिव्यक्ति के रूप में देखा गया। कुछ अपरिवर्तनीय असफलता के प्रभाव के रूप में मूलभूत परिवर्तन की पहचान भी देखे गये। जैसे मनरेगा ने अन्तर प्रान्तीय महिलाओं की संख्या में प्रबल गिरावट लाया जैसे उन्हें 100 दिनों के रोजगार प्राप्त था। हमने यह भी महसूस किया कि 100 दिनों का रोजगार एक परिवार की जीविका के लिए पर्याप्त नहीं था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारत का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कनून के प्रति वचबद्धता को याद दिलाते हुए दखल स्पष्ट रूप से दिखाया कि सरकारें और श्रम विभाग के अधिकारी श्रमिकों की अवहेलना कर रहे थे। वास्ताव में इन अधिकारियों को सरकार को पहले हिदायत देने और मार्ग दर्शन करना था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के दखल ने भी हमें श्रमिकों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के निर्माण के महत्व को याद दिलाया। कुछ प्रदेशों को सभी आदर के साथ विशेषकर केरल, कर्नाटक और तामिलनाडू ने बेमिसाल कार्य किया बाकी किसी ने भी अन्तर प्रान्तीय प्रवासी श्रमिक, अधिनियम का पालन नहीं किया। अधिकार देना सरकार की अच्छाई पर मात्र परोपकार का काम था।

कोविड 19 ने प्रवासी संकट की विशालता का पर्दाफाश किया

कोविड 19 को दुधारी तलवार के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कोविड 19 संकट न होता तो प्रवासियों द्वारा चुकायी गई कीमत, देश के आर्थिक विकास में छुपा योगदान का ज्ञान लोगों को नहीं होता। यह कि प्रवासी झोपड़ पट्टी में सोने के लिए बारी–बारी से पलंग का साझा करते थे, इस सच्चाई ने हमारे अंतःकरण को हिला दिया। प्रवासियों से जो समूहों में एक माचिसनुमा एक कमरे में एक साथ रहते हैं उनसे सामाजिक दूरी रखने की मांग करना चाहे तो क्रूरता थी या तो मजाक। इसने स्थानीय लोगों द्वारा विदेशी का व्यवहार और 7 से 16 साल के बच्चे जो ईंट बनाने के खान, होटल एवं दवा के दुकानों में काम करते हैं उनकी व्यथा को प्रकाश में लाया। महामारी ने प्रवासियों के बड़े संकट का पर्दाफाश किया जिसे किसी भी प्रकार से छिपाया नहीं जा सका। समान्य स्थिति में बहुत से प्रवासी अपनी विरासत भविष्य के लिए घरों को वापस लौटने के बदले शॉतिपूर्ण संघर्ष के साथ जुड़ जाते। कोविड 19 हमारी गतिशीलता और जागरूक करने की प्रक्रिया को कम कर दिया। व्यक्तियों की सुरक्षा लोकहित के ऊपर प्रमुखता थी। शैतान और गहरे सागर के बीच में हम भी एक नागरिक के रूप में प्रजातांत्रिक स्थान में आवाजविहीन हो गये। हम प्रवासियों की मध्यस्थता को पकड़ने, उच्चारित करने और उन्हें लोक क्षेत्र में लाने में असफल रहे। इस पृष्ठभूमि में प्रवासियों,सहयोगियों और विशेषज्ञों, जिनका साक्षात्कार लिया गया एवं उनके दृष्टिकोण, समझ, विचार और उम्मीदों के आधार पर सैद्धान्तिक खाका का विकास किया गया और आगे के कार्य की राह को व्यक्त किया गया है।

इस अध्ययन के विश्लेषण, व्याख्या, प्रवृति एवं अन्तदृष्टि की प्रशंसा करने के लिए वृहद् श्रम मुद्दे और परिवर्तनशील आर्थिक विकास के परिपेक्ष्य में व्यथित प्रवासियों के मुद्दों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। एक संक्षिप्त ऐतिहासिक टीप तीन भागों में विकसित की गई है:

अ. पूर्व–उदारीकरण काल ब. उत्तर–उदारीकरण काल एवं स. कोरोना महामारी काल। कहा गया है कि जो भूतकाल को याद नहीं कर सकते वे दुहरावा करने के लिए दोषीदार हैं।

पूर्व–उदारीकरण काल

18 वीं सदी में औद्योगिक क्रांति मानवीय इतिहास में एक मोड़ था। कृषि एवं हस्तकौशल आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग और उत्पादन प्रधान आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव मानव जीवन के हर पहलु में बहुत गहरा था। आवश्यकता आधारित उत्पादन से हम बहुमात्रा–उत्पादन में गये। फिर भी कार्य करने की स्थिति औद्योगिक क्रांति के समय में भयंकर हो गई। जैसे–जैसे उद्योगों का निर्माण होता गया व्यापार में लम्बी कतारों के साथ मजदूरों, जो काम करने के लिए तैयार थे उनकी आवश्यकता थी और काम पर लगाने वाले मजदूरे का निर्धारण जैसे वे चाहते थे कम से कम कर रहे थे और लोग जब तक उन्हें मजदूरी मिलती थी तब तक काम करने को तैयार थे। लोग सप्ताह में प्रतिदिन 14 से 16 घंटे काम करते थे। ऐसी परिस्थिति ने मजदूर संगठनों को जन्म दिया। ये संगठन अधिक मजदूरी, बेहतर व्यवहार की मांग करने लगे और खतरे होने के कारण बच्चों के उद्योगों में काम करना नहीं चाहते थे। इन्होंने हड़ताल और विरोध का आयोजन किया। फिर भी ये संगठन इच्छित परिणाम नहीं देख पाये क्योंकि मजदूरों की मांग की तुलना में पूर्ति ज्यादा था।

कार्ल मार्क्स औद्योगिक क्रांति के समय में अपने पूंजीवादी विरोधी औद्योगीकरण के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण अग्रणी व्यक्ति थे। मार्क्स ने पूंजीवादी विरोधी साहित्य का विकास एवं प्रकाशन किया जिसमें उन्होंने औद्योगिक व्यवस्था में मजदूर विशेष रूप से प्रताड़ित थे उसकी विवेचना की। उन्होंने समझा कि उद्योग प्रधान पूंजीवाद सहित पूंजीवाद का अर्थ हमेशा मजदूर वर्ग का शोषण होगा। (https://www.enotes.com/homework-help/why-was-karl-marx-important-to-the-industrial-398198).

1919 के प्रारंभ में जब अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई तब निर्देशिका सिद्धान्त में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि श्रम को मात्र चीज या व्यवसाय की वस्तु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। श्रम की मर्यादा जो मानवीय परिवार में समाहित मर्यादा की पहचान से उत्पन्न होता है, वही मूल में था। श्रम की मर्यादा को 1948 के अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की घोषणा का मार्ग दर्शक सिद्धान्त के रूप में उल्लेखित किया गया था। अनुच्छेद 22 (सामाजिक सुरक्षा का अधिकार), अनुच्छेद 23 (काम, न्यायपूर्ण मजदूरी, मजदूर संगठनों से जुड़ने का अधिकार), अनुच्छेद 24 (विश्राम, आराम, कार्य के घंटे और छुट्टी का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (उचित जीवन स्तर का अधिकार) ने श्रमिकों के कई प्रमुख सुरक्षा को प्रतिपादित किया था। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, 1966 के अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुच्छेद 7,8 और 9 में पुनः विश्व समुदाय के ध्यान में प्रत्येक श्रमिकों के अधिकार को लाया। 1990 की संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने सभी प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के रूप मे अंगीकृत किया।

आजादी के बाद भारत ने विकास के कल्याणकारी आदर्श की अंगीकार किया। कल्याणकारी राज्य और गैर–बंधन नीति की स्थापना करने में नेहरू के विकास का आदर्श चार स्तम्भोंः संसदीय प्रजातंत्र, धर्मनिर्पेक्ष, आर्थिक योजना और निःष्पक्ष नीति पर आधारित थे। अन्तर्राष्ट्रीय आह्वान का प्रत्युत्तर देते हुए मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, सेवा और रोजगार के काम के घंटों के शर्तों, महिलाओं की समानता और मजदूर संगठन अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य भविष्यनिधि अधिनियम, 1948, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 जैसे कई निषेधात्मक और श्रम अधिकारों और मल्याणकारी कानूनों का प्रतिपादन किया। 1979 में अन्तर प्रान्तीय प्रवासी मजदूर (रोजगार के नियमितिकरण और सेवा की शर्तें) अधिनियम अन्तर प्रान्तीय प्रवासी मजदूरों को सेवा की शर्तें देने के लिए बना।

इनके बावजूद श्रम की मर्यादा स्वीकार करने और पहचानने में हमेशा कमी रही। मालिकों को जितनी सुविधाएं दी गई मजदूर उतनी ही उनसे वंचित किये गये। मजदूर विशेषकर जो कठिन शारीरिक काम में लगाये गये थे वे कम इन्सान माने गये। अर्थ व्यवस्था में श्रमिकों के योगदान को कभी पहचान नहीं मिली।

उत्तर उदारीकरण काल

अर्थ व्यवस्था को अधिक बाजार और सेवा अभिमुख बनाने, आय में सीमा–शुल्क में कमी करने, बाजारों का नियमितिकरण, शुल्कों में कमी करने और अधिक विदेशी निवेश के उद्देश्य से भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत की गई। उत्तर उदारीकरण का समय श्रमिक विरोधी सोच और तरीके से ग्रसित था। उद्योगों ने श्रम सुरक्षा को 'लाईसेंस राज' कहा और राज्य से 'लाईसेंस राज' की समाप्ति की मांग की। आर्थिक विकास में योगदान और वृहद् उत्पादन के नाम पर लोग जो अधिक उत्पादन करते हैं उनकी बिना किसी चिंता के मालिकों ने श्रमिकों को काम पर लगाने और प्रताड़ित करने के लिए स्वतंत्र हाथ चाहा। मजदूर संगठन, श्रमिकों के अभिभावक सभी सरकार चलाने वाले राजनीतिक पर्टियों के राजनैतिक विचारों के शिकार हुए। श्रमिकों के सामुहिक सौदा शक्ति का विभाजन करने और कम करने के लिए प्रत्येक

राजनैतिक दल मजदूर संगठन बनाना प्रारंभ किया। बिना शक्ति के मजदूर संगठन मालिकों के हाथ की कठपुतली मात्र बन गये।

बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीमार माने गये और घाटे सहने लगे जिसकी वजह से विनिवेश का क्रम काफी मात्रा में होने लगा और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में गिरावट आने लगी। जिसके परिणामस्वरूप संगठित क्षेत्र में रोजगार में तेजी से कमी आने लगी और अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में तेजी से बढ़ोत्तरी होने लगी। इस परिस्थिति ने मजदूर संगठनों के महत्व को कम कर दिया। बहुत से मजदूर संगठन असंगठित क्षेत्र में लेकर लोगों को मजदूरों के रूप में स्वीकार नहीं कर सके।

कृषि क्षेत्र जो लम्बे समय से भारतीय अर्थ व्यवस्था और श्रमिक वर्ग के रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी बिना पर्याप्त बजट के पीछे ढकेल दिया गया। कृषि में गिरावट का प्रभाव छोटे और हासिए के किसान जो अधिकांश पिछड़े वर्ग और मुस्लिम एवं कृषि मजदूर थे, जिसमें ज्यादातर वंचित समुदाय जैसे दलित, आदिवासी एवं अन्य असुरक्षित समुदाय से आते थे, उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ा। कृषि में उम्मीदों को छोड़ नगरों एवं शहरों की ओर बड़ी संख्या निर्गमन प्रारंभ हुआ। (बाबू मैथ्यू के साथ साक्षत्कार 21 जून 2020)।

इसके ठीक विपरीत असंगठित नगर एवं शहर विकास के गंतव्य के रूप में देखे जाने लगे। योजना बनाने वालों के विचारों में आकर्षण और दबाव के कारकों के बारे में बहुत कम सोच था। किसी को लाखों की संख्या में नगरों और शहरों की ओर निर्गमन के परिणामों का अनुमान नहीं था। यदि मुद्दे उठाये भी गये लेकिन सरकार का ध्यान कभी आकर्षित नहीं कर पाये। ग्रामीण भारत कमशः आने वाले सरकारों से कभी आर्थिक मदद नहीं पाये। जिसका परिणाम यह हुआ कि शहरों के झोपड़ पट्टियों में कई गुणा जनसंख्या में वृद्धि हुई। मजदूर शहरों में भयंकर परिस्थितियों में बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहने के लिए मजबूर थे। 2004 में सरकार ने डा. सेनगुप्ता की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। आयोग ने असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा फंड की स्थापना की शिफारिश की। 2008 में असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया एवं असंगठित मजदूर 10 कल्याणकारी योजनाओं के योग्य हो गये। फिर भी इस अधिनियम को असंगठित मजदूरों के द्वारा स्वीकृति की कमी और पहचान के कारण इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया।

5 करोड़ डॉलर की अर्थ व्यवस्था को आमंत्रित करने के लिए वर्तमान सरकार ने श्रम सुधार की पहल की और मजदूरी, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य की स्थिति संहिंता सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक संबंध चार श्रम संहिंता बिना विस्तृत चर्चा किये लागू किया। न मजदूर और न ही मजदूर संगठनों को अभिमत में लिया गया। अमी उल्ला खान लिखते हैं, "मजदूरों के बीच बहुमत अनुभव है कि सरकार सिर्फ मालिकों की परवाह करता है। जब तक ये छाप पूरी तरह से न बदल जाता है कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता।" (लाइवमिंट, 6 जनवरी 2020)

कोरोना महामारी काल

कोरोना महामारी काल सिर्फ नवीन–उदारवाद काल का विस्तार था। फिर भी इस समय में सभी पात्रों के द्वारा मजदूर वर्ग, जाति, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के प्रति उदासीनता की गहनता और विस्तार का पर्दाफाश हुआ। हर्ष मंदर ने इसे 'सभ्यता आत्ममंथन का समय' और इसे 'सामूहिक सदौषता' के रूप में पहचाना। (द हिन्दू 30 मई) कोरोना एक प्रवेशद्वार के रूप में प्रवासी एवं मजदूर वर्ग की न पहचानी गई नंगी वास्तविकता को सामने ला कर रख दिया। इनके कुछ पहलुओं को जानना महत्वपूर्ण है।

प्रवासी नीति निर्धारकों, अधिकारी वर्ग और न्यायपालिका की परिधि के बाहर थे जब शिक्षाविद्,

समाज वैज्ञानिक प्रवासियों के मुद्दों के साथ लगे हुए थे प्रजातंत्र के तीन स्तम्भ– विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने कुछ सप्ताह के लिए 'रूको और देखो' की नीति अपनाये। कई प्रवासियों के द्वारा कहा गया भूख का वाईरस कोरोना वाईरस से ज्यादा बुरा है। इस बात की ओर संकेत करता है कि सब जीविका के लिए तरस गये और सरकार इनके प्रति कितनी उदासीन थी। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि प्रवासी मजदूरों की परिस्थिति बंधुआ मजदूर की तरह है। यह तार्किक है कि संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से वंचित किये जाने के बावजूद बंधुआ मजदूरों को कई मामलों में रोटी, आवास और मजदूरी प्राप्त था। इसके ठीक विपरीत प्रवासी मजदूर "स्वतंत्र" तो थे लेकिन रोटी, आवास और मजदूरी से वंचित थे। (प्रो. मैथ्यू से साक्षात्कार)।

उदाहरण के लिए अन्तर प्रान्तीय प्रवासी मजदूर अधिनियम के पॉचवें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख है कि न्यूनतम मजदूरी का भूगतान (कंडिका 13), विस्थापन भत्ता (कंडिका 14), यात्रा भत्ता (कंडिका 15) और अन्य सुविधाएं जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षात्मक कपड़े (कंडिका 16), छुट्टी, कार्य के समय और अन्य शर्तें (कंडिका 13) आवयश्यक रूप से दिया जाना है। फिर भी इन सुविधाओं की अवहेलना राज्य और कम्पनियों की मिली–भगत का तरीका है। बहुत समय के विलम्ब के बाद जब श्रमिक स्पेशल रेल की शुरूआत हुई तो प्रवासी मजदूरों को साधारण दर से दो गुणा से भी ज्यादा कीमत चुकाना पड़ा। इस भयंकर परिस्थिति में कई उच्च न्यायालयों ने अंतरिम आदेश निकाला और प्रदेशों से जवाबदेही की मांग की। बार–बार खारिज किये जाने के बाद सिर्फ 26 मई 2020 को सवोच्च न्यायालय ने मुद्दे को लिया और 9 जून 2020 को एक विस्तृत आदेश निकाला। जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेशों से राहत कार्य, पुनर्वास ओर रोजगार मुद्दे पर ऑकड़े की मांग की तो कई राज्य बनावटी ऑकड़े बनाने के लिए अपने ड्रॉईंग रूम चले गये क्योंकि किसी सरकार ने भोजन और आवास के अलावा किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। अचानक ऑकड़ों का जमावड़ा सामने आया। इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। 24 मई 2020 को वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने घोषण की कि सरकार गरीब प्रवासियों के लिए आने वाले दो महीनों के लिए 80 लाख खाद्यान्न का वितरण करेगी। लेकिन 23 मई 2020 को गृह मंत्री ने बयान दिया कि करीब चार करोड़ प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के काम में लग गये हैं और अब तक 75 लाख प्रवासी मजदूर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद रेल एवं बसों से अपने घरों को लौट गये हैं।

जनगणना 2011 ने प्रवासियों के ऑकड़े एकत्र किया है। इकनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2017 ने उल्लेख्ति किया है कि प्रत्येक वर्ष औसतन 9 लाख लोग एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश चाहे शिक्षा या काम के लिए प्रवास किये हैं। गृह एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च से श्री पारथा मुखोपाध्याय की अगुवाई में प्रवास पर कार्यवाहक दल का गठन किया और 2017 में अपना रिपोर्ट जमा कर दिया। परन्तु कोई स्पष्ट कार्य योजना उससे निकल कर नहीं आया।

श्रमिक प्रवास और विशेषकर व्यथित श्रमिक प्रवास कम विकसित राज्यों से अधिक विकसित प्रदेशों में स्वाभाविक है। भारत में एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने जैसा है। फिर भी याद किया जाना है कि बड़ी संख्या में अधिकांश प्रवासी मजदूर अवसर मिलने पर अपने मूल प्रदेश गॉव वापस जाना चाहते हैं। प्रवासी विस्थापित जरूर हैं लेकिन अपने मूल निवास से कभी कटे हुए नहीं हैं। इसलिए अधिकांश प्रवासी अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए अकेले ही यात्रा करते हैं। जब प्रवासी मजदूर जानता है कि अपने मूल प्रदेश गॉव में वर्षा हुई है तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये होती है कि वे अपने मूल प्रदेश वापस जायें। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो प्रवासियों के लिए स्वाभाविक था कि वे अपने मूल निवास गॉव वापस जायें। यह सच्चाई निर्णय करने वालों की समझ में नहीं था। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रवासियों और सरकार चलाने वालों के बीच के सामाजिक विभाजन उजागर करता है। इन सब को ढंकने के

लिए हाल ही में केन्द्र सरकार ने 41 कोयला खदानों को निजी कम्पनियों क लिए नीलामी की। कोशी लिखते हैं कि कोयला खदानों की नीलामी का लाभ अनिश्चित है और उनसे उप्तादन बिजली पर्यावरण पर भारी पड़ने की संभावना है। (जेकब कोशी,द हिन्दू, 19 जून 2020)।

मेजबान प्रदेशों द्वारा प्रवासियों को अनागरिक माना जाना

एक या दो प्रदेशों को छोड़कर बाकी प्रदेश इन प्रवासियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि जब

चुनाव की बात आती है तो उनका रहना कोई मायने नहीं रखता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार नागरिकों के समानता का अधिकार रहते हुए भी प्रवासी मजदूर बाहरी माने गये। अनुच्छेद 15 के बावजूद स्थानीय बनाम बाहरी में भिन्नता का व्यवहार सामान्य स्वीकार किये गये। उदाहरण के लिए एक ही प्रकार के काम और समय होते हुए भी स्थानीय लोग 700 रूपये और प्रवासी 400 रूपये से 500 रूपये दिया जाता था। अनुच्छेद 19 में गतिशीलता के अधिकार दिया गया है। फिर भी जब प्रवासी मजदूर अपनी जवीविका के लिए दूसरे प्रदेश में प्रवास किये तो उन्हें अपने बुनियादी अधिकार से वंचित किया गया। प्रवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, भविष्यनिधि एवं कल्याणकारी मंडल के दायरे से बाहर रखा गया। यदि बुनियादी अधिकार दिये जाने की पद्धति अपने स्थान पर होती तो बहुत से प्रवासी मजदूर महामारी के समय में भोजन की कमी के संकट में नहीं होते।

अन्तर–प्रान्तीय प्रवासी मजदूर अधिनियम मे भी निहित विरोधाभास है। यह अधिनियम सभी संस्थानों पर लागू होता है जिनमें पॉच या उससे अधिक अन्तर प्रादेशिक प्रवासी मजदूर (चाहे अन्य मजदूरों के अलावा हैं या नही) काम पर लगाये गये हैं चाहे वे 12 माह के पहले किसी दिन काम पर लगाये गये हों और प्रत्येक ठेकेदार जो काम पर लगाता है या पांच या उससे अधिक प्रवासी मजदूर को काम पर लगाया हो (चाहे अन्य मजदूरों के अलावा हैं या नही) चाहे वे 12 माह के पहले किसी दिन काम पर लगाये गये हों। मूल प्रदेश या गंतव्य प्रदेश की किसी भी सरकार ने इन प्रावधानों को गंभीरता से कभी नहीं लिया।

ये अधिनियम यह भी स्पष्ट संस्थानों और मजदूरों के पंजीयन करने का प्रावधान देता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में सिर्फ 30 प्रतिशत संस्थान पंजीकृत हैं। जब संस्थान पंजीकृत नहीं हैं, कैसे कोई मजदूरों के पंजीयन की उम्मीद कर सकता है? 90 प्रतिशत से अधिक मजूदर अनौपचारिक क्षेत्र में पंजीकृत नहीं हैं। इतना तक कि वे अपने मूल मालिकों को भी नहीं जानते हैं। वे उप–ठेकेदारों के कई सतहों के अधीन काम करते हैं जो न केवल उनके मजदूरी काट लेते हैं लेकिन सार्वजनिक मंच में उनकी आवाजों को सुने जाने से रोकते हैं। असंगठित क्षेत्र मजदूर जो ग्रामीण टोलों में प्रवास करते हैं उनकी दशा तो और ही खराब है। उदाहरण के लिए जो ईंट बनाने के खदानों में काम करते हैं उनकी दशा तो भयंकर है। पिछले 50 सालों में ईंट बनाने के खदानों के मालिक बदल

गये हैं, प्रवासियों का चक्र होता रहा लेकिन मजदूरों की दशा वैसे के वैसे ही रह गई है। (प्रो. वर्जिनियस शाशा से साक्षात्कार 25 जून 2020)। 20 मई 2020 को खबर कागजों ने तामिलनाडू में सालेम के निकट उड़ीसा के मजदूरों पर मालिकों के क्रूर व्यवहार को प्रकाशित किया जिन्हें बुरी तरह से पीटा गया था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और श्रम विभाग

उत्तर उदारीकरण के समय में मंत्रालयों में से एक मंत्रालय जिसने अपनी पकड़ और दिशा खो दिया वह है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम विभाग दोनों केन्द्र एवं प्रदेशों में अपनी शक्ति खो दिया और अप्रभावकारी हो गया। जब कभी कोई मजदूर श्रम विभाग से सम्पर्क किया तो कोई स्टॉफ एवं संसाधन की कमी कहकर कोई उत्तर नहीं मिला। (प्रो. वर्जिनियस शाशा से साक्षात्कार)।

मालिकों और रीएल एस्टेट माफियाओं के ऊपर सोपानक एवं शक्तिशाली स्रोतों तक सीधे पहुँच के कारण भी यह मंत्रालय असुरक्षित और शक्तिहीन हो गया। जब विभिन्न राज्यों ने अध्यादेश के द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन कर कार्य के समय को 8 घंटे से बढ़ा कर 12 घंटे कर दिया जो श्रम मंत्रालय को आवाज उठाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके ठीक विपरीत अपने कार्य करने के कारण कुछ अच्छे अधिकारियों का 'तबादला' कर दिया गया। 11 मई 2020 को जब कर्नाटक सरकार के अधिकारियों के द्वारा प्रवासियों एवं अन्य असुरक्षित गरीबों के लिए खाद्य सामग्रियों का बंटवारा चरम पर था तो मुख्य सचिव श्री मनीवनम, आइ.ए.एस. का तबादला हो गया। इस तत्काल तबादला ने अन्य अधिकारियों और नागर समाज संगठनों की ऑखें खोल दीं। (डेकन हेराल्ड 11 मई 2020)। यह केस हिमशैल की मात्र एक चोटी मात्र है।

अन्य और एक उदाहरण है श्रम कल्याण एवं आपदा प्रबंधन के कोष के अव–उपयोगिता का है भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996 के तहत सभी प्रदेशों ने श्रम कल्याण मंडल का विकास किया है और ये पंजीकृत श्रमिकों और और मालिकों से सहयोग राशि एकत्र करता है। इस प्रकार के कोष का प्रयोग मजदूरों के कल्याण के लिए किया जाना है। कोविड 19 के दौरान कर्नाटक सरकार ने मजदूर संगठनों एवं नागर समाज संगठनों के दबाव के कारण इसकी राशि 2000 रूपये से 5000 रूपये बढ़ाया जो कुल मिलाकर 1050 करोड़ हुआ जबकि सरकार के कोष में 8000 करोड़ था। केरल और तामिलनाडू सरकार के काफी प्रतिशत की मात्रा में इस कोष का प्रयोग किया। सरकार का तर्क किसी की समझ में नहीं आता है कि जब महामारी के समय में श्रमिकों को वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है तो क्यों सरकार इस कोष की बड़ी राशि का वितरण नहीं करती है। (प्रो. बर्नड डी स्मामी से साक्षात्कार, 21 जून 2020)।

मूल प्रदेशों में चुनौतियॉं

क्या मूल प्रदेश इन प्रवासी मजदूरों की तत्थ्य को समाहित कर सके? प्रादेशिक विभिन्नताएं इतनी तादात में हैं जिसकी वजह से उत्तरी एवं उत्तरी–पूर्वी प्रदेश अब तक अविकसित हैं। इन प्रदेशों में बड़ी संख्या में श्रम शक्ति का आधिपत्य है। यदि मूल प्रदेश की सरकार इन श्रम शक्तियों को रोजगार के अवसर का सृजन करके समाहित करना भी चाहे फिर भी आय का स्तर बहुत कम है। कई प्रवासी सामन्तवाद और जातिवाद से बचना भी चाहते हैं। इन मूल प्रदेश में मजदूर जितना भी कठिन परिश्रम करना चाहे शारीरिक श्रम के लिए 200 रूपये से ज्यादा पाना करीब असंभव है। वही व्यक्ति आसानी से 400 रूपये से 500 रूपये किसी शहर या दक्षिणी एवं पश्चिमी प्रदेशों में पा सकता है। (प्रो. ख़ाख़ा से साक्षात्कार)। परिवार की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा बढ़ गई है, बुजुर्ग माता–पिताओं के स्वास्थ्य की देखभाल का खर्च महंगा हो गया है और विवाह के प्रमुख भार की पूर्ति के लिए पर्याप्त

रूपयों की आवश्यकता पड़ती है। इन परिस्थितियों में प्रवासियों के पास अपने आर्थिक संकटों को कम करने के लिए अन्य प्रदेशों में प्रवास करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। साधारण लोगों के जीवन में मनरेगा खेल परिवर्तनकारी रहा है। लेकिन इस समय में मनरेगा को लेकर खाद्य सामग्रियों के लिए दंगे हो जाते। (श्री निखिल दे से साक्षात्कार 21 जून 2020)। फिर भी जब मनरेगा के 200 रूपये और अन्य प्रदेशों में बढ़े हुए कमाई के बीच चुनाव की बात है तो विषम परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद अन्य प्रदेशों में प्रवास करने का चुनाव स्वाभाविक था। जब कि यह महत्वपूर्ण है कि मूल प्रदेश रोजगार के अवसरों का उपाय ढूंढ़े, जब तक आय के स्तर में पर्याप्त वृद्धि नहीं है कई प्रवासी तुरन्त वापस नहीं आयेंगे।

राहत सहयोग देने के बावजूद किसी भी प्रदेश ने पारगमन और अंतिम पड़ाव में फंसे प्रवासियों को गंभीरता से नहीं लिया। जो श्रमिक स्पेशल रेल से अपने गंतव्य स्थान के मुख्य रेल्वे स्टेशन पहुँचे उन्हें अपने मूल निवास गॉव पहुँचने के लिए लम्बी पैदल यात्रा करनी पड़ी। जिन्हें क्वारान्टाइन केन्द्रों में रखा गया था भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवा एवं परमर्श की कमी के कारण उनका दम घुट रहा था। कुछ प्रवासियों ने कहा कि क्वारान्टाइन केन्द्रों के संचालन के लिए ग्राम सभा को सशक्त करने से बेहतर परिस्थिति होती। (बाबू मैथ्यू से साक्षात्कार)।

लोकतंत्र एवं संघवाद के सिद्धान्त द्वंद्व की स्थिति में थे

वाइरस के न फैलने और इसे प्रभावकारी ढंग से रोका जा सके इसे सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं महामारी बीमारी अधिनियम, 1977 को प्रयोग में लाया और बिना चर्चा किये अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी। सब कोई लॉकडाउन के तर्क को समझते हैं, पर जिस तरह से इसकी योजना बनाई गई और इसका क्रियान्वयन किया गया, यह गरीबों और प्रवासियों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है। हम जितने अपनी सुरक्षा चिन्ता किये कि 'वाइरस मुझे प्रभावित न करे' उतने हमने प्रवासियों की कोई चिंता नहीं की जिन्होंने सैकड़ों, हजारों किलोमीटर पैदल चलने का निर्णय किया। सरकार

ने प्रवासियों के प्रति बिना संवेदनशीलता के परिवहनों को रोक दिया। यदि प्रवासियों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा दिये जाने से प्रवसियों की गतिशीलता के समुपस्थित तर्क संगत होता। इसके अलावा सरकार चलाने वालों ने बुजुर्गों की देख–भाल की जाये, बच्चे बाहर न निकलें और गर्भवती महिलाएं घरों के अन्दर रहें, इस तरह की नीरस बात करने लगी। ये सभी बातें समझी गई। जो अपनी थोड़ी बहुत सम्पति थी उसे अपने सिरों में और बच्चों को अपनी पीठ पर ढोये अपने मूल निवास गॉव की ओर चल रहे थे, उनके बारे में क्या? ये लोग मेजबान प्रदेश जिन्होंने उनका शोषण किया, उनकी सेवा का फायदा लिया और अस्वीकार कर दिया इसके बदले अपने निवास गॉव में मरना पसंद किये।

संघीय प्रकृति के शासन की मर्यादा की कमी ने राज्यों, वास्तविक क्रियान्वयन करने वालों और निर्णय करने वालों के बीच बहुत बड़ी खाई बना दी। बहुत से प्रदेशों ने केन्द्र सरकार द्वारा कोविड राहत के लिए आर्थिक बंटवारे में भेद–भाव को खुल्लमखुल्ला कहा। एक अधिकारी ने बताया कारवाई किये जाने के लिए एक दिन में तीन–तीन आदेश प्राप्त किया और अधिकारी हैरान थे कि किस आदेश का पालन किया जाना है। ऊपर से पद्धति को रखने के लिए कोई संसाधन नहीं दिया गया था। इस प्रकार की स्थिति व्याप्त थी। इतना तक कि जोन के रंग निर्धारण में भी ऑकड़ों की खाई थी और निर्णय थोपा गया। महामारी के समय में सत्तावाद स्पष्ट रूप से अपनी नई ऊँचाई में आ गया। (श्री निखिल दे से साक्षात्कार)।

मजदूर संगठनों ने प्रवासियों से मर्यादित दूरी कायम रखा

भारत में स्व–रोजगार महिला संघ (सेवा) सहित कुल 12 स्वीकृत मजदूर संगठन हैं। यह कथित है कि उत्तर उदारीकरण काल में इनमें से अधिकांश ने अपनी प्रासंगिकता खो दिया। शायद ही किसी मजदूर संगठन ने प्रवासियों को अपनी छत्रछाया में लिया। श्रम और श्रमिक सैद्धान्तिक तौर पर मजदूर संगठनों की सहायता से, फूट डालने वाले राजनैतिक पार्टियों द्वारा प्रायोजित वृहद् गरीब मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने की कीमत पर रंगे हुए थे। किसी भी परिस्थिति में मजदूर संगठन सुनियोजित तरीके से प्रवासियों की मदद करते हैं। यह बहुत ही दुर्भागय की बात है कि मजदूर संगठनों ने प्रवसियों के साथ 'बाहरी' लोगों जैसे व्यवहार किया। इसने मजदूर वर्ग के सामुहिक समझौता करने की ताकत को कम कर दिया और मालिकों के हाथ को मजबूत किया। जब कि यह समझ के दायरे में है कि वृत्तीय एवं मौसमी प्रकृति का प्रवास उन्हें संगठित करने में बहुत सी विषमताओं को जन्म दिया, मजदूर संगठनों को जरूरी था कि वे प्रवासियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ कार्य करने के लिए उचित रणनीति का विकास करते। मजदूर संगठन कुछ व्यक्तिगत नेताओं को अलग करने में भी असफल रहे।

अधिकांश प्रवासी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर हैं

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार और अनौपचारिक रोजगार की शर्तें, 2013–14 के अनुसार भारत में 90 प्रतिशत मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 82 प्रतिशत बताता है।(https://thewire.in/labour/nearly-81-of-the- employed-in-india-are-in-the-informal-sector-ilo). इनमें से बहुत बड़ी संख्या में अनूसूचित जाति/जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर बहिष्कृत समुदायों के हैं। ये सदियों से जाति और वर्ग के नाम पर प्रताड़ित समुदाय हैं। सम्पन्न प्रदेशों में रहने वाले और यह कि अन्य प्रदेशों में प्रवास अपने जीवन को बेहतर करने का मौका देगा और नागरिक साथियों की अच्छाइयों पर विश्वास करते हुए इन्होंने सुदूर प्रदेश अपनी जाति बिरादरी, जंगल–जमीन, देवी –देवताओं का छोड़कर चले

गये। ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़कों, गगनचुंबी मकानों, मेट्रो लाइन का निर्माण किया, कचरों की सफाई की, खाना पकाया और अपने खून–पसीने को बहाया ताकि उद्योग और कम्पनियॉं अपने सुदृढ़ नींव के साथ बढ़ें। जिन शहरों का इन्होंने निर्माण किया उन्हीं ने इन्हें "कोरोना वाहक" कह कर बाहर निकाल दिया, वे अपने पास जो कुछ भी था उससे लुट कर ये अपने साथ शर्म और डर का पाठ लेकर गये। शहरों के निवासी कोरोना वाईरस के संकट काल में प्रवासियों को वहॉं रहना नहीं देना चाहे। सामाजिक दूरी बनाये रखना उनके बहिष्कार और सामाजिक भेद–भाव करने का एक जरिया बन गया। (प्रो. बाबू मैथ्यू के साथ साक्षात्कार)।

नैतिक आधार

ये सभी पहलु मानवीय रिश्ते से संबंधित बुनियादी नैतिक सवाल खड़ा करते हैं। प्रवासियों का उनके उद्यमी के साथ आर्थिक योगदान पर कभी भी विचार नहीं किया गया। हमने एक मानसिक सोच बना कर रखा है कि प्रवासी "दूसरे" और "बाहरी", हमारे नहीं हैं। हमने उन्हें हमारे सह–नागरिक के रूप में कभी नहीं माना। 130 प्रवासियों की मृत्यु सहित उनकी वास्तविकता जो खबर कागजों में प्रकाशित हुई जो हमारी अन्तर आत्मा को जगाई और सिर्फ संवेदना तक ही रही। हम में वास्ताव में प्रेम एवं हमदर्दी की कमी थी। चूंकि श्रम शक्ति हमारी जरूरत से त्यादा उपलब्ध थी हमने महसूस किया कि वे आसानी से प्रतिस्थापनीय हैं। हमने प्रवासियों को देखा है लेकिन हमने उन्हें नही जाना है। मालिक–मजदूर का संबंध का अस्तित्व कभी नहीं था। उनके साथ हमने उन्हें फेंके जाने लायक "प्रयोग करो और फेंको" श्नेम ंदक जीतवूश की मनोभावना के साथ वर्ताव किया। हमने अपने आप को उपयोगितावादी अजेंडा से शासित होने दिया। जैसे कि लोक याद छोटा होता है ऐसा संभव है कि हमारी यादों से संदभावना का भाव बहुत ही जल्द समाप्त हो जायेगा। हम में से कई लोग यह सोचना शुरू कर दिये है कि इसे सिमटते दायरे में हम कैसे जीवन यापन करेंगे। (श्री निखिल दे से साक्षत्कार 21 जून 2020)।

परोक्ष सीखने का मंच और ऑनलाइन क्लास मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा वरदान के रूप में देखा गया। जब कि सभी प्रयास तकनीकियों का प्रयोग प्रभावकारी मानव विकास के लिए किया जाना चाहिए, प्रत्येक को चिन्हांकित करना चाहिए कि 70 प्रतिशत से अधिक बच्चे विद्यालय के बाहर हो जायेंगे यदि उत्तर कोरोना के परिदृश्य में क्लास में सीखने के स्थान पर परोक्ष सीखना सामान्य हो जायेगा। बहुत से गरीब परिवार गरीबी में वापस चले जायेंगे और इसमें बच्चे सबसे अधिक सभी बुनियादी सूचक से प्रभावित होंगे। (लाइव्स अपेंडेडः कैसे कोविड–19 से 60 करोड़ दक्षिण एशियाई बच्चों के भविष्य को खतरा है, यूनिसेफ) गॉंधी का मंत्र– अपने आप को सबसे आखिरी और सबसे छोटे के नजरिये से देखो–यही हमारे सोच और विकास के मुद्दे को मार्ग दिखाना चाहिए। नागर समाज संगठनों ने भारत के संविधान के उद्देशिका के पठन के आन्दोलन की पहल की है। हमदर्दी, दया, भ्रातृत्व, न्याय, और सदभावना की मान्यताओं को अंगीकार कर अंतिम और निम्न लोगों के साथ हमसफर बनने के लिए पुनर्भिमुख और पुनर्शक्त होने का मौका उत्तर कोरोना काल को छोड़ कर और कोई दूसरा समय नहीं होगा। निम्न अध्याय में सामना करने की आन्तरिक शक्ति की रणनीति सामाजिक सुरक्षा के उपाय और प्रवासियों के अधिकारों पर केन्द्रित विश्लेषण, विवेचना, और प्रवासियों एवं सहोगियों प्राप्त अंतरदृष्टि पर आधारित है।

(टीपः लेखक अरूणा राय, श्रीमती मेधा पाठकर, प्रो. बाबू मैथ्यू, श्री निखिल दे, प्रो. भरजीनियुस ख़ाख़ा, प्रो. बर्नड डी सामी, श्री साबारीनाथ नायर के प्रति ऋणी है जिन्होंने अपने ज्ञान का साझा किया और अध्ययन के लिए सैद्धान्तिक खाका के विकास में मदद की।)

अध्याय 3

सामना करने की रणनीतियाँ, सामाजिक सुरक्षा उपाय और प्रवासियों के अधिकार

पहले खंड में उत्तरदाताओं/प्रवासी प्रत्यर्थी के बाह्य रूपरेखा – राज्यों, लिंग, आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य क्षेत्र और उनकी प्रकृति, वेतन पद्धति, देश एवं मूल राज्य के बाहर बिताए गए वर्षो का आंकलन।

दूसरे खंड में सात विषयगत क्षेत्रों के तहत विस्तृत विश्लेषण शामिल है:

1. लॉकडाउन के दौरान मूल राज्य वापसी में चुनौतियों का सामना।
2. पात्रता प्रदान करने की स्थिति तक पहुचना।
3. तत्काल जरूरत एवं सामाजिक सुरक्षा।
4. कोविड–19 जोखिम को कम करना और उसके निवारण के उपाय।
5. आजीविका के लिए नए अवसरों का पुनर्जनन।
6. प्रवासी विशेषाधिकार घोषणापत्र
7. भविष्य के लिए रोजगार परिदृश्य

प्रवासी प्रत्यर्थीयों के बाह्य रूपरेखा

700 अंतर – राज्य प्रवासियों, जो उत्तर एवं पूर्वोत्तर भारत के 11 राज्यों के मूल निवासी थे, का साक्षात्कार लिया गया। ये प्रवासी प्रत्यार्थी 47 जिले से थे। 118 हितधारकों के प्रवासी प्रत्यर्थी में से, 3 को छोड़ सभी 11 राज्यों के मूल निवासी थे।

प्रवासी प्रत्यर्थी के राज्यों, लिंग एवं आयु

असम को अलग माना जाता है क्योंकि सांख्यिकी सबूत के आधार पर असम से अधिक संख्या में प्रवासी बाहर जा रहे या निकले हैं। 700 प्रवासियों

तालिका 3:1 राज्य और उत्तरदाता

क्र. सं	राज्य	जिले की संख्या	प्रवासी		हितधारक	
			छ	प्रतिशत	छ	प्रतिशत
1	असम	3	74	10.6	11	9.3
2	अन्य एन. ई. राज्य (मेघालय एवं मणिपुर)	3	30	4.3	2	1.7
3	बिहार	7	92	13.1	16	13.6
4	छतीसगढ़	3	60	8.6	10	8.5
5	झारखंड	7	82	11.7	15	12.7
6	मध्य प्रदेश	4	65	9.3	12	10.2
7	उड़ीसा	9	93	13.3	17	14.4
8	उत्तर प्रदेश	6	101	14.4	12	10.2
9	उतराखंड	1	21	3.0	6	5.1
10	पश्चिम बंगाल	4	82	11.7	14	11.9
	अन्य राज्य				3	2.5
	कुल	47	700	100.0	118	100.0

नोट : अन्य पुर्वोतर राज्यों के अन्तर्गत, मेघलय के एक जिला और मणिपुर के 2 जिले आते हैं। कुल मिलाकर 11 राज्यों के 47 जिले के नमुने एकत्र किये गये थे।

में से, 629 (89.9%) पुरूष एवं 71 (10.1%) महिलाऐं उत्तरदाता थे। 118 हितधारकों में से 82 (69%) पुरूष एवं 36 (30.5%) महिलायें उत्तरदाता थे। अध्ययन से पता चलता है कि सामान्य रूप से परिवारों के पुरूष रोजगार की तलाश में परिवार के दूसरे सदस्यों को पीछे छोड़ते हुए रोजगार हेतु दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। 100 दिवसीय रोजगार योजना के कारण महिला सदस्यों के प्रवास सदस्य में कमी आई है।

ग्राम सभा के सदस्य हैं।

प्रवासियों में युवा, सक्षम, पुरूष प्रवासियों का बायोडाटा पसंद है।

तालिका 3.1 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अन्तरराज्यीय प्रवासियों में अधिकांश युवा है। उत्तरदाताओं के 577 (82.4%) युवा हैं, जो 15 से 35 वर्ष आयु के बीच के हैं। इस अध्ययन पता चलता है कि 4 उत्तरदाता 18 वर्ष से कम आयु के थे और 2

मानचित्र 3.1 उत्तरदाताओं के आयु

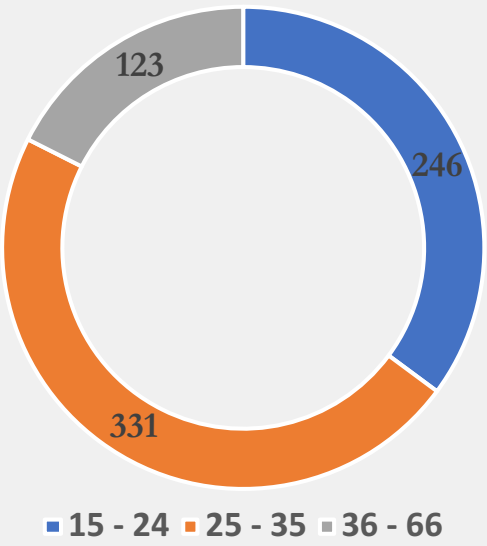

कई प्रवासियों ने बताया कि उनकी योजना कुछ वर्षों तक काम करना और फिर अपनी मूल भूमि लौटने की थी। आयु को एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में उल्लेख किया गया था, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर कार्यशील प्रवासी श्रमिकों के बायोडाटा का एक हिस्सा और खंड था। ठेकेदारों ने कार्य हेतु युवा पुरूषों को प्राथमिकता दी ।

हितधारकों में से, 44 पंचायती राज संस्थानों या

उत्तरदाता 55 वर्ष से ऊपर के थे। औसत आयु 28. 58 और मध्य आयु 27 वर्ष है।

20 सरकारी अधिकारी, 14 गैर–सरकारी या सिविल सोसायटी के संगठनों के, 13 सामाजिक कार्यकर्ता, 8 सार्वजनिक या निजि संस्थानों में काम करने वाले, 6 श्रमिक नेता, 3 शिक्षाविद और 10 उद्यमी व धार्मिक नेता और अन्य श्रेणियों के लोग शामिल थे।

शिक्षा, धर्म और सामाजिक श्रेणी

140 उत्तरदाता (20%) अशिक्षित हैं। लगभग 419 (20%) मध्य विद्यालय तक की भी पढ़ाई नही की है। 37 उत्तरदाता स्नातक की पढ़ाई कर पाए हैं, जिनमें से 5 स्नातकोत्तर पूरा किया था। 37 विश्वविद्यालय उत्तरदाताओं में से, 33 उत्तरपूर्व राज्य, उत्तर प्रदेश, उतराखंड और पश्चिम बंगाल से हैं।

मानचित्र 3.2: शैक्षणिक स्थिति

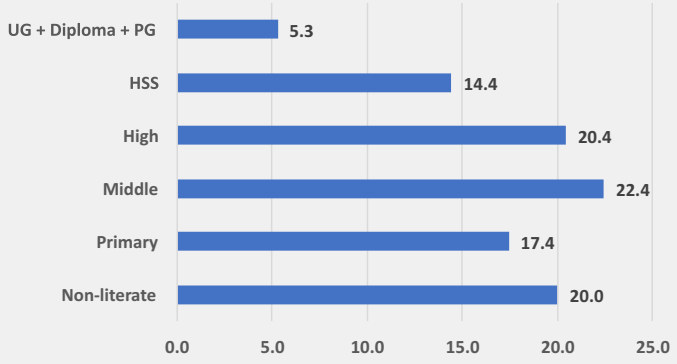

488 (69.7%) हिन्दू हैं, 87 (12.4%) ख्रीस्तीय, 65 (9.3%) सारना (इन्डीजिनीयस धर्मावलंबी) और 60 (8.6%) मुस्लिम हैं। ईसाई उत्तरदाताओं में, बहुसंख्यक उत्तरपूर्व राज्यों झारखण्ड, और उड़ीसा से हैं। सारना धर्म मानने वाले छतीसगढ़, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल से हैं और मुस्लिम असम, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से हैं।

समाजिक श्रेणी के संदर्भ में 140 (20%) उत्तरदाताएँ, दलित (अनुसूचित जाति), 243 (34.7 %) आदिवासी,/मूलनिवासी (ST), 195 एवं 96 ओ बी सी और सामान्य जाति के हैं।

26 उत्तरदाताओं के लिए कोई सामाजिक श्रेणी उपलब्ध नहीं है, जिसमें 9 पश्चिम बंगाल से, 8 उतरपूर्व राज्य से, 3 असम से और उत्तर प्रदेश एवं बिहार, झारखण्ड एवं मध्य प्रदेश से एक–एक। दलितों में 117 बिहार, उडीशा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से हैं। 241 आदिवासी बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड को छोड़ दूसरे राज्यों से हैं। जबकि अन्य पिछड़े राज्यों और उत्तराखण्ड के आलावा 11 राज्यों में ओबीसी समुदाय के उत्तरदाताओं का प्रसार किया गया है। सामान्य जातियों के उत्तरदाता असम, उत्तर प्रदेश, उतराखण्ड और पश्चिम बंगाल से हैं।

उत्तराखण्ड के उत्तरदाताओं में से 19 सामान्य जाति से हैं। 11 उत्तरदाताओं के लिए 60 मुस्लिम उत्तरदाताओं में से, सामाजिक श्रेणी उपलब्ध नहीं थी। 49 उत्तरदाताओं में से 21 ओबीसी से थे और 28 सामान्य जाति से थे।

71 महिला उत्तरदाताओं में, 37 (52.1%) आदिवासी / मूलवासी समुदायों से हैं, 15 उत्तरदाता ओबीसी और 9 दलितों से हैं। 5 सामान्य जाति के हैं और बाकी 5 के लिए ऑकड़ा उपलब्ध नहीं था।

यह आदिवासी / मूलवासी समुदाओं में महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, स्वावलंबन और सम्मान का संकेत देता है। 71 महिला उत्तरदाताओं में से 64 हिंदु या ईसाई धर्म का अनुसरण कर रही हैं।

उत्तरदाताओं के प्रोफाइलिंग से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रवासियों में से अधिकांश प्ररूष, युवा और बहुत कम पढ़े लिखे हैं। धर्म या सामाजिक श्रेणी उनके लिए अधिक मायने नही रखती है। हालांकि 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता या तो दलित समुदाय से हैं या आदिवासी समुदायों से हैं। कठिन परिश्रम करने के लिए प्रवासन के प्रमुख मानदंडों में से एक शारीरिक सहनशक्ति हैं जो आदिवासी समुदाय के युवाओं पायी जाती है।

जगह और काम की प्रकृति और वेतन मान पद्धति

10 संभावित गंतव्य राज्यों की पहचान की गई, और उत्तरदाताओं को उन राज्यों को चुनने के लिय कहा गया, जिनमें उन्होंने पिछले एक साल से काम किया था, तीन दिए गए विकल्प। प्रति कियाओं के लिए 779 मामले थे। केवल 79 ने कहा कि उन्होने एक से अधिक राज्यें में काम किया था। प्रवासियों के लिए प्रमुख आकर्षक राज्य कर्नाटक, महाराष्ट, दिल्ली और गुजरात हैं। उत्तरदाताओं में से 5 प्रतिशत से अधिक लोगों ने राजस्थान, तामिलनाडु,

मानचित्र 3.3 पिछले एक वर्ष की स्थिति जहाँ उत्तरदाताओं ने जिन राज्यों में काम किया।

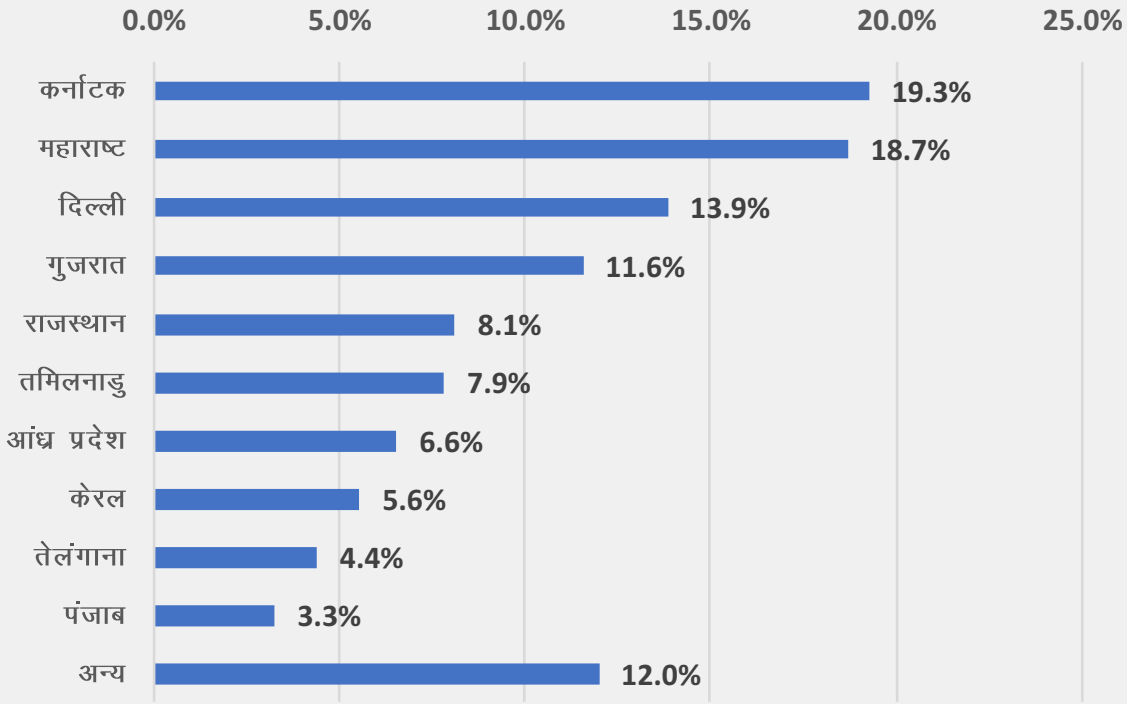

नोटः जब कोई प्रश्न बहुविकल्पी होता है, तो कुल प्रतिशत मामले में उत्तरदाताओं की संख्या के अनुपात में, प्रतिक्रियाओं की कुल संख्या पर निर्भर करते हैं। यह 100 प्रतिशत से उपर जा सकता है, क्योंकि प्रतिक्रियाओं की कुल संख्या उत्तरदाताओं की कुल संख्या से अधिक होने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में काम किया है। श्रेणी 'अन्य' 12 प्रतिशत इंगित करता है कि कुछ उत्तरदाताओं ने अन्य भातीय राज्यों में काम किया है, जिनमें उनके मुल राज्यों के अलावा उत्तर भारतीय अन्य राज्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए 19 वर्षीय दमन मुंडा, जो कछार, असम के चाय बगानों के रहने वाले है ने झारखण्ड के धनबाद में एक कोयला खदान में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं, जो रू 8000 प्रति माह कमाते हैं। झारखण्ड के कुछ उत्तरदाताओं ने हरियाणा में काम किया और कुछ अन्य ने ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में काम किया।

मानचित्र 3.4: कार्य की प्रकृति

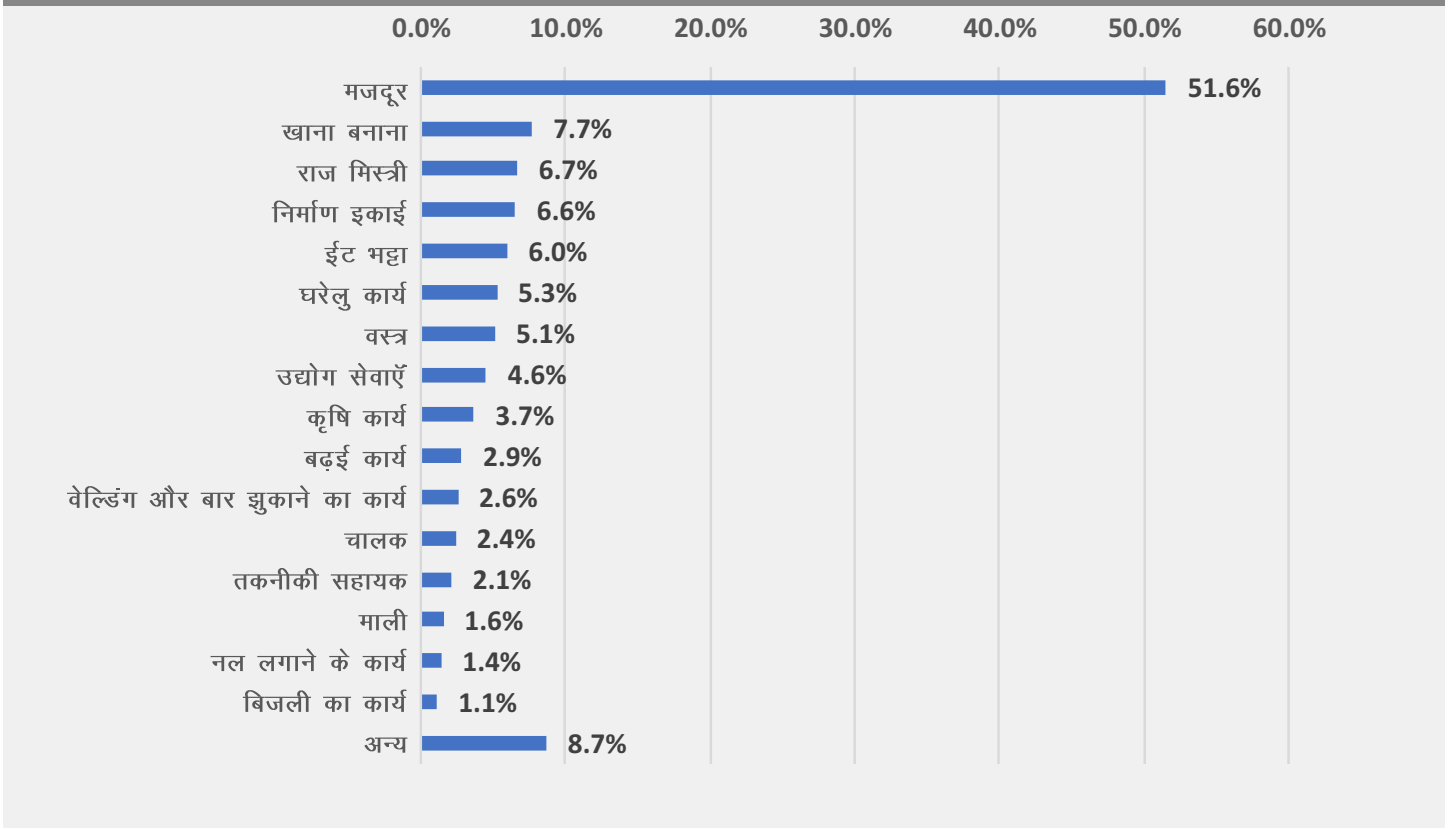

प्रवासियों के बीच काम का प्रकृति की पहचान करने के लिए, उत्तरदाताओं को दो प्रमुख व्यवसाय चुनने के लिए 17 विकल्प दिए गये थे। 841 लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दर्ज कराई। इसका मतलब, केवल 141 उत्तरदाताएँ दो अलग–अलग कार्यों में लगे हुए थे। मजदूरों के काम में 361 (51.6 प्रतिशत मामले) अपनी प्रतिक्रियाएँ दी थी। ये प्रतिक्रियाएँ उत्तरदाताओं की संख्या के लगभग बराबर थीं। दूसरे शब्दों, जो मजदूर काम में लगे थे, वे ज्यादातर अकुशल मजदूर थे, जो बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य उद्योग में लगे हुए थे। सर्वे से स्पष्ट होता है कि जितने भी कार्य करने प्रवासी मजदूर काफी हद तक साक्षरता और रोजगार कौशल के निम्न स्तर वाले युवा पुरूष हैं। प्रत्येक मामले में 5 प्रतिशत से अधिक (40 से 50 के बीच प्रतिक्रियाएँ) को होटल में खाना पकाने, राज मिस्त्री के कार्य, ईट भट्टा, घरेलु कार्य और कपड़ा उद्योग के कार्य से जुड़े हुए हैं।

लगभग 135 प्रतिक्रियाएँ राज मिस्त्री, बढ़ई के कार्य, वेल्डिंग, बार झुकाने, वाहन चालक, तकनीकी सहायक, नल लगाने के कार्य और बिजली कार्य से जुड़े हुए थे। सुरक्षा गार्ड अन्य कार्यों या नौकरियों के अलावा एक विशेष श्रेणी में से एक था। 71 महिला उत्तरदाताओं में से 88 प्रतिक्रियाएँ महिला उत्तरदाताओं से थे। महिला उत्तरदाता आमतौर पर मजदूर (24), घेरलू काम (21), कपड़ा उद्योग (10), अर्जित सेवाएँ (8), खाना पकाने का कार्य (4), कृषि कार्य (3), बागवानी (2), निर्माण कार्य (2), और अन्य कार्य (8)।

मानचित्र 3.5: वेतन पैटर्न

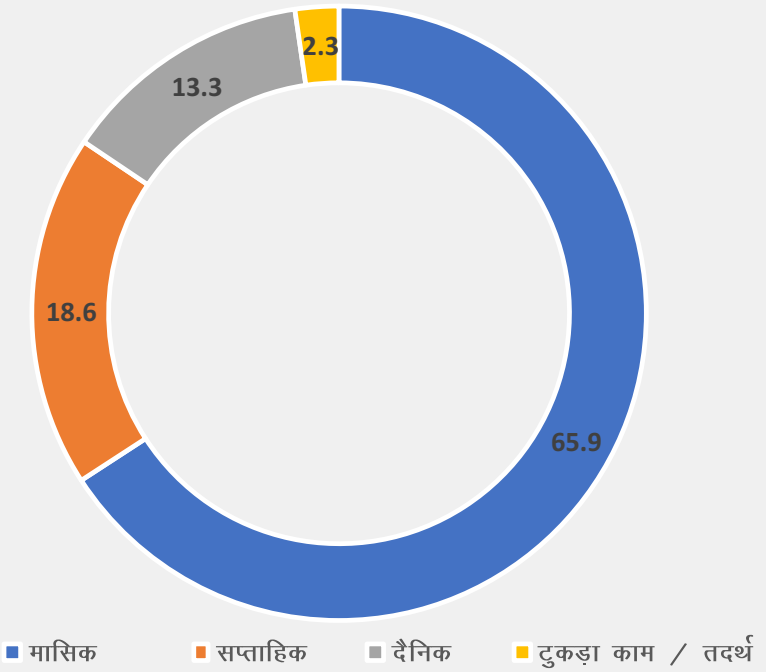

461 (65.9%) उत्तरदाताओं को मासिक वेतन प्राप्त हुआ और 130 (18.6%) को साप्ताहिक वेतन प्राप्त हुआ। लगभग 109 (15.6%) ने दैनिक मजदूरी या छोटे–छोटे काम किया। ये संख्या दर्शाती है कि अधिकतर मजदूरों को मासिक या साप्ताहिक मजदूरी के लिए रखा गया था। औसतन, पुरूष प्रवासियों को मासिक आय 7000 से 12000 रूपये के बीच मिलती है। महिला प्रवासियों ने बहुत कम कमाई की, विशेष वे महिलाएँ जो घरेलू काम में लगे थे केवल 3000 रूपये मासिक कमाए। कुछ महिलाओं का जीवन यापन हेतु अधिक घंटों तक काम करना पड़ा या एक से अधिक परिवारों में काम करना पडा़। शुरू में मनरेगा के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अधिकतम 200 रूपये कमाता था जो मुश्किल से वर्ष में 100 दिनों के लिए ही था। कई प्रवासियों ने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन घोषित हुआ बहुत से न्योक्ताओं ने अचानक घोषणा की – कोई काम नही और कोई भुगतान नहीं।

कुछ न्योक्ताओं/मालिकों ने काम के अंतिम दिन तक भुगतान किया बिना किसी मार्गदर्शन या सुरक्षा का। बहुत कम न्योक्ताओं ने श्रमिकों को कार्य स्थल पर रहने की अनुमति दी और उन्हे भोजन प्रदान की। इस प्रकार की अचानक परिवर्तन, कई प्रवासियो द्वारा पचाया नहीं जा सका, जिन्होने भारी बोझ के साथ लंबी दूरी की यात्रा की और जिन्हें परिवार की जरूरत पूरी करने की अवश्यकता थी। चूंकि सरकार के पास मजदूरों के बारे कोई ऑकड़ा उपलब्ध नही था। अतः श्रमिकों की व्यथा या मुश्किलें धीरे–धीरे मिडिया द्वारा सार्वजनिक पटल पर किया गया। फिर बहुत जल्द, हितों के छिपे हुए, अप्रभावित और गैर–मान्यता प्राप्त लाखों प्रवासियों व्यथित कथाओं ने अखबारों के पहले पन्ने पर कब्जा कर लिया।

मानचित्र 3.6: गंतव्य पर कार्य करने के वर्षों की संख्या

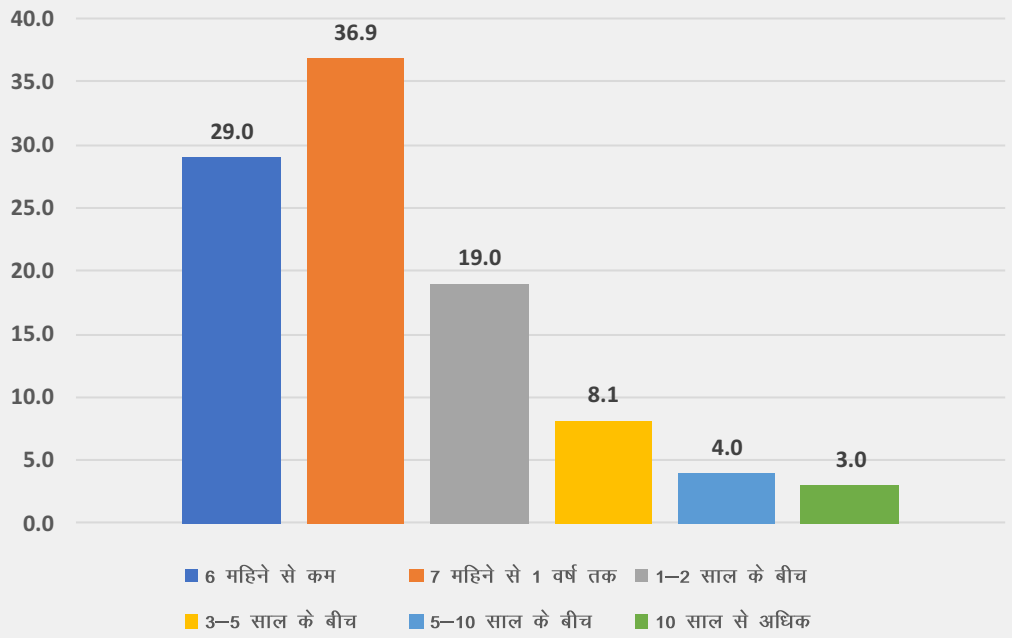

तालिका 3.6 प्रवासी द्वारा कार्य क्षेत्र या गंतव्य में बिताए गए वर्षों के संदर्भ का विवरण देता है। जैसे कि चार्ट स्पष्ट से दर्शाता है लगभग 65.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एक वर्ष से कम समय बिताया है। दो वर्ष के बाद प्रवासी मजदूरों की संख्या में प्रगतिशील गिरावट आई है। इसका मतलब है, स्थाई निवास के मद्देनजर, शायद ही कुछ प्रवासियों ने अपने मूल निवास को छोड़कर दूसरे राज्य गया हो। उनकी हार्दिक इच्छा बस यही है कि कुछ रूपये कमा कर परिवार के बुनियादी जरूरतों को पूरा करना जैसे बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों के ऋण एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना। इसके अलावा कई मूल राज्यों में केवल मौसमी कार्य ही संभव है जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नही थे। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में जातिगत अत्याचारों के कारण कई लोग पलायन कर गए।

उनके जैसे लोगों के लिए, भविष्य को सुरक्षित रखने की तुलना में प्रवासन निःसंदेह जीवित रहने का एकमात्र मजबूरण विकल्प है।

1. लॉकडाउन और अपने मूल निवास स्थान की ओर वापसी के दौरान चुनौतियों का सामना

राज्यविहीन नागरिकों का पलायन।

24 मार्च से प्रवासियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 15 अप्रैल 2020 को दूसरा लॉकडाउन की घोषणा होने पर वे उन राज्यों से गायब हो गए जिन राज्यों में वे काम करते थे। पिछले तीन सप्ताह तक वे किसी प्रकार अपने थोड़ा से बचत से अपनी जरूरतों को पूरा किया और भोजन के रूप में प्राप्त होने वाले सामग्री भी कम पड़ गए। 'परिवार के सदस्यों ने किसी अन्होनी की आशंका में बार बार फोन कॉल करने लगे कि आप वापस आ जाइए, हम आपको देखना चाहते हैं। जीवन खोने का डर और एक साथ जुड़े रहने की इच्छा ने सभी को जकड़ लिया। यह एक प्रकार से सदमा या मांसिक आघात और पीड़ा का समय था। सरकार प्रवासियों के दर्दनाक अनुभवों के प्रति सचेत हुए बिना लॉकडाउन

रणनीतियों में बहुत व्यस्त हो गई और प्रवासियों की मदद के लिए कोई ख़ास योजना नहीं बनाई थी। सरकार की ओर से संवेदनशीलता में कमी थी। प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन करते हुए, बहुतों ने खुद को बंद कर लिया। प्रवासियों को खुद को अनलॉक करने, घर लौटने के तरीकों और साधनों के लिए स्वयं मजबूर होना पड़ा।

प्रवासियों को पता था कि उनके घर वापस जाने की राह असान नहीं था क्योंकि उनके लिए कोई ट्रेन या बस सुविधा नहीं थी। सभी ने कल्पना करना शुरू कर दिया किवे घर पहुच गये और अपने प्रियजनों को देख लिया हैं।

उनकी ये कल्पनाएँ उन्हें शक्ति और दृढ़ इच्छा जागृत करते हुए लम्बी और कठिन यात्रा के लिए दृढ़ संकल्प को बढ़ाया।

उनके दिल दिमाग में किसी भी प्रकार से घर पहुचने की इच्छा इतना प्रभावी हो गया था कि वे कैसे घर पहुँचें की चिन्ता छोड़ दिए। इसके बाद कार्य क्षेत्र से पलायन शुरू हो गया। मानवाधिकार मानको द्वारा प्रवासी अपने ही राज्य में 'बिना राज्य के नागरिक' कहलाने लगे। उनका कोई स्थायी निवास न होने जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई ।

मानचित्र 3.7 : ऑकड़ा जमा करने के दौरान उत्तरदाताओं के स्थान की स्थिति

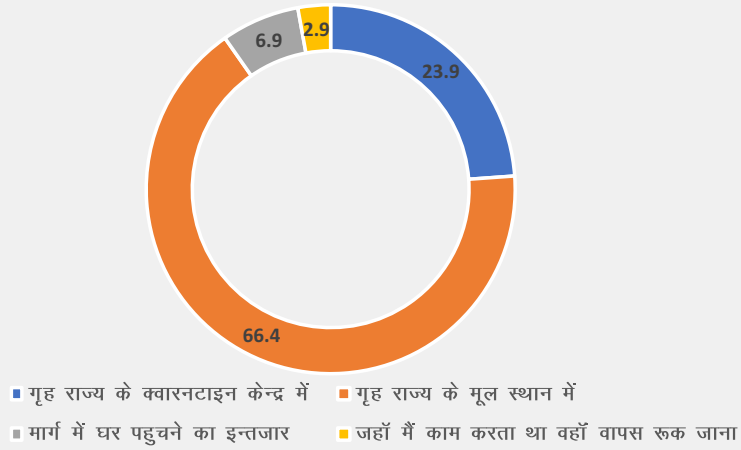

10 जून 2020 तक जब ऑकड़ा एकत्र किया गया था, लगभग 167 (23.9%) उत्तरदाता अपने मूल राज्य के क्वारंटाइन केन्द्र में थे और 465 (66.4%) अपने घर पहुच चुके थ। गुड्डू राजभर, उम्र 19 वर्ष जो बिहार के बक्सर जिले से थे ने कहा, "गुजरात के झोपड़ियों में रहने वालों से भी बदतर क्वारंनटाईन केन्द्र था। कोई भोजन नही, न बिस्तर, न स्वास्थ्य की सुविधा और न ही पीने की पानी की व्यवस्था। इन सबके बावजूद थी। मुझे कोई बुरा नही लगा क्योंकि मुझे जल्द से जल्द घर पहुचने की तीव्र आशा थी।

700 उत्तरदाताओं में से लगभग 48 (6.9%) काम करने की इच्छा से गंतव्य स्थान पर इंतजार कर रहे थे और 20 (2.9%) अपने कार्य क्षेत्र पर रहे और ऑकड़ा संग्रह के दौरान यात्रा करने इच्छा जताई। 48 उत्तरदाताओं मे से केवल 31 उत्तरदाताओं ने यात्रा और प्रतिक्षा के लिए सरकारी पोर्टल पर पंजीयन कराया। अन्य लोग खुद को पंजीकृत करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 20 उत्तरदाताओं जिन्होने वापस रहने की इच्छा जताया था उनमें से करीब 15 लोगों को किसी दूसरे कार्य में लगाया गया इसलिए इस खण्ड में लिखित बातें केवल 632 प्रवासी उत्तरदाताओं के लिए लागू होगे।

यात्रा के दौरान प्राप्त अनुभव

लम्बी यात्राओं के किसी भी प्रकार की परिवहन सेवाओं की सुविधा उपलब्ध नही था, क्योंकि ट्रेन सेवाएँ निलंबित थी। वर्त्तमान परिथिति के अनुसार प्रवासियों ने विभिन्न संयोजित तरीकों को अपनाया और अपने घर के लिए निकल पड़े। यात्रा व्यवस्था ने राजनितिक तूफान खड़ा कर दिया। केन्द्र और राज्य सरकारें इस बात पर सहमत नहीं हो सकी कि प्रवासियों के लिए यात्रा मुफ्त थी या उसकी यात्रा भाड़ा भुगतान की जिम्मेदारी कौन लेगा। जबकि सार्वजनिक पटल में संदेश दिया गया था कि,

''ट्रेनों में प्रवासियों के लिए लागत–रहित यात्रा की सुविधा थी'' कई प्रवासियों को भुगतान के लिए मजबूर किया गया था, यहाँ तक कि सामान्य किराया की दोगुनी राशि देना पड़ा। ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा पूरी की पूरी गड़बड़ रही। यहाँ तक कि ट्रेन से यात्रा करने वालों को कुछ दूरी तक चलना पड़ा था क्योंकि ट्रेन का परिचालन चुनिंदा स्थानों से ही किया गया था। उदाहरण के लिए, मैसूर के श्रमिकों को ट्रेन पर चढ़ने के लिए लगभग 150 किमी. दूर बेंगलुरू जाना पड़ता था। जबकि कुछ प्रवासियों ने मुफ्त यात्रा की और बहुतों को बाहर निकाल दिया गया। कुछ प्रवासियों ने हजारो किलामीटर तक पैदल चलने का फैसला किया, और कुछ ने साइकिल या दोपहिया वाहनों से यात्रा की। कुछ लोरियों और सामानों के साथ मिल गये। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि सुप्रीम कार्ट में कई याचिकाएँ दायर होने के वावजूद, केवल 9 जून 2020 तक, कोर्ट ने मुफ्त और व्यवस्थित रूप से परिवहन के लिए आदेश दिया और राज्यों ने कहा कि वे अपने प्रवासियों के पुनर्वास के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और रोजगार योजनाएँ बनाए तथा उन्हे वापस रिपोर्ट करें। इस कदम का कई लोगों ने स्वागत किया, हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो लोग यात्रा के दौरान पकड़े गए थे, वे सबसे अधिक प्रभावित हुए और कुछ लोगों ने हार मान कर खुद को खो दिए। वास्तव में कोई भी उनकी परवाह नहीं करता था सिवाय कुछ मानवीय समाज सेवियों या एजेसिंयों के जो उन्हें यात्रा के दौरान रास्ते में भोजन और पानी उपलब्ध कराते थे।

मानचित्र 3.8 : घर पहुचने का साधन।

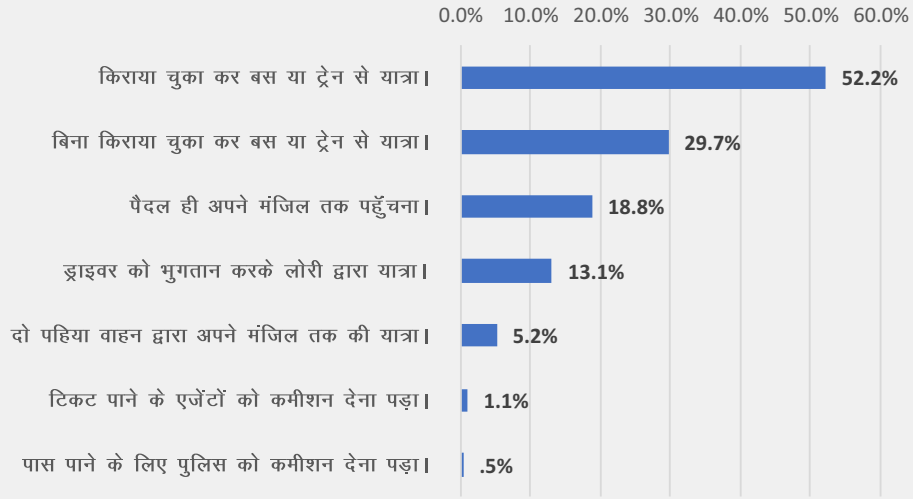

763 उत्तरदाताओं में से 632 उत्तरदाताओं ने प्रतिक्रियाएँ दी थी। चार्ट 3.8 दर्शाता है कि 330 (52.2%) उत्तरदाताओं ने अपनी लम्बी यात्रा के लिए भुगतान किया है। केवल 188 (24.6%) उत्तरदाता, जो एक चौथाई से कम हैं ने संकेत दिया कि वे ट्रेन या बस से मुफ्त में यात्रा किये। यह चौंकाने वाला बात है कि 119 (18.8%) ने हजारों किलामीटर की दूरी पैदल ही तय की। 83 उत्तरदाताओं ने चालक को भुगतान कर लोरी या कंटेनरों वाली वाहन से यात्रा करने में कामयाब रहे। उनमें से 33 या तो साईकिल या दो पहिया वाहन से अपने मूल स्थान तक की यात्रा किया। लगभत 10 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उस असहाय परिस्थिति में भी, उन्हे बिचौलियों और पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी। कई उत्तरदाताओं ने यात्रा के दौरान झेले गए भयानक पीड़ा को सुनाया, विशेष रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते वक्त बिताये गये दिनों को याद किये और घर तक पहुचने के पहले अंतिम मील के कठिन परिस्थितियों का सामना करने अनुभव का कड़वा सच बताया। श्रमिक ट्रेनों से यात्रा करने के बावजूद, कुछ लोगों को घर तक पहुचने के लिए 100 किलोमीटर तक

पैदल चलना पड़ा। कुछ लोग जो भुवनेश्वर में उतरने के ख्याल से चढ़े, लेकिन आखिर कर वे झारखण्ड के हटिया में उतरे।

आगे जांच करने पर पता चला कि 20.7 उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, 6.6 प्रतिशत को बिचौलियों द्वारा धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा, 5.9 प्रतिशत लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और 5.5 प्रतिशत लोगों को पुलिस द्वारा पीटा गया। इस प्रकार कई लोगों विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से गुजरे। हालांकि लगभग 450 उत्तरदाताओं (71.2 प्रतिशत) को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का सामना नही करना पड़ा।

''मैं कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित एक छोटे से शहर बागपल्ली से हूँ। जब प्रवासियों ने आनंदपुर की ओर राजमार्ग पर चलना शुरू किया, कृषि विकास और प्रशिक्षण सोसाइटी (*ADATS*) के कर्मचारियों के सहयोग से, मैं उनके पास पहुचा। 16 मई 2020 को, जब कुछ युवा प्रवासियों ने हमें देखा, तो वे खुद को छिपाने के लिए झाड़ियों की ओर भाग गए। हमने बड़ी सावधानी से उनका पीछा किया और उन्हे विश्वास दिलाया कि हम उनकी मदद करने के लिए आए हैं। युवकों ने हाथ जोड़कर और अपने घुटनों के बल गिर कर कहने लगे, कृपया हमें मत मारो।'' उन्होने हमें बताया कि देवनहल्ली टोल के पास पुलिस उनकी पिटाई की । कुछ समय के लिए हमारे कर्मचारियों ने 'सोशल डिस्टन्सिंग' को दरकिनार करते हुए उनके कंधों पर अपना हाथ बढ़ाया। फिर हमारी टीम ने रोटियॉ, केले और पानी के बोतल बांटे। राहत और अविश्वास के दुर्लभ मिश्रण से सभी टूट गए थे। हमने प्रत्येक को उनकी यात्रा के रू 500 दिए, जिसे हमने कई उदार लोगों की मदद से एकत्र किया था। उनमें से एक ने कहा, ''आप लोगों की वजह से मानवता बची हुइ है, दिल से आप लिए मेरी दुवाएँ। मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा। श्री. शुजैतुल्ला, आईएसआई बेंगलुरू के कर्मचारी।

''घर वापसी की यात्रा उतनी सुखद नही रही। जैसे कि आप जानते हैं दूसरा कोई अन्य विकल्प नही बच गया था, मैने बस से यात्रा करने का विकल्प चुना। हम लोग ओड़िशा के सुन्दरगढ़ जिले के 28 पुरूष और 3 महिलाऍं थे। सुन्दरगढ़ जिले के कुछ नव युवक जो बेंगलुरू में काम करत थे, उन्होने हमारे घर वापसी की यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्था की। मैं तनाव के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कष्ट का सामना किया। बस में यात्रा के ढाई दिनों ने मेरी सेहत को खराब कर दी। आई. एस.आई. बेंगलुरू ने हमारी यात्रा की आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान की और धर्म संघीय बहनों ने सुन्दरगढ़ जिले में हमारे क्वारंनटाइन की आवश्यक व्यवस्था कर हमारी अच्छी देख भाल की, सुश्री पुर्णिमा केरकेट्टा ने कहा, ''जो बेंगलुरू में रू.9000 प्रति महिना कमाती थी ओर उनमें से 6700 रूपये प्रति माह घर भेजा करती थी।''

श्री रवि राय, उम्र 48 वर्ष, दशमंतपुर, कोरापुट, ओडिशा के मूल निवासी ने अक्टूबर 2019 में काकीनाड़ा, आन्ध्र प्रदेश के लिए रवाना हुए। वह 12000 रूपये की मासिक आय के साथ एक निजी कंपनी में खाना बनाने के कार्य में लगे थे। वह अपने निजी खर्च को निपटाते हुए कम से कम 3000 रूपये प्रति माह अपने परिवार के लिए भेजते थे। जब लॉकडाउन बढ़ाया गया, तो उन्होने 5 मई 2020 को काकीनाडा से पैदल यात्रा शुरू की और 20 मई 2020 को दशमंतपुर पहुंचे। वर्तमान में, वह कुछ नही कर रहा है और दशमंतपुर में अपने ही गॉव में एक टिफिन सेवा शुरू करने की सोच रहा है। उनकी पत्नि गांव में एक दैनिक मजदूर के रूप में काम कर रही है।

यह केवल यात्रा के दौरान जुझी गई कहानी नहीं थी, कुछ के लिए तो कार्यस्थल स्वयं भी एक बुरा सपना था। पॉच आदिवासी प्रवासियों जो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के थे, उन्हे एक बिचौलियों के लंबे वादों के साथ कर्नाटक के कुर्ग में कॉफी स्टेट में काम करने के लिए जनवरी 2020 में भर्ती किए गए थे। "एक महिने में अनुभव किया कि हम एक बंधुवा मजदूर की स्थिति में आ गए हैं। कार्य के पहले दिन, स्टेट मालिक ने हमें हमे मूल मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड जमा करने के लिए कहा। स्टेट के मालिक ने महिला के 6000 रूपये प्रति माह और 7000 रूपये प्रति माह पुरूषों के लिए भुगतान करने का वादा किया। लेकिन भुगतान नही किया गया और मालिक अतिरिक्त घंटे कार्य करने का मांग करने लगा। प्रतिरोध करने के फस्वरूप मौखिक और शारीरिक हिंसा तक का नौबत आ गया। हम किसी से मदद नहीं ले सकते थे क्योकि हम स्थानीय भाषा के साथ बात चीत नही कर सकते थे। सिलीगुड़ी से हमारे एक रिश्तेदार ने भारतीय सामाजिक संस्थान के कार्यकर्ता बेंगलुरू से सम्पर्क किया। श्रम पलायन प्रवासन युनिट के कर्मचारियों ने हमसे सम्पर्क किया। गहन वार्ता के बाद, स्टेट मालिक ने हम तीनों को मुक्त करने के लिए सहमत हो गया क्योंकि मैं 6 महिने की गर्भवती थी। हम 22 जून 2020 को बेंगलुरू पहुचे । यात्रा के लिए फिटनेस का पता लगाने हेतु हमें मेडिकल जांच से गुजरने में मदद की गई। व्हाइट फिल्ड राइजिंग ट्रस्ट, बेंगलुरू हमारी फ्लाइट टिकट बुक करके सुरक्षित घर वापसी में सहायता के लिए आगे आया। 24 जून को हमें बेंगलुरू हवाई अड्डे पर पहुचाया गया। मैं कर्नाटक काम करने के लिए नही लौटूंगी, क्योंकि मैने कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न का अनुभव किया है, गर्भवती महिला ने कहा।"

मानचित्र 3.9 : यात्रा खर्च के लिए वित्तीय स्रोत

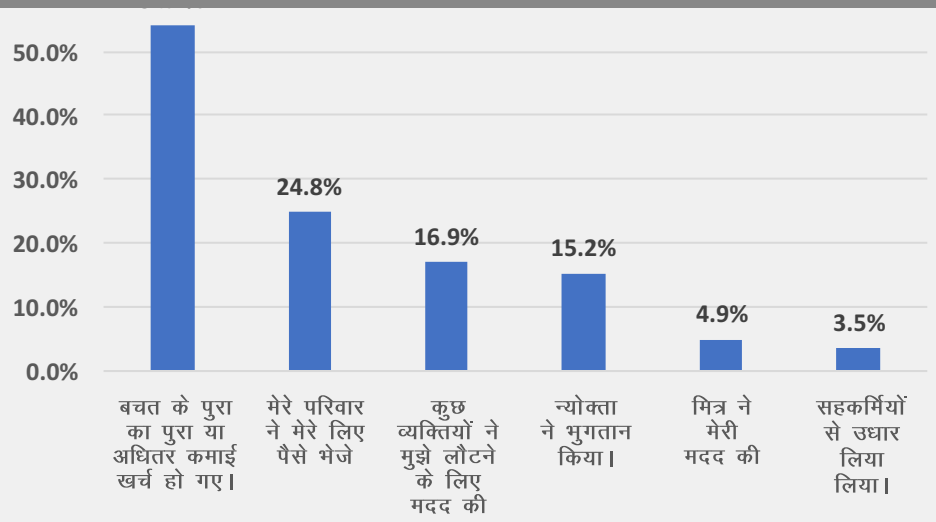

अधिकांश उतरदाताओं ने अपनी सारी बचत लॉकडाउन के दौरान खर्च कर दिय, जो वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पुरा करने के लिए घर भेजने वाले थे। 632 उतरदाताओं द्वारा 755 प्रतिक्रियाएँ बताई गई। 342 प्रतिक्रियाओं (54.1% मामलों) ने उतरदाताओं को संकेत दिया कि उनके पास अब कुछ नही बचा है तीन सप्ताह के अन्दर सभी बचत समाप्त हो चुके हैं और मई के पहले सप्ताह तक उनके पास कुछ भी नही बचा था। यह वास्तविकता अन्य संकेतकों द्वारा पुष्टी की गई थी। यह अकेले ही कार्य क्षेत्र से वापस लौटने की बात नही था, लेकिन एक बड़ी आबादी अपने कार्य क्षेत्र से अपने मूल स्थानों की ओर यात्रा कर रही थी। काम छोड़ने के कारण पैसे वापस करने का भी नौबत आया। 157 (24.8% मामलों) ने संकेत दिया कि वे अपने परिवारों से रूपये मांगे और कुछ 31 (4.9% मामलों) अपने दोस्तों से कुछ वितीय सहायता की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। कुछ परिवारों ने अपने प्रियजनों को वापस लाने के लिए उधारदाताओं से पैसे उधार लिया। कुछ जाने–माने

लोगों के और शुभचिन्तकों और दोस्तों के व्यक्तिगत अनुरोध से प्रतीत होता है कि 138 प्रतिक्रियाओं के अनुसार काम किया है। अन्य 22 प्रतिक्रियाओं ने संकेत दिया है कि उन्होने अपने साथी और सहकर्मियों से उधार लिये थे। महाराष्ट्र (20), तमिलनाडु (15), गुजरात (12), और दिल्ली (10) में काम करने वाले उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके न्योक्ताओं ने यात्रा लागत का वहन किया था। यह विडंबना है कि महाराष्ट्र में गन्ना काटने वाले प्रवासियों को न केवल उनकी यात्रा के लिए भुगतान नही किया गया था, बल्कि लॉकडाउन अवधि से पहले लंबित मजदूरी के भुगतान से भी इनकार कर दिया गया। (यह सुश्री मेधा पाटकर के 21 जून 2020 के साक्षात्कार से पता चला)

कोरोना वाहक के रूप में शक किया जाना

632 उत्तरदाताओं में से, 428 (67.7%) ने कहा कि उन्हे उदारता से अपने समुदायों द्वारा मूल स्थान में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। लगभग 204 (32.4%) ने बताया कि उन्हे अपने समुदाय द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नही किया गया। इन 204 उत्तरदाताओं में से 176 ने स्पष्ट कहा कि उन्हे कोरोना वायरस का वाहक होने का शक था, जो कुल वापसी का 27.8 प्रतिशत था। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रवासियों की एक बड़ी आबादी को कार्य स्थल पर, यात्रा के दौरान और अपने समुदाय के सदस्यों के द्वारा कई अस्वीकृति का अनुभव प्राप्त हुआ था।

यह 40 वर्ष की रामधनी की कहानी है, जिसने पिछले डेढ़ साल से मुंबई की एक फैक्ट्री में काम किया। ''महामारी के कारण मैने अपनी नौकरी खो दी और मुंबई में जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अपना पैत्रिक गांव है लौटने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नही बचा था। जैसा कि मैं पैसे की कमी से जूझ रहा था, मैने अपने दो दोस्तों के साथ पैदल ही चलने का फैसला किया। नागपुर राजमार्ग पर 72 घंटे के थकाऊ 200 किलोमीटर की यात्रा के बाद हमने एक ट्रक को रोका, मुंबई से कानपुर जा रहा था। ट्रक चालक ने हमें प्रयागराज पहुंचाने के लिए 15000 रूपये की मांग की। किसी तरह, हमने सामुहिक रूप से उतनी राशि का प्रबंध किया और ट्रक चालक को भाड़े का भुगतान किय। प्रयागराज पहुचने के बाद, मुझे अपने गॉव तक लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। एक बार फिर मैंने अपने गांव की ओर चलने लगा। मैं अपने आप से कह रहा था कि मैं सुरक्षित हूँ और अपने निकट एवं प्रियजनों से मिल सकुंगा। लेकिन जब मैंने गांव कदम रखा, तो गांव वालो ने मुझे रोक लिया। मेरे परिवारों और ग्रामीणों द्वारा मेरा स्वागत नही किया गया। मुझे रामलीला मैंदान में गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने उन्हे मुंबई से प्राप्त कोविद–19 जांच का सर्टिफिकेट, जिसका परिणाम नकारात्मक था दिखाया। मैं इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि पूरे गॉव कोविड–19 के भय से ग्रसित था। सभी ने मुझे 'कोरोना' कहा। मैंने क्वारंटाइन अवधि के 21 दिन पूरा किया और फिर मुझे जो चिकित्सा प्रमाणपत्र कोविड–19 नकारात्मक मिला था उसे गॉव के नेताओं को दिखाया, तब जाकर ग्रामीणों ने मुझे अपने गॉव में रहने की अनुमति दी।''

मूल राज्य द्वारा नकदी सहायता पर जागरूकता।

प्रवासियों की दुर्दशा का एहसास करते हुए, कई राज्य सरकारें नकद राशि हस्तान्तरण के साथ सामने आई । निवास प्रमाणपत्र और मूल स्थान का पता और बैंक विवरण पूछने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया था। डेटा संग्रह के दौरान बहुत से राज्यों ने स्थिति का अध्ययन किया और निम्नलिखित राज्यों ने सहायता प्रदान की : असम 2000 रूपये, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों (मेघालय 3000 रूपये, मणिपूर 2000 रूपये, नागालैंड 4000 रूपये, सिक्किम 2000 रूपये, अरूणाचल प्रदेश 3500 रूपये), बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल 1000 रूपये प्रत्येक व्यक्ति के खाते में भेजने का योजना बनाई।

छतीसगढ़, ओड़िशा और उत्तराखण्ड में ये योजना नही थी। 700 उतरदाताओं में से 526 उतरदाता उन राज्यों से थे जहॉ से नकद राशि द्वारा सहायता प्रदान करने की योजना थी।

तालिका 3.2 जागरूकता, पंजीकरण और नकद राशि हस्तान्तरण प्राप्त किया।

	N	%
सरकार के द्वारा नकद हस्तान्तरण के स्रोत की जानकारी	186	35.4
पंजीकृत होने वाले प्रवासी	120	22.8
प्रवासी जिन्हे सहायता प्राप्त हुआ	71	13.5

तालिका 3.2 के अनुसार केवल 526 उत्तरदाताओं में से केवल 186 (35.4%) को सरकार के द्वारा नकद राशि हस्तान्तरण के बारे में जानकारी थी। हालांकि केवल 120 (22.8%) ने खुद को पंजीकृत किया।

अन्त में, केवल 71 (13.5%) प्रवासियों को सहयोग राशि प्राप्त हुआ। उत्तरदाताओं से पूछा गया कि इस नकद राशि योजना के बारे में जानकारी होने के बावजूद कुछ उत्तरदाताओं ने पंजीकरण क्यों नही कराया।

मानचित्र 3.10 : पंजीकरण नहीं करने के कारण

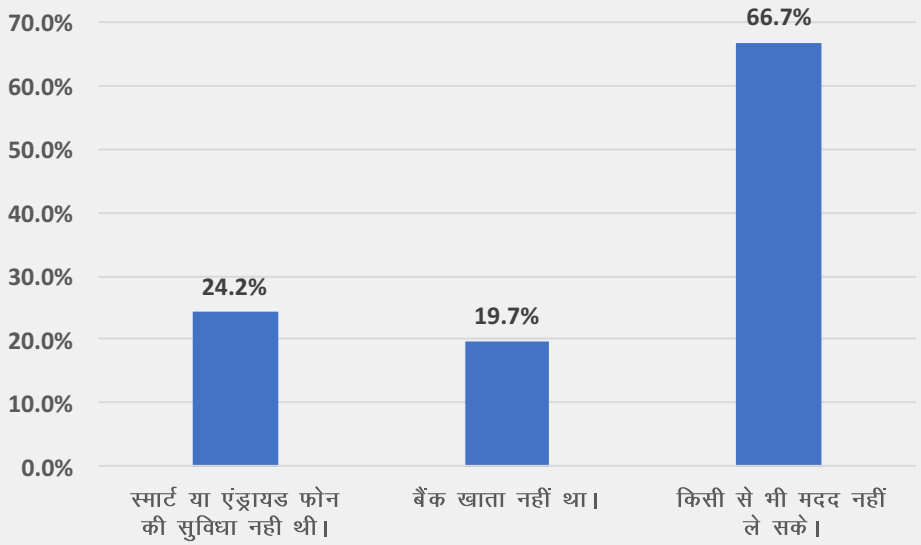

कुछ विद्वानों का मानना है कि बहुत से प्रवासियों के पास मोबाईल फोन है जिन्हे पंजीकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है और कल्याणकारी लाभों का उपयोग किया जा सकता है। तकनीकी प्रगति के साथ, मोबाईल फोन मददगार होंगे। फिर भी डेटा से पता लगाया जा सकता है कि केवल 564 (80.6%) उत्तरदाताओं के पास मोबाईल फोन थे और उनमें से केवल 393 उत्तरदाताओं के पास स्मार्ट या एंड्रायड फोन थे। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि दलित समुदायों के उत्तरदाताओं में, 24.3 प्रतिशत और आदिवासियों में 21.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास स्मार्ट फोन नही थे।

अध्ययन के द्वारा यह भी पता चला कि यदि वे एक ही गॉव से आने वाले और जो एक ही स्थान पर काम करने वाले प्रवासी समूह में केवल समूह के नेता के पास मोबाईल फोन थे जो सदस्यों के द्वारा साझा किये जाते थे। किसी के पास मोबाईल फोन रखने की आवश्यकता नही समझी गई ।

मानचित्र 3.10 से वास्तविकता पता चलता कि लगभग 24.2 प्रतिशत मामलों में पंजीकरण न कराने का कारण एंड्रायड फोन का अनुपलब्धता बताई गई है। प्रवासियों के लिए मोबाईल फोन केवल आपसी बातचीत के लिए है वे इसका उपयोग डिजिटल

प्लेटफार्म के रूप में नही करत हैं। कुछ मामलों में बैंक खाता की अनुपलब्धता भी एक कारण रहा। उनमें से कुछ प्रवासियों को मदद की जरूरत थी लेकिन वे मदद नही प्राप्त कर सके। इस संबंध में सीएसओ ने प्रवासियों को विभिन्न राज्य सरकारों के पोर्टल के तहत पंजीकरण करने में मदद की ताकि उन्हे कुछ सहायता राशि मिल सके।

सरकारों, मानव अधिकार एजेंसी द्वारा हस्तक्षेप – संतुष्टि स्तर

उत्तरदाताओं को विभिन्न संस्थाओं द्वारा हस्तक्षेप के कारण संतुष्टि के अपने स्तर को मापने के लिए कहा गया।

मानचित्र 3.11 : विभिन्न सरकारें और मानव अधिकार एजेट।

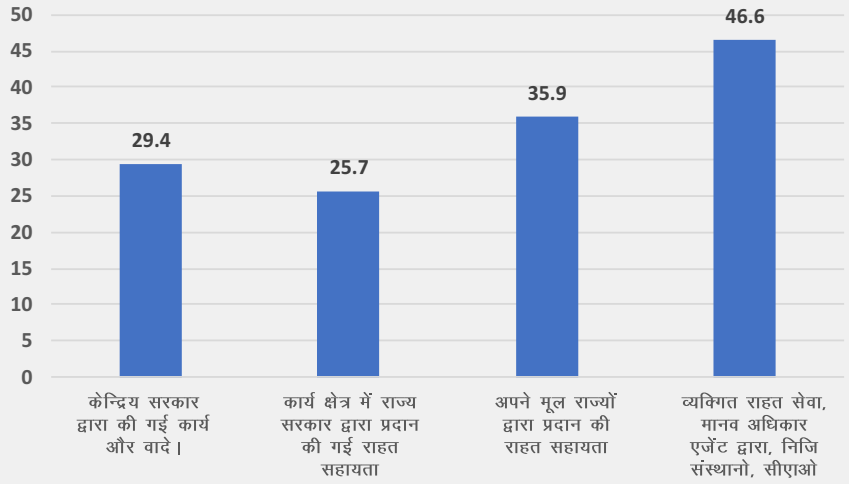

प्रधानमंत्री ने भोजन और आश्रय प्रदान कर राज्यों को प्रवासियों का ध्यान रखने के लिए कहा। ये वादे जमीनी स्तर पर पठारों की तरह बने रहे। मतलब वादे रह गये वो। कई लोग कई दिनो तक भूखे रह गए, और उनकी सारी कमाई की बचत भोजन या यात्रा पर खर्च कर दी गई। उनके रहने के लिए स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था या ठहरने के एक सभ्य जगह तक की कोई व्यवस्था नही थी। सरकारें उनकी हैसियत और रहन–सहन को जानती थी। जब कभी भी वे किसी को मोबाईल पर अपनी संकट या दुखड़ा भरी जीवन को बताना चाहा, तो स्वचालित संदेश उन्हें हाथ धोने और सामाजिक दूरी के बारे बता रहा था। वे उन सभी मोबाईल संदेशों को अपने जीवन में लागू नही कर सके जैसे अन्हें बताया जाता रहा था।

तालिका 3.11 स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सामने लाता है कि व्यक्तियों, निजी एजेंसियों, और सीएसओ से प्राप्त समर्थन के कारण उतरदाताओं का संतुष्टि स्तर केन्द्र और राज्य सरकारों के सहयोग की तुलना में बहुत अधिक था। जबकि सभी लोग लॉकडाउन के नियम पालन करने को बाध्य थे, जनता की मानवता लॉकडाउन के अधीन नही थी। सभी बाधाओं के बावजूद विभिन्न मानव अधिकार एजेंसियॉं प्रवासियों के लिए भोजन, पानी, नकदी सहायता, मरामर्श, मार्गदर्शन और विभिन्न अन्य सहायता के साथ पहुंची और उनकी सहायता की। बिहार के मधेपुरा जिले के गोलपारा गॉंव से श्री अभिनन्दन ऋषिदेव ने कहा, ''मैं भाग्यशाली था कि मुझे यात्रा के दौरान भोजन की कोई समस्या नही थी। स्थानीय निवासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओ और गैर–सरकारी संगठन ने कई स्थानों पर भोजन की आपूर्ति की।'' 26 जून 2020 तक कारितास इंडिया अपने सहयोगियों के साथ लगभग 7500000 व्यक्तियों तक पहुंच चुकी है, प्राथमिक हस्तक्षेप में फेस मास्क, पका हुआ भोजन आपूर्ति, सूखा राशन और स्वास्थ्य किट का विवरण शामिल है।

"25 मई 2020 को हमने एक बडी लॉरी को रोका और ड्राइवर से अनुरोध किया कि हैदराबाद से असम तक 12 प्रवासियों का ले जाए। ड्राइवर श्री प्रशान्त ने हमें कहा, सभी 12 बच्चों को अंदर आने दो। मैं एक तिरपाल बांधूगा क्योंकि बादल की गर्जन तेज है और रास्ते में बारिस हो सकती है। हमने कुछ पैसे टोल फीस का भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन ड्राइवर ने इस पर गंभीर अपराध किया और कहा, यदि आप मुझे पैसे नही देते हैं तो मैं सभी को अपनी लॉरी से उतार दूँगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनमें से कई युवा प्रवासी बच्चों की मदद करनी है। उन्होने कहा मेरे पिता और दादा भी ड्राइवर थे। यही कारण है कि इस कठिन समय में उनका पोता भी सड़क पर है। जब हमने उन्हे एक कप चाय के लिए शामिल होने को कहा तो उसने मुस्कुराते हुए जबाव दिया, बेशक, में तुम्हारे साथ एक कप चाय पिउंगा।" मैं अशान्वित होकर इंतजार कर रहा था कि कब आप एक कप चाय के लिए पूछेगें। *ADATS*, के कर्मचारी, एक एनजीओ। अगले दिन सुबह 7.40 बजे ड्राइवर ने श्री शुजायथुल्ला को फोन किया कि और जानकारी दी कि वह सभी को हैदराबाद से 87 किलोमीटर दूर जादचेरला बस स्टॉप पर उतार दिया है।

कार्यस्थल और केंद्र सरकार की तुलना में उत्तरदाताओं ने अपनी मूल राज्यों के कार्य शैली और उच्च स्तर पहल व योगदान की सराहना की। हालांकि यह चार्ट स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि 50 प्रतिशत से अधिक प्रवासी ऐसे थे जो सभी सहायता देने वाले नेताओं के दायरे से बाहर थे।

कई मेजबान राज्य विभिन्न रूपों में प्रवासियों तक पहुंच पाए। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 15541 राहत शिविरों का आयोजन किया और पंचायत स्तर पर सामुदायिक रसोई की शुरूआत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्रवासी श्रमिक भूखा न रहे। तामिलनाडु सरकार ने पारगमन प्रवासियों को विवाह मंडपों में रखा और उनके लिए भोजन की व्यवस्था किया। फिर भी, प्रवासियों को मेजबान राज्यों में बाहरी लोगों जैसा महसूस हुआ। कर्नाटक सरकार ने निर्माण श्रमिकों को खिलाने के लिए बड़े पैमाने पर सहयोग करने के लिए आगे आया, और झुग्गी में रहने वाले अधिकांश लोग प्रवासी ही थे। भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम के तहत निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का एक हिस्सा राहत के लिए खर्च किया गया।

कुछ प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद दान के कार्य दिखाई दे रहे थे। हालांकि, कुछ मामलों को छोड़कर सामान्य करूणा और सहानुभूति की भावना गायब थी। इसके अलावा, स्थानीय लोग प्रवासियों को खतरे और बाहरी लोगों के रूप मे ही देखती थी। कुछ लोगों ने उन्हे कोरोना का वाहक भी माना। इस नकारात्मक संदेया ने प्रवासियों के बीच तनाव और खतरे का माहौल पैदा कर दिया और उनमें से ज्यादातर स्पष्ट भावना के साथ छोड़ना चाहत थे, 'भले ही मर जाउं, मुझे अपने मूल राज्य में मरने दिया जाए।' अर्थात मरने का ड़र सता रहा था। मेजबान राज्यों में लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को अवांछित महसूस होरहा था।

2. पात्रता तक पहुंचने की स्थिति

तालिका 3.12 से पता चलता है कि अगर सरकार के पास किसी योजना को लागू करने की राजनैतिक

मानचित्र 3.12: विभिन्न पात्रता पहचान पत्रों की स्थिति

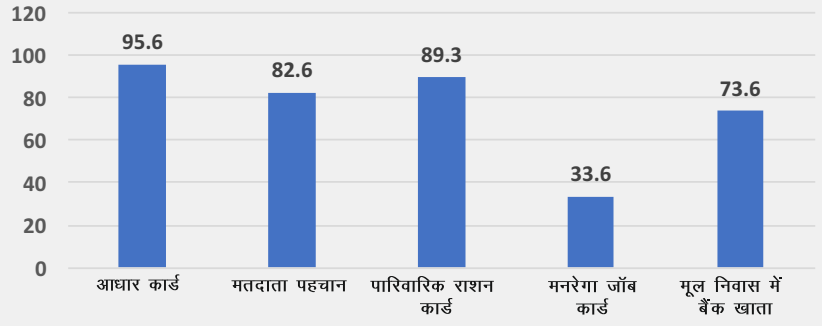

इच्छाशक्ति है तो वह जनता तक पहुंच सकती है। हाल के वर्षों में सरकार ने आधार कार्ड के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया और विभिन्न बुनियादी जरूरतों तक पहुंचने के लिए इस कार्ड को जोड़ा। सरकार को चाहिए था कि इस कार्ड का महामारी की अवधि के दौरान बेहतर उपयोग में लाना चाहिए था। क्योंकि 10 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं के पास परिवार का राशन कार्ड नही था।

दलित समुदाय से संबंधित उत्तरदाताओं में 8.9 प्रतिशत और आदिवासी उत्तरदाताओं में 11.1 प्रतिशत के पास राशन कार्ड नही था। राशन कार्ड रखने वालों में, 625 उत्तरदाताओं में 14.4 प्रतिशत के पास अंत्योदय अन्न कार्ड (ए.ए.वाई), गरीबी रेखा से नीचे 66.1 प्रतिशत बी पी एल कार्ड और 19.5 प्रतिशत से ऊपर गरीबी रेखा ए पी एल कार्ड है। लगभग 142 उत्तरदाताओं (20.3%) ने कहा कि उनके पास कार्य स्थल पर व्यक्तिगत राशन कार्ड है।

वन–नेशन–वन–राशन कार्ड की परिकल्पना जोर पकड़ रही है जो कि महान साहित्यकार अभिजीत बनर्जी और कई सीएसओ द्वारा प्रचारित है।

पीडीएस एक राज्यीय विषय है। हालांकि नई रणनीतियों को विकसित किया जाना चाहिए ताकि कोई भी सतत् विकास के लक्ष्यों, में से एक कि कोई भूखा न रहे जिसके लिए भारत ने सदस्यता स्वीकार हेतु हस्ताक्षरकर्ता है। यह चौंकाने वाली बात है कि केवल 33.6 प्रतिशत लोगों के पास जॉब कार्ड था। दलित समुदाय के उत्तरदाताओं में 99 उतरदाताओं (70.7%) के पास जॉब कार्ड नहीं था और आदिवासियों के बीच यह लगभग 50.6 प्रतिशत था। क्या इसलिए कि ये लोग प्रवासी है ? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि 45 प्रतिशत उत्तरदाता गरीब और कमजोर लोगों में से हैं जो दलित और आदिवासियों के अलावा अन्य समुदाय से हैं ?

जैसा कि कई उत्तरदाताओं ने कहा कि पेट भरने के लिए एम जी एन आर ई जी एस आशा की निशानी है। सरकार ने आखिरकार इस योजना को पहचान लिया है और संसाधनों को सही उपयोग करने का वादा किया है।

मानचित्र 3.12 : विभिन्न पात्रता पहचान पत्रों पर अधिकार

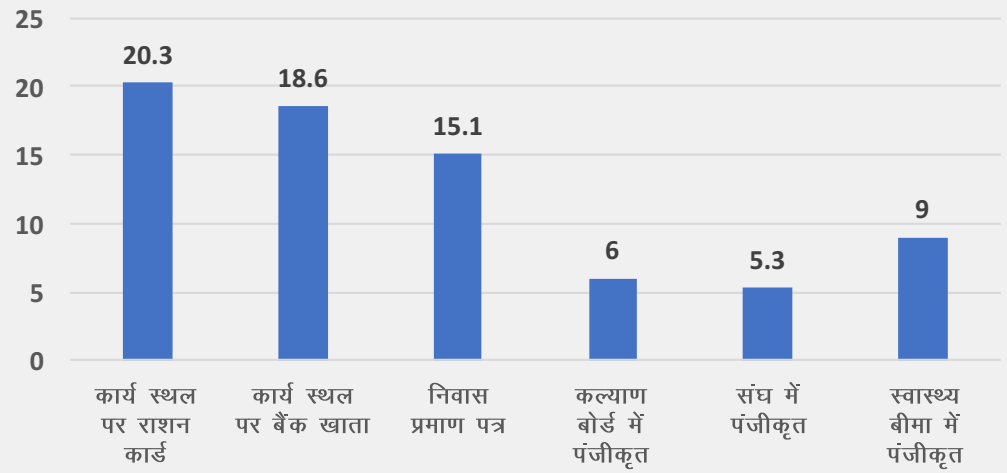

लगभग एक तिहाई उत्तरदाताओं के पास बैंक खाते नहीं हैं। आदिवासी समुदायों के उत्तरदाताओं की पर्याप्त बैंक खाता नहीं थे। 515 उत्तरदाताओं में से जिनके पास अपने मूल निवास स्थान पर बैंक खाता था, केवल 190 (36.6%) के पास जन धन योजना के तहत बैंक खाता था। केवल 130 उत्तरदाताओं (18.6%) के पास कार्य स्थल पर बैंक खाता था। इससे भी उन्हे गंभीर प्रभाव पड़ा क्योंकि कुछ राज्यों में ऑनलाइन के माध्यम से तत्काल राहत नकद सहायता प्रदान की गई। वास्तव में बहुत से प्रवासियों को बैंक खातों की अनुउपलब्धता के कारण कोई भी सहायता नकद का भुगतान नही किया जा सका, न ही अपने मूल राज्यों से और न कार्य स्थल से जैसा कि तालिका 3.10 और 3.12 में दर्शाया गया है। तालिका स्प्ष्ट रूप ये दर्शाता है कि न तो ट्रेड यूनियनों ने प्रवासियों पर गंभीर ध्यान दिया और न ही प्रवासियों को कल्याण मंडल में शामिल किया गया।

केरल जैसे कुछ ही राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 'अवाज' की बीमा शुरूआत की है। सरकारी अस्पतालों में प्रति वर्ष 25000 प्रवासियों को अवगत कराया और 1 लाख से अधिक प्रवासियों ने पंजीकरण किया है। द हिन्दू, 6 मार्च 2020. सार्वनिक स्वास्थ्य लंबे समय से एक चिंता का विषय रहा है जिसकी घोर उपेक्षा की गई है। सबसे ज्यादा पीड़ित लोग बहिष्कृत समुदाय, दलित और आदिवासी हैं।

3. तत्काल जरूरत और सामाजिक सुरक्षा उपाय

प्रवासियों और उनके परिवारों के लिए 6 प्रमुख चिंताओं में से उत्तरदाताओं को अधिकतम तीन चुनने को की गया। प्रतिक्रियाओं के कुल 249.6 प्रतिशत मामले प्राप्त हुए, जो बताते हैं कि 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 3 विकल्पों को चुना और अन्य 50 प्रतिशत 2 विकलपों को।

मानचित्र 3.14 : तत्काल पारिवारिक चिंताएँ

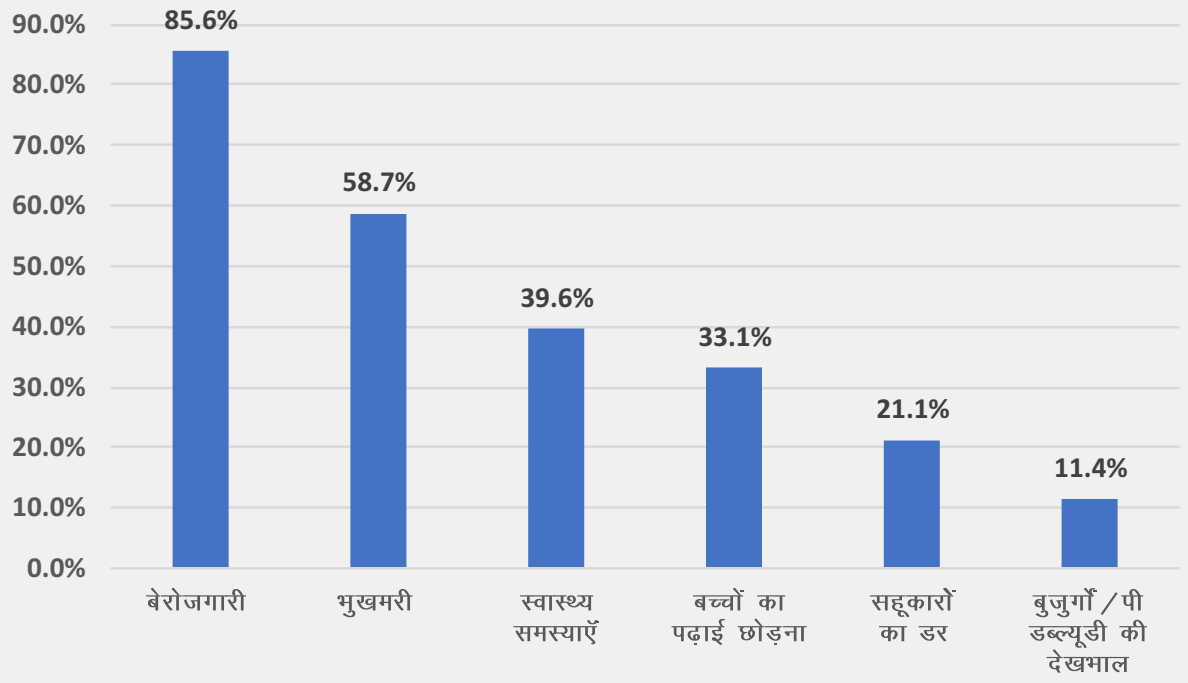

तालिका 3.3 तात्कालिक चिंताओं का राज्य वार प्राथमिकताएँ

क्र. सं.	राज्यों	प्राथमिकता 1	प्राथमिकता 2	प्राथमिकता 3
1	असम	बेरोजगारी	भुखमरी	स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियॉ
2	अन्य एनई राज्यों	बेरोजगारी	भुखमरी	स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियॉ
3	बिहार	बेरोजगारी	भुखमरी	स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियॉ
4	छतीसगढ़	बेरोजगारी	भुखमरी	बच्चों का पढ़ाई छोड़ना
5	झारखण्ड	बेरोजगारी	भुखमरी	बच्चों का पढ़ाई छोड़ना
6	मध्य प्रदेश	बेरोजगारी	स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियॉ	भुखमरी
7	उड़ीशा	बेरोजगारी	भुखमरी	स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियॉ
8	उतर प्रदेश	बेरोजगारी	भुखमरी	बच्चों का पढ़ाई छोड़ना
9	उतराखण्ड	बेरोजगारी	स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियॉ	बच्चों का पढ़ाई छोड़ना
10	पश्चिम बंगाल	बेरोजगारी	भुखमरी	उधारकर्ता का भय

तालिका 3.14 और तालिका 3.3 से पता चलता है कि प्राथमिक चिंता बेरोजगाी है जो 11 विभिन्न राज्यों में पाया जाता है। कई लोगों ने आशंका जाताई कि घर वापसी के कारण कई सक्षम व्यक्ति गांवों में लौट आए हैं, और जब तक नई नौकरियॉ नही मिल जाती तब तक कई लोग घर में बिना काम रहने को मजबूर होंगे।

भुखमरी अगली बड़ी चिंता के रूप में सामने आई है। स्वास्थ्य देखभाल की चिंता, बच्चों की पढ़ाई छोड़ने, और मनी लेंडर्स के डर को भी प्रमुख प्राथमिकता बताया गया। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये परस्पर विशेष प्राथमिकताएं नहीं हैं बल्कि परस्पर संबंधित हैं।

बिहार के बक्सर जिले के गुड्डू ने अपनी कहानी सुनाई। ''सन् 2019 में अहमादाबाद, गुजरात गया। जब लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो मैंने 45 दिनों तक इंतजार किया और भोजन खरीदने के लिए अपने बचत से खर्च किया। जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई तो मेरे पार अपने मूल राज्य लौटने अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मैने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिये थे। मै पैदल ही अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने में कामयाब रहा। मुझे श्रमिक ट्रेन में सवार होने के लिए प्रवासियों की लंबी कतार मिली। मैंने ट्रेन में प्रवेश पाने के लिए एक पुलिस कर्मी और एक राजनीतिक पार्टी के नेता को 1500 रूपये देने की पेशकश की और मुझे अनुमति दी गई, हालांकि वास्तविक किराया केवल 700 रूपये है। ट्रेन में भोजन और पानी की कोई सुविधा नही थी। मैं बिस्कुट खाकर जिन्दा रहा। जब मैं पटना पहुंचा, तो मुझे बिना भोजन, बिस्तर, पानी वा स्वच्छता सुविधा के साथ एक क्वारंटाइन केन्द्र में रखा गया। जब मैं घर पहुंचा, तो पाया कि समुदाय को कोई राहत सहायता नही दी गई थी। पीडीएस दुकानों से राशन लेने के लिए ग्रामीणों को तीन दिनों तक इंतजार करना पड़ा। पंचायत ने एम जी एन आर ई जी एस के तहत कार्य की शुरूआत नही की। कोई भी ऋण देने के लिए तैयार नही था। उसने कहा, ''हम लोग खुशी से नही जाते हैं दूसरे राज्य, यहॉ काम की कमी है और सरकार मजदूरों के लिए कुछ करता नही है इसलिए हमें जाना पड़ता है।

राज्य को तत्काल चिंताओं को दूर करने प्रस्ताव

11 विकल्पों में उत्तरदाताओं को चार चुनने को कहा गया, था। एक ही सवाल से हितधारको को संबोधित किया गया था। कुछ विकल्पों की प्राथमिकताओं में बदलाव को छोड़कर प्रवासियों और हितधारकों की धारणा समान रही।

मानचित्र 3.15: तत्काल चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य को प्रस्तावः प्रवासियों – हितधारकों

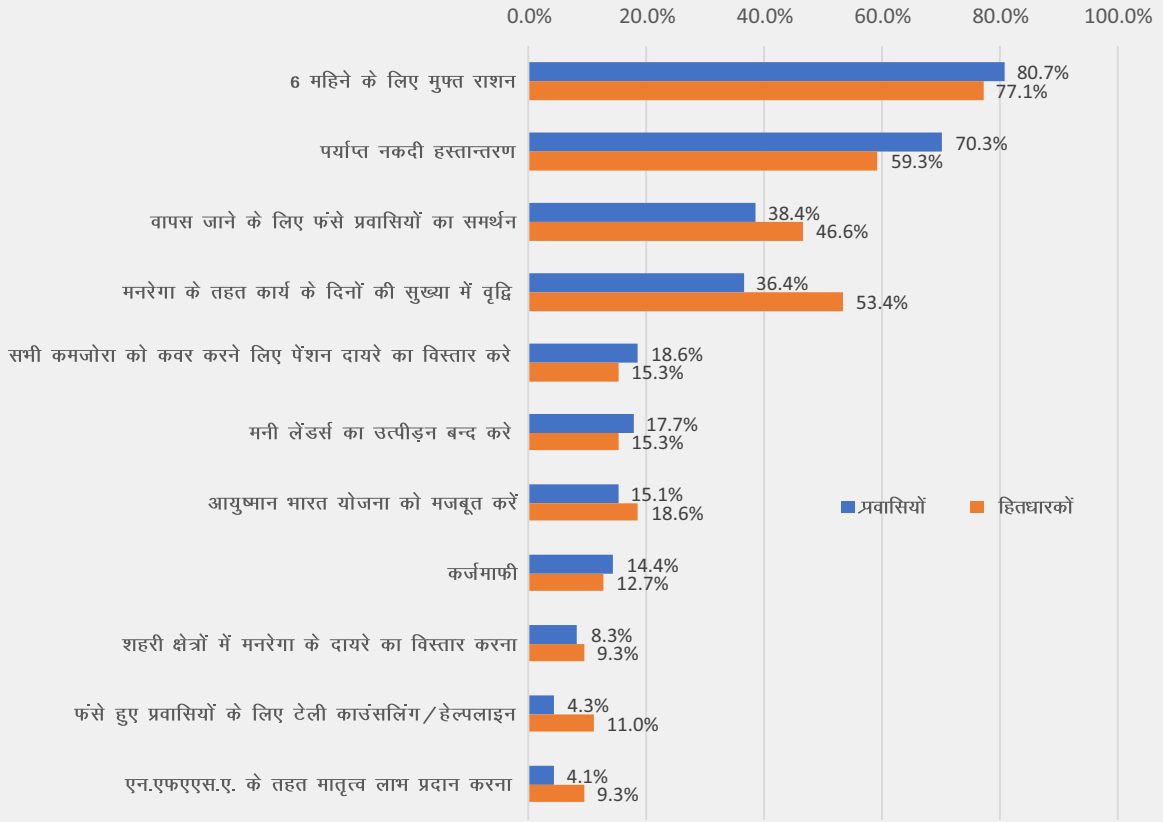

नोटः प्रवासियों और हितधारकों के तुल्नात्मक विचारों/सुझावों/सिफारिशों चार्ट को विकसित करने में प्रवासियों के डेटा

मुफ्त राशन और नकद हस्तान्तरण का कार्य शीर्ष पर रहा है। यह शर्म की बात होगी अगर लोग भूख से लोग मर जाते है, जबकि हमारे गो–डाउन में पर्याप्त अनाज और हाथ में पर्याप्त पैसे हैं। इसके अलावा, यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष की समृद्व रबी फसल मौजूदा स्टॉक के ढेर में जुड जाएगी।

बिना किसी देरी के, प्रवासियों और अन्य कमजोर गरीबों की भूख के मुद्दे को हल करने के लिए एक निर्णय किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों के हाथों पैसा होना आवश्यक है 'न' केवल विकासात्मक और सिविल सोसाइटी संगठनों की आवाज है बल्कि

उद्योगपतियों और व्यापारियों की भी है। मांग किया जाना चाहिए और यह काम केवल आम जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि के लिए किया जाना चाहिए।

प्रवासियों की सुरक्षित वापसी की मांग जो अभी भी विभिन्न गंतव्यों में है प्रवासियों का तीसरा प्रवासियों प्रस्ताव है। जो लोग लौट आए हैं उनके दर्दनाक अनुभवों से एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझ सकते हैं।

चौथी प्राथमिकता मनरेगा के तहत काम के दिनों की संख्या में वृद्धि और मजदूरी में वृद्धि है। स्पष्ट रूप से दो प्रस्ताव हैः तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल उपायों की आश्यकता– राशन, नकद और रोजगार मनरेगा के तहत और गंतव्यों से प्रवासियों की सुरक्षित वापसी।

तालिका 3.4 : तत्काल जरूरतों को पूरा करने हेतु राज्य–वार प्रस्ताव

क्र. सं	राज्यों	प्राथमिकता 1	प्राथमिकता 2	प्राथमिकता 3
1	असम	6 महिने के लिए मुफ्त राशन का प्रबंध करना।	सभी गरीब परिवारों के लिए नकद राशि का हस्तान्तरण	घर वापसी के दौरान फंसे प्रवासियों का समर्थन करना।
2	अन्य उतर –पूर्वी राज्यों	सभी गरीब परिवारों के लिए नकद राशि का हस्तान्तरण	6 महिने के लिए मुफ्त राशन का प्रबंध करना।	घर वापसी के दौरान फंसे प्रवासियों का समर्थन करना।
3	बिहार	6 महिने के लिए मुफ्त राशन का प्रबंध करना।	सभी गरीब परिवारों के लिए नकद राशि का हस्तान्तरण करना	पेंशन के राशि और दायरे को बढ़ाना
4	छतीसबढ़	सभी गरीब परिवारों के लिए नकद राशि का हस्तान्तरण करना	6 महिने के लिए मुफ्त राशन का प्रबंध करना।	मनरेगा के तहत दिनों और मजदूरी में वृद्धि करना
5	झारखण्ड	6 महिने के लिए मुफ्त राशन का प्रबंध करना।	मनरेगा के तहत दिनों और मजदूरी में व1द्धि	सभी गरीब परिवारों के लिए नकद राशि का हस्तान्तरण
6	मध्य प्रदेश	6 महिने के लिए मुफ्त राशन का प्रबंध करना।	सभी गरीब परिवारों के लिए नकद राशि का हस्तान्तरण	घर वापसी के दौरान फंसे प्रवासियों का समर्थन
7	अड़ीशा	सभी गरीब परिवारों के लिए नकद राशि का हस्तान्तरण करना	6 महिने के लिए मुफ्त राशन का प्रबंध करना।	घर वापसी के दौरान फंसे प्रवासियों का समर्थन
8	उतर प्रदेश	6 महिने के लिए मुफ्त राशन का प्रबंध करना।	सभी गरीब परिवारों के लिए नकद राशि का हस्तान्तरण	घर वापसी के दौरान फंसे प्रवासियों का समर्थन
9	उतराखण्ड	6 महिने के लिए मुफ्त राशन का प्रबंध करना।	घर वापसी के दौरान फंसे प्रवासियों का समर्थन	आयुष्मान योजना को दृढ़ करना।
10	पश्चिम बंगाल	सभी गरीब परिवारों के लिए नकद राशि का हस्तान्तरण करना	6 महिने के लिए मुफ्त राशन का प्रबंध करना।	मनरेगा के तहत दिनों और मजदूरी में वृद्धि करना

नोट : केवल तीन अधिकतम प्रतिक्रियाओं को प्राथमिकता दी गई। जब दो प्राथमिक प्रतिक्रियाएँ लगभग बराबर है तो दोनो का हिस्साब किया जाता है।

उत्तराखंड को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के उतरदाताओं को मुफ्त राशन और नकद हस्तान्तरण पहली या दूसरी प्राथमिकता के रूप में दिया गया। 5 राज्यों के ऊतरदाताओं द्वारा वापस आने के दौरान फंसे प्रवासियों को समर्थन करने पर प्राथमिकता देना आवश्यक माना गया और मनरेगा के तहत तीन राज्यों को प्राथमिकता देने पर पहचान किया गया है। उतर प्रदेश और उड़ीशा के उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि उन्हें साहूकारों के उत्पीड़न की चिंता सता रही है।

उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले के गौडवा गॉव की 27 वर्षीय महिला सकीदूल, मुंबई में नौकरानी के रूप में काम करती थी। उनके पति, शाहबाज, दिहाड़ी मजदूर थे जो स्क्रैप लोडिंग और अनलोडिंग का काम में शामिल थे । उनकी चार बच्चे हैं। पूरा का पूरा परिवार मुंबई चले गए ताकि पैसे जमा कर ऋणदाता को ऋण का चुकता कर सके। वह कहती है, कर्ज लौटाना मेरी चिंता है, और वह कर्जदाता मेरे पिछे पड़ा हुआ है।

4. कोविद–19 की जोखिम को कम करने और कार्यस्थल में निवारण के उपाय

अपने मूल निवास स्थान पर पहुंचने के पहले अधिकांश प्रवासियों का कोविद –19 जांच हो गया था। हालांकि, वायरस का प्रसार पूरे भारत में तीव्रता से बढ़ रहा है और महीनों तक मानवता को परेशान कर सकता है। उत्तरदाताओं को कोविद–19 जोखिम कम करने की विभिनन रणनीतियों के महत्व के बारे में बताया गया।

मानचित्र 3.16 : कोविड –19 जोखिम करने के अनिवार्य रणनीतियॉ

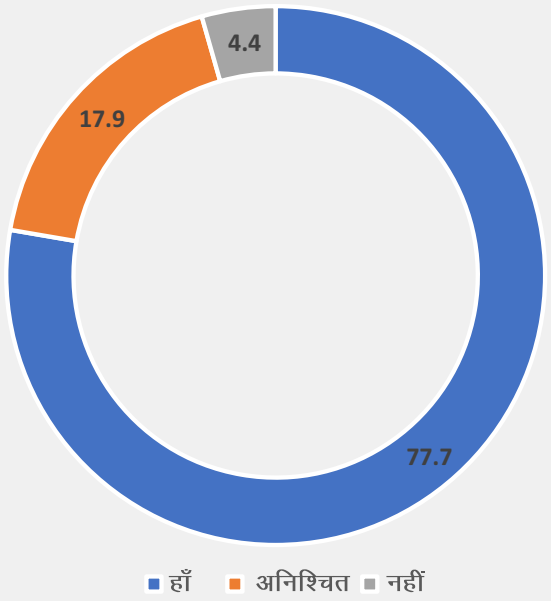

लगभग 77.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति जताई कि किसी के जीवन की रक्षा एवं कोविद–19 प्रसार के खतरे को कम करना अतिअनिवार्य होनी चाहिए। लगभग 125 (17.9 %) उत्तरदाताओं को यकीन नही था। हालांकि, जब हितधारकों के बीच एक ही सवाल पूछा गया था, तो 115 में से 113 (95. 8%) ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि कोविद–19 जोखिम में कमी की रणनीति को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रवासियों को इस तथ्य के बारे में सामान्य जानकारी है कि मूल स्थान और गंतव्य दोनों में कार्यस्थल पर रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए।

मानचित्र 3.17 : प्रवासियों एवं हितधारकों द्वारा कार्यस्थल में निवारण के उपाय

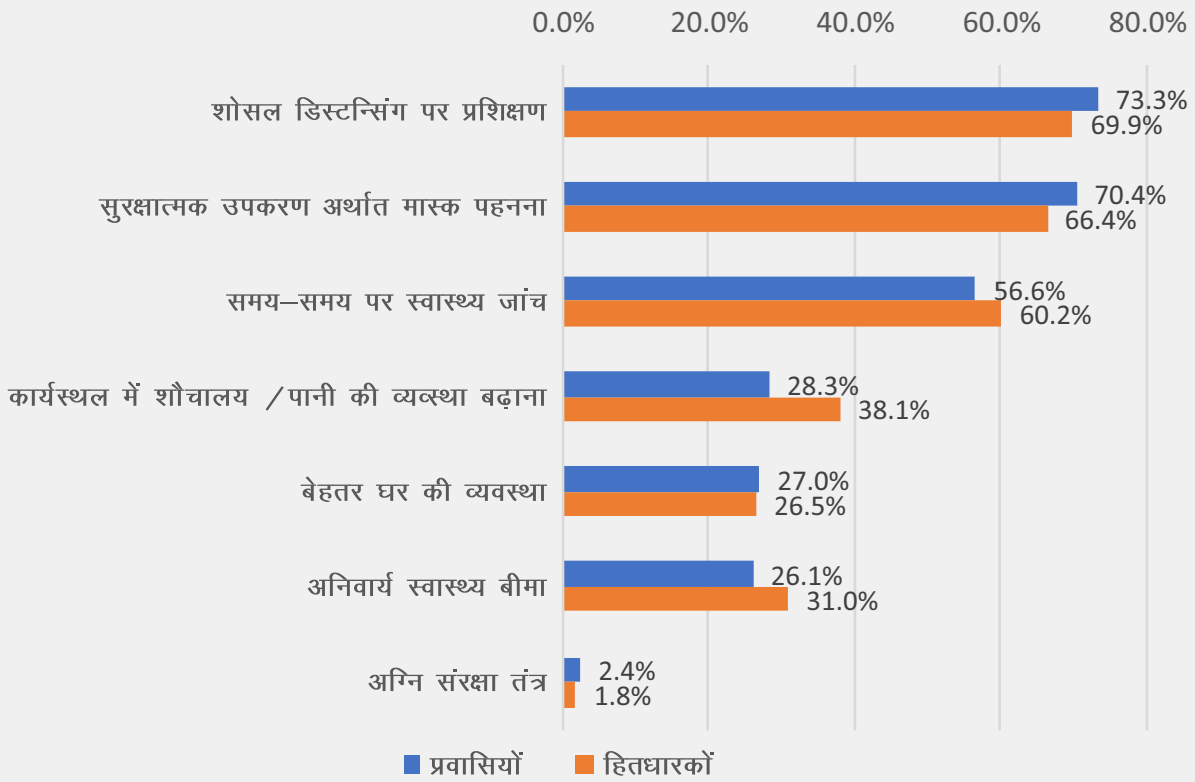

प्रवासियों और हितधारकों द्वारा सामाजिक दूरी पर प्रशिक्षण (शारीरिक दूरी सही शब्दावली है) सुरक्षात्मक मास्क पहनना, और समय–समय पर स्वास्थ्य जांच करना को उच्च प्राथमिकता देना आवश्यक माना गया। प्रवासी और हितधारक इस बात से भी सहमत हैं कि शौचालय/पानी की व्यवस्था, और आश्रय की सुविधा एवं स्वास्थ्य बीमा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रवासियों को रोजमर्रा की जिंदगी और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के बारे में चिंतित थे। वे जानते थे कि भीड़भाड़ वाले एक कमरे वाले घरों में नहीं रह सकते हैं, जो जोखिम कम करने काफी प्रभाव ड़ाल सकता था। क्या भविष्य में प्रवासी अपने न्योक्ताओं से और राज्य में काम करने के स्थानों से इन सुविधाओं की उम्मीद कर सकते हैं जो मूल और गंतव्य दोनों है।

5. आजीविका के उपायों का पुर्नजनन

बेराजगारी की समस्या को दूर करने के तरीकों में से एक स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का बहाल करना है। उत्तरदाताओं और उपलब्ध संसाधनों की प्रकृति को देखते हुए, आजीविका बहाली के तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विचार किया गया, अर्थात कृषि कार्यों का पुनरूद्धार, जिसमें कृषि श्रम और कृषि, पशु पालन और कौशल प्रशिक्षण शामिल है।

कृषि कार्यों का पुनरूद्धार, कृषि संबंधी और कृषि मजदूरों के लिए अवसर देना

केवल 360 (51.4%) उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास जमीन है। आदिवासियों के बीच लगभग 65.4 प्रतिशत लोगों के पास अपनी भूमि थी, जिसके बवद ओबीसी में 49.7 प्रतिशत और दलितों में 36.5 प्रतिशत सामान्य जातियों में 360 प्रतिशत के पास अपनी जमीन थी। 360 उत्तरदाताओं में से जिनके पास जमीन है, केवल 65 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि जमीन से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है, जो परिवार की खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त होगी। बाकी 218 उत्तरदाताओं ने बताया कि केवल आंशिक रूप से और 77 ने कहा नही।

340 उत्तरदाता, जिनके पास जमीन नही थी, उनसे पूछा गया कि क्या वे अपने मूल स्थान पर कृषि श्रम के अवसर प्रदान करने पर कृषि से लाभ उठा सकते हैं। 94 उत्तरदाताओं ने कहा, 'हॉ', 141 ने कुछ हद तक संभंव बताया और 105 ने कहा कि मौखिक रूप बताना संभंव नही है।

कृषि के पुनरूद्धार से उन लोगों को लाभ होने की संभावना है, जिनके पास जमीन है, विशेष कर आदिवासियों के लिए।

भूमिहीन दलित और ओबीसी यह विश्वास नही करते कि वे कृषि श्रम के कार्यों के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक प्रश्न पर कि क्या राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में सस्य विज्ञान पर 65.3 प्रतिशत निवेश करना चाहिए तो बहुतों ने जोरदार हॉ कहा। एक अन्य प्रश्न पर, क्या सरकार द्वारा कृषि निवेश से उचित आय प्राप्त होगी, केवल 185 (26.4%) 'हाँ' कहा। अन्य 280 (40%) उत्तरदाताओं ने कहा कि 'हॉ' सरकारें उचित न्यूनतम मूल्य का समर्थन करती है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भूमि और भूमि संबंधि कार्यों द्वारा प्रवासियों की आय की जरूरतों को आंशिक रूप से ही पूरा कर सकते हैं। कृषि के अलावा, खाद्य, ईंधन, फाइबर, और भूमि के पुनरूद्धार हेतु बड़ी संख्या में उतरदाताओं ने वैज्ञानिक तरीकों द्वारा उत्पादन करने तथा कृषि बाजार श्रृंखला से जुड़े कृषि–आधारित उपभोकता उत्पादों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। उदाहरण के लिए, आलू का उपयोग चिप्स, नाश्ते और पाउडर के उत्पादन के रूप में किया जा सकता है। इस तरह के उत्पादन से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

मानचित्र 3.18 : जमीन पर स्वामित्व

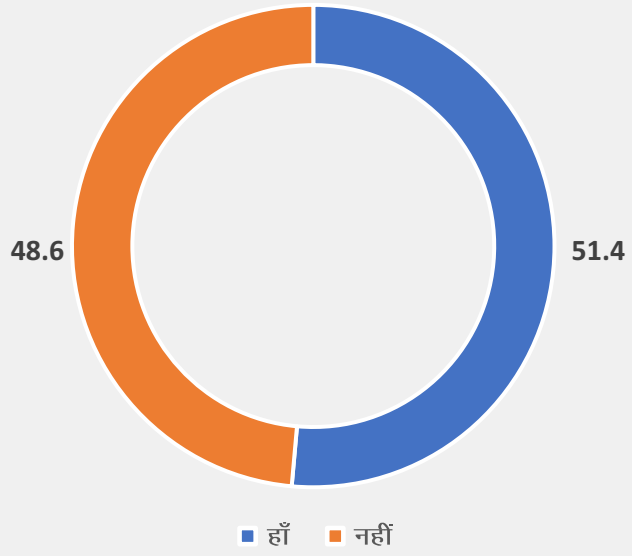

राजू उरॉव कृषि कार्य को पुन' शुरू करने के लिए आशांवित थे। ''मेरे पास जमीन है। असमय मानसून के कारण मैं इसका सही उपयोग नही कर पा रहा था। आने वाले सीजन में कृषि को पुनजीर्वित करने के लिए कई चुनौतियॉ होंगी। मैं कृषि कार्य और पशु पालन को पुनरूद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चिय करता हूँ और एक या दो साल के लिए नौकरी की तलाश में झारखण्ड से बाहर नही जाने का फैसला करता हूँ । ''

पशु पालन

पशु पालन का कार्य गरीबों के आय स्रोतों में से एक माना जाता है। कई मामलों में पशु पालन निरंतर अतिरिक्त आय प्रदान करता है, खासाकर जब अन्य कृषि कार्य उपलब्ध नही होते हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि ''क्या उत्तरदाताओं को पशुपालन में दिलचस्पी है।'' 366 (52.3%) ने कहा 'हॉ' और 124 (17.7%) ने कहा वे अब दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि वे अपने मूल निवास स्थान लौट आए हैं और वे पशुपालन को एक अच्छे अवसर के रूप में देखते हैं। 63 प्रतिशत उतरदाताओं ने अपने मूल स्थान पर चारागाह होने की पुष्टि की। लगभग 37. 6 प्रतिशत ने कहा कि उन्हे पशुपालन और पालन–पोषण के कौशल प्राप्त है और 66.1 प्रतिशत उत्तरदातओं ने स्वीकार किया कि उन्हे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पशु पालन को आय के विश्वसनीय अतिरिक्त स्रोत के रूप में देखा जाता है।

मानचित्र 3.19: पशुपालन में रूचि, कौशल और प्रशिक्षण

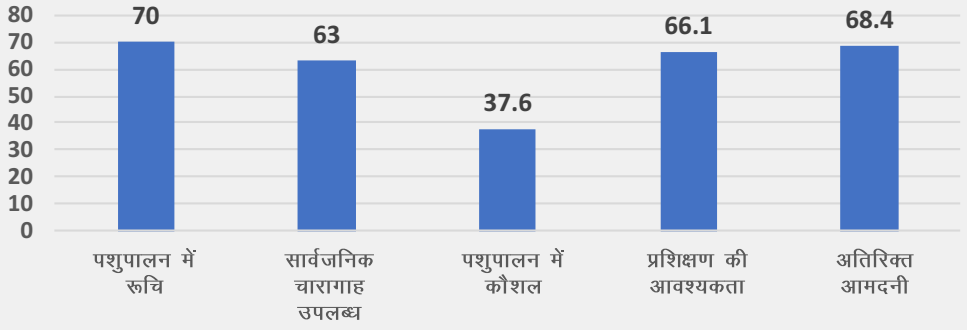

तलिका 3.5 पशुपालन हेतु राज्यवार प्राथमिकताएँ

क्र.स.	राज्यों	प्राथमिकता 1	प्राथमिकता 2	प्राथमिकता 3
1	असम	गाय पालन	मुर्गी पालन	भेड़/ बकरी पालन
2	अन्य उ.पू. राज्यों	सुकर पालन	मुर्गी पालन	गाय पालन
3	बिहार	गाय पालन	भेड़/ बकरी पालन	बैल/भैंस पालन
4	छतीसगढ़	गाय पालन	मुर्गी पालन	भेड़/ बकरी पालन
5	झारखण्ड	भेड़/बकरी पालन	गाय पालन	मुर्गी पालन
6	मध्य प्रदेश	भेड़/ बकरी पालन	मुर्गी	गाय पालन
7	उड़ीसा	भेड़/ बकरी पालन	मुर्गी	गाय पालन
8	उत्तर प्रदेश	गाय पालन	बैल/भैंस पालन	भेड़/ बकरी पालन
9	उतराखण्ड	गाय पालन		
10	पश्चिम बंगाल	भेड़/ बकरी पालन	मुर्गी पालन	गाय पालन

नोट : उतराखण्ड के उत्तरदाताओं में केवल एक प्रमुख प्राथमिकता थी।

सामान्य तौर पर, प्राथमिकता के आधार पर गाय पालन (61.8 प्रतिशत), भेड़/बकरी पालन (52 प्रतिशत) और मुर्गी पालन 45.9 प्रतिशत थी। आदिवासी अन्य जानवरों के अलावा, भेड़/बकरी का पालन करना पसंद करते हैं। दलित और ओबीसी गाय पालन पसंद करते हैं। गाय पालन पसंद करने वाले कई लोग भैंस पालन के लिए भी तैयार हैं। उत्तराखण्ड में उच्च नस्ल के गाय पाले जाते हैं और वे चारागाह में चराना पसंद करते हैं। मुर्गी पालन को अत्यधिक लाभकारी माना जाता है क्योंकि इसमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता नही होती है। कई उत्तरदाताओं ने पंचयती राज संस्था या ग्राम सभा स्तरों पर दुग्ध सहकारी समितियों का गठन और दुग्ध उत्पादन पर प्रशिक्षण का भी सुझाव दिया।

कौशल प्रशिक्षण

उत्तरदाताओं के बीच कौशल प्रशिक्षण का भारी मांग हैं। 87.3 प्रतिशत उत्तरदातां किसी तरह के कौशल प्रशिक्षण की तलाश में है। कुछ युवाओं ने कृषि कार्य में वापस आने के लिए अनिच्छा व्यक्त की। केन्द्र सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम की शुरूआत की। यह कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करने और विभिन्न प्रकार के कौशल पर प्रशिक्षण प्रदान के लिए उपयुक्त समय है, जो प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करेगा। उत्तरदाताओं को भी अल्पकालिक और बहु–कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा है।

मानचित्र 3.20 : कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता

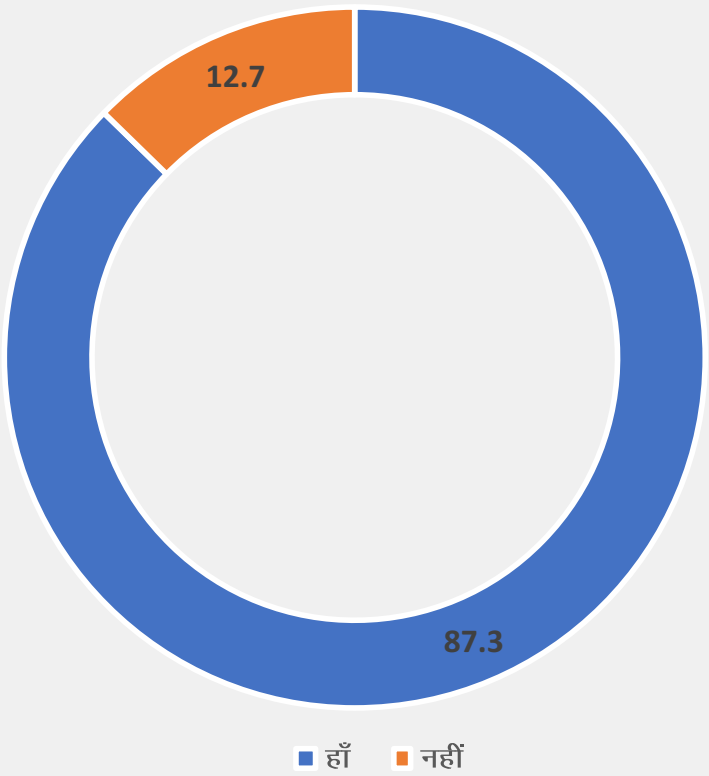

तलिका 3.6 : किस तरह के प्रशिक्षण से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

क्र.स.	राज्यों	प्राथमिकता 1	प्राथमिकता 2	प्राथमिकता 3	प्राथमिकता 4
1	असम	सिलाई प्रशिक्षण	बिजली की तार लगाना	मोबाइल की मरम्मत	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत
2	अन्य उ.पू. राज्यों	सिलाई प्रशिक्षण	मोबाइल की मरम्मत	मोटर की मरम्मत	
3	बिहार	मोबाइल की मरम्मत	साइकिल की मरम्मत	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत	बिजली की तार लगाना
4	छतीसगढ़	ईंट बनाना	मोटर की मरम्मत	बिजली की तार लगाना	साइकिल की मरम्मत
5	झारखण्ड	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत	मोबाइल की मरम्मत	बिजली की तार लगाना	बढाई के काम
6	मध्य प्रदेश	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत	सिलाई प्रशिक्षण	बिजली की तार लगाना	साइकिल की मरम्मत
7	उड़ीसा	मोबाइल की मरम्मत	सिलाई प्रशिक्षण	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत	बिजली की तार लगाना
8	उतर प्रदेश	बिजली की तार लगाना	मोबाइल की मरम्मत	मोटर की मरम्मत	सौरउर्जा की मरम्मत
9	उतराखण्ड	मोबाइल की मरम्मत	बिजली की तार लगाना	मोटर की मरम्मत	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत
10	पश्चिम बंगाल	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत	नल लगाने की	मोटर की मरम्मत	मोबाइल/साइकिल की मरम्मत

लगभग 16 प्रकार के कौशल सूचीबद्ध किए गए थे और उतरदाताओं को तीन उचित कौशल चुनने को कहा गया था, जो उन्हे उचित आय के साथ स्थानीय रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। कौशल की पहचान करते समय शैक्षिक पृष्ठभूमि को एक आधार मान कर प्रशिक्षण दिया गया। तालिका 3.6 उतरदाताओं द्वारा व्यक्त की गई प्राथमिकताओं को बताती है।

आय स्तर में सुधार हेतु राज्यों को सुझाव

मानचित्र 3.21 : प्रवासियों एवं हितधारकों द्वारा आय स्तर में सुधार के लिए सुझाव

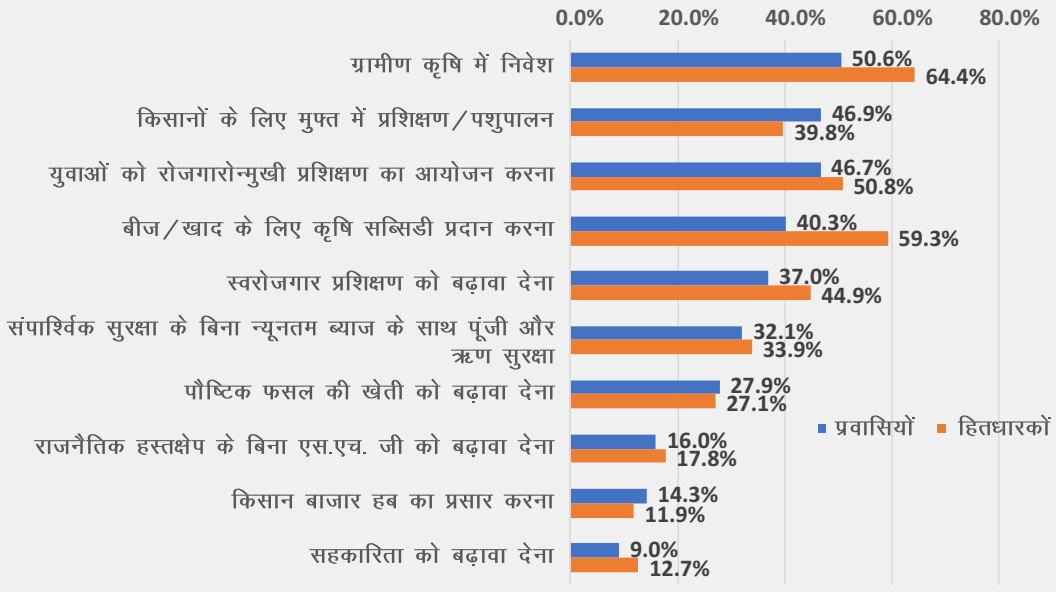

दिए गय 10 विकल्पों में से, उत्तरदाताओं को चार चुनने के लिए कहा गया। प्रवासियों का प्रतिशत 320.7 और हितधारकों का प्रतिशत 362.7 था। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रवासियों ने तीन प्राथमिकता को चुना और अधिकांश हितधारकों ने चार प्राथमिकता को चुना। कुछ प्राथमिकता का परस्पर संबंध था और उन्हे अन्यत्र नहीं माना जाना है। स्पष्ट रूप से 6 संकेतकों ने रैंकिंग प्राप्त की है वे हैं– ग्रामीण कृषि निवेश, खेतीबारी और पशुपालन पर निःशुल्क प्रशिक्षण, युवाओं के लिए नौकरी उन्मुख कौशल प्रशिक्षण, बीज और खाद के लिए कृषि सब्सिडी, स्व–रोजगार प्रशिक्षण और पूंजी/ऋण न्यूनतम ब्याज के साथ और बिना प्रसांगिक सुरक्षा के साथ। नकदी फसलों के स्थान पर उत्तरदाताओं द्वारा पौष्टिक फसलों की भी पर्याप्त मात्रा में खेती की जाती है। किसान औजार केन्द्र और सहकारी समितियों का हालांकि अंतिम प्राथमिकताएँ हैं लेकिन से दोनों संकेत देते हैं कि ये बाकी पहले के प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हैं।

तालिका 3.7 : आय के स्तर में सुधार हेतु राज्यवार प्राथमिकताएँ

क्र.स.	राज्यों	प्राथमिकता 1	प्राथमिकता 2	प्राथमिकता 3	प्राथमिकता 4
1	असम	सिलाई प्रशिक्षण	बिजली की तार लगाना	मोबाइल की मरम्मत	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत
2	अन्य उ.पू. राज्यों	सिलाई प्रशिक्षण	मोबाइल की मरम्मत	मोटर की मरम्मत	
3	बिहार	मोबाइल की मरम्मत	साइकिल की मरम्मत	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत	बिजली की तार लगाना
4	छतीसगढ़	ईंट बनाना	मोटर की मरम्मत	बिजली की तार लगाना	साइकिल की मरम्मत
5	झारखण्ड	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत	मोबाइल की मरम्मत	बिजली की तार लगाना	बढाई के काम
6	मध्य प्रदेश	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत	सिलाई प्रशिक्षण	बिजली की तार लगाना	साइकिल की मरम्मत
7	उड़ीसा	मोबाइल की मरम्मत	सिलाई प्रशिक्षण	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत	बिजली की तार लगाना
8	उतर प्रदेश	बिजली की तार लगाना	मोबाइल की मरम्मत	मोटर की मरम्मत	सौर उर्जा की मरम्मत
9	उतराखण्ड	मोबाइल की मरम्मत	बिजली की तार लगाना	मोटर की मरम्मत	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत
10	पश्चिम बंगाल	दो–पहिये वाहनों की मरम्मत	नल लगाने की	मोटर की मरम्मत	मोबाइल/साइकिल की मरम्मत

दो मजबूत उभरते संकेत हैं कृषि क्रांति और रोजगार उन्मुख कौशल विकास – स्वरोजगार और कौशल जो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। दोनो का साथ – साथ आगे बढ़ना है न कि एक दूसरे की कीमत पर। यह नया भारत है जहाँ प्रवासी आत्मनिर्भर बनने की तलाश में है। विकास के हर दृष्टिकोन में मानव उन्मुख या मानव को ध्यान में रखकर विकास करना ही युग की आवश्यकता है। खाद्य संग्रह के ढेर को अन्य उपभोग्य बाजार उत्पादों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

क्षेत्र से कहानियाँ भी उभरते दिखाई दे रहे हैं : राजविजय और उनकी पत्नी मीना देवी, उतर प्रदेश से लुधियाना, पंजाब चले गये और एक वेल्डर एवं दैनिक मजदूर के रूप में का किया। लॉकडाउन के दौरान राजविजय ने अपने इलाके में सब्जियाँ बेचना शुरू किया क्योंकि उसे आपने चिकित्सा के लिए पैसे की आवश्यकता थी। उनके इस प्रयास से उतने पैसे नही मिली

जितनी जरूरत थी। जब वह अपने मूल निवास स्थान वापस चले गये, जो अपने रिश्तेदारों से ऋण लिया साइकिल द्वारा प्लास्टिक के जरूरतों के चीजों को घर–घर जाकर बेंचना शुरू किया। पहले दिन उन्होने 300 रूपये लाभ के रूप में प्राप्त किया। उन्हे उम्मीद है कि राज्य सरकार स्थानीय क्षेत्र में प्रवासियों के लिए कुछ काम देंगे और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। छोटे विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण अभी तक एक और विकल्प है। मध्य प्रदेश के

गोंडा जिले के रेवला मेहता, महाराष्ट्र के अकोला जिले चला गया और वहाँ कृषि मजदूर के रूप में काम किया। वह बहुत कठिनाईयों का सामना करने के बाद अपने मूल निवास स्थान पहुचा है। वह महाराष्ट्र में सीखे गए कौशल का उपयोग करने और अपनी आय के स्तर को बढ़ाने के प्रति आशान्वित और दृढ़ संकल्पी है।

मध्य प्रदेश के झबुआ जिले के नविनवपादा गॉव के माकन भबोर ने आई. जी. एस. एस. एस. नई दिल्ली से 8 किलो मक्का कोविड–19 राहत और आजीविका बहाली के रूप में प्राप्त किया। वह आशांवित है कि उन्हे इस बीज से बहुत उपज और राहत मिलेगी।

सरकार द्वारा कार्यक्रमों के कार्यन्वयन में अवरोध

कार्यक्रम के कार्यन्वयन में नौकरशाही और अनुशासन की कमी प्रचलित है। उतरदाताओं का सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के कार्यन्वयन में बाधाओं को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था जिन्हे सरकार महत्वपूर्ण मानती हैं और जिन्हे संबोधन करने की आवश्यकता है। प्रवासियों और हितधारकों ने व्यक्त की कि प्रमुख बाधा भ्रष्टाचार है (प्रवासियों 76.9% और हितधारकों में 72.9%), आयोग (प्रवासी 57.4% और हितधारक 50%), राजनीतिक पक्षपात (प्रवासी 44.9% और हितधारक 45.8%) और बिचौलियों की भागीदारी (प्रवासी 38.1% और हितधारक 38.1%) मामले हैं। हितधारकों ने निर्णय लेने में देरी जो 40.7% है इस पहलू पर भी विचार करने पर जोर दिया।

बाधाओं को कम करने हेतु किए जाने वाल उपाय

चार्ट 3.22 से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी संकेत महत्वपूर्ण और परस्पर जुड़े हुए हैं,

मानचित्र 3.22: बाधाओं को कम करने के लिए सिफारिशे: प्रवासियों – हितधारको

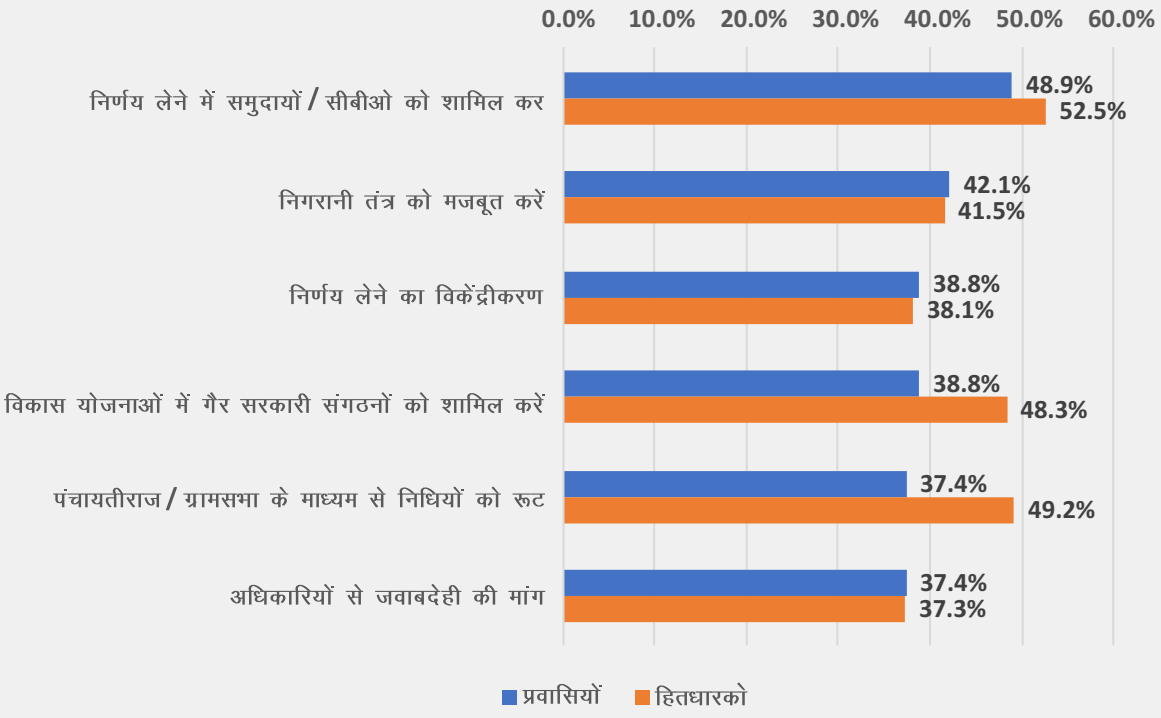

क्योंकि इस प्रश्न को सभी विकल्पो के लिए सामान रूप से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई है। इसके अलावा, यदि एक संकेत को गंभीरता से लिया जाता है और इसे संबोधित किया जाता है तो इसका अन्य संकेतों पर लहर की तरह प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, जो बात सामने आती है वह यह है निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदायों और समुदाय–आधारित संगठनों की भागीदारी का महत्व क्या है। स्थानीय शासन प्रणाली, पंचायती राज संस्था और ग्राम सभा को ऊपर से नीचे तक विकास मॉडल के रूप में कार्य करने की अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब है विकास मॉडल को इन संस्थानों के माध्यम से स्थानांतरित करना चाहिए जहाँ स्थानीय ग्रामीण विकास प्रक्रियों के प्रहरी बन जाते हैं। कार्यक्रमों के कार्यन्वयन की निगरानी में आर.टी.आई और सामूहिक सामुदायिक दृष्टिकोण पर प्रशिक्षण से सरकारों और अन्य ड्यूटी करने वाले को जबावदेही बनाने में मदद मिलेगी।

6 प्रवासियों के विशेषाधिकार के घोषणापत्र

इस अध्ययन के एक शोध प्रश्न प्रवासियों और हितधारकों की धारणा और समझ में प्रवासियों के विशेषाधिकार घोषणा पत्र के साथ सामने आना है। इस संबंध में दो प्रश्न पूछे गए थे : 1. प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को महबूत करने के प्रवासी और हितधारक क्या सुझाव देते हैं ? 2. लोगों के इन वर्गों को क्या प्रणालीगत या नीतिगत परिवर्तन प्रस्तावित कर सकते हैं ?

दिए गए 7 विकल्पों में से उत्तरदाताओं को पहले प्रश्न के लिए तीन विकल्प चुनने के लिए कहा गया था, और 8 विकल्पों में से अधिकतम चार को दूसरे प्रश्न के लिए चुना जाना था।

मानचित्र 3.23 : प्रवासियों एवं हितधारकों द्वारा प्रवासियों के अधिकार को महबूत करने के सुझाव

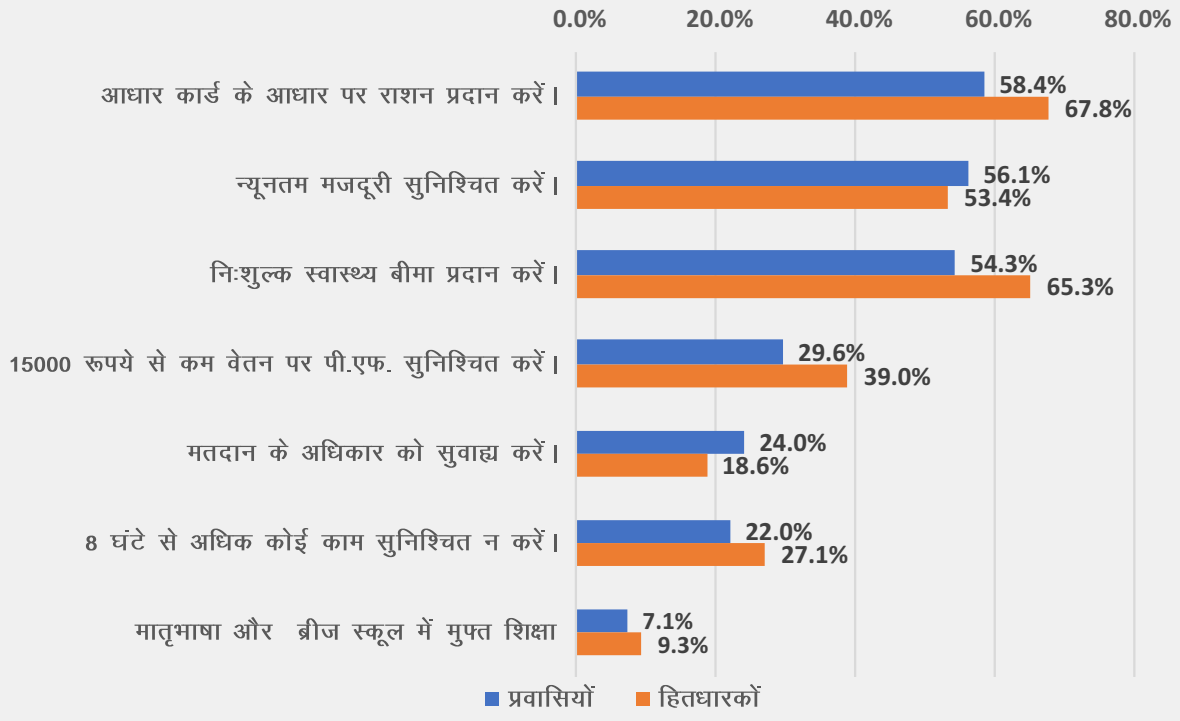

तालिका 3.8 : प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए राज्य–वार प्राथमिकताएँ

क्र.स.	राज्यों	प्राथमिकता 1	प्राथमिकता 2	प्राथमिकता 3
1	असम	मुफ्त स्वास्थ्य बीमा	पी.एफ अनिवार्य करना	8 घंटे से अधिक कोई काम नही।
2	अन्य उ.पू. राज्यों	मुफ्त स्वास्थ्य बीमा	न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना	राशन कार्ड को आधार से जोडना
3	बिहार	राशन कार्ड को आधार से जोडना	न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना	मुफ्त स्वास्थ्य बीमा
4	छतीसगढ़	न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना	मुफ्त स्वास्थ्य बीमा	राशन कार्ड को आधार से जोडना
5	झारखण्ड	न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना	राशन कार्ड को आधार से जोडना	राशन कार्ड को आधार से जोडना
6	मध्य प्रदेश	मतदान अधिकार को सुवाह्य करना	राशन कार्ड को आधार से जोडना	मुफ्त स्वास्थ्य बीमा
7	उड़ीसा	राशन कार्ड को आधार से जोडना	मुफ्त स्वास्थ्य बीमा	न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना
8	उत्तर प्रदेश	राशन कार्ड को आधार से जोडना	न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना	मुफ्त स्वास्थ्य बीमा
9	उत्तराखण्ड	न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना	राशन कार्ड को आधार से जोडना	मुफ्त स्वास्थ्य बीमा
10	पश्चिम बंगाल	मुफ्त स्वास्थ्य बीमा	न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना	राशन कार्ड को आधार से जोडना

चार्ट 3.23 और तालिका 3.8 से तीन संकेत मिलता हैं, आधार कार्ड के अनुसार राशन देना, न्यूनतम मजदूरी व्यवस्था, और स्वास्थ्य बीमा कराना या न्यूनतम प्रीमियम का जीर्नोधार के साथ प्रवासियों और हितधारकों को 50 प्रतिशत से अधिक मामालों में एक सेट के रूप में प्रस्तूत करना हैं। चार्ट 3.23 के अनुसार प्रतिक्रियाओं के मामलों की पर्याप्त संख्या वाले संकेतों का दूसरा समूह है: भविष्य नीधि सुनिश्चित करना, मतदान अधिकार को सुवाह्य करना और 8 घंटे से अधिक कोई काम नही करना। मातृभाषा और ब्रीज स्कूल की स्थापना को दिए गये विकल्पों में से अंतिम प्राथमिकता माना जाता है।

प्रवासियों के दृष्टिकोण से इन प्रवृतियों को आसानी से समझा जा सकता है – पहली बुनियादी जरूरत – भोजन, मजदूरी और स्वास्थ्य, फिर बाकी। कई प्रवासी अपने बच्चों को अपने मूल निवास स्थान पर छोड़कर काम के लिए अकेले चले जाते हैं। महाराष्ट्र में एक वर्ष तक काम करने वाले रेवला ने कहा, ''अगर हमारे पास मतदान का अधिकार होता तो हमारी देखभाल अच्छे व्यवहार के साथ होता। यदि कोई राजनैतिक पार्टी नही आने पर भी कोई दूसरा हमारी मदद के लिए जरूर आता।'' ऐसा प्रतीत होता है कि वयस्क प्रवासियों द्वारा मताधिकार का महत्व समझा जाता ।

मानचित्र 3.24 : प्रवासियों एवं हितधारकों की नजर से प्रणालीगत या नीति परिवर्तन आवश्यक

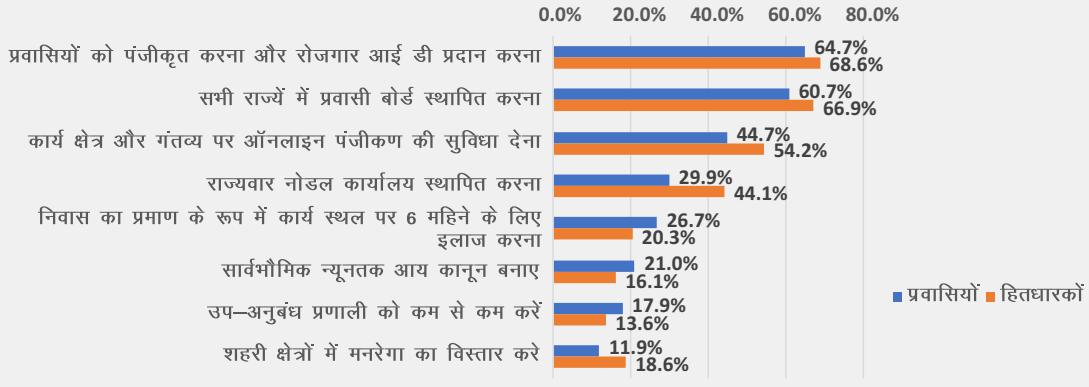

तालिका 3.9 : प्रणालीगत या नीतिगत परिवर्तनों पर राज्यवार प्राथमिकताएँ आवश्यक

क्र.स.	राज्यों	प्राथमिकता 1	प्राथमिकता 2	प्राथमिकता 3
1	असम	रोजगार पहचान पत्र प्रवासी	प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना	राज्यवार प्रवासी नोडल कार्यलय की स्थापना
2	अन्य उ.पू. राज्यों	रोजगार पहचान पत्र	ऑनलाइन पंजीकरण	प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना
3	बिहार	रोजगार पहचान पत्र	प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना	ऑनलाइन पंजीकरण
4	छतीसगढ़	प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना	रोजगार पहचान पत्र	ऑनलाइन पंजीकरण
5	झारखण्ड	रोजगार पहचान पत्र	प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना	राज्यवार प्रवासी नोडल कार्यलय की स्थापना
6	मध्य प्रदेश	प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना	रोजगार पहचान पत्र	ऑनलाइन पंजीकरण
7	उड़ीसा	रोजगार पहचान पत्र	प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना	ऑनलाइन पंजीकरण
8	उतर प्रदेश	रोजगार पहचान पत्र	प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना	ऑनलाइन पंजीकरण
9	उतराखण्ड	रोजगार पहचान पत्र	प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना	सार्वभौमिक न्यूनतम आय कानून बनाना
10	पश्चिम बंगाल	रोजगार पहचान पत्र	प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना	ऑनलाइन पंजीकरण

मानचित्र 3.24 और तालिका 3.9 प्रवासियों के पंजीकरण दर्शाता है और सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर रोजगार पहचान पत्र करना, साथ ही सभी राज्यों में प्रवासी कल्याण बॉर्ड की स्थापना करना, और ऑनलाइन पंजीकरण कराना, ताकि गंतव्य को आसानी से जा सके और प्रवासियों की अच्छी निगरानी की जा सके। भारत के लिए जिसने एक बहुत बड़ी तकनीकी प्रगति की है यह एक मुद्दा नही होना चाहिए। यह प्राथमिकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है।

प्राथमिकताओ का दूसरा सेट, चार्ट 3.24 के अनुसार, नोडल कार्यालय का स्थापना किए जा रहे हैं जो प्रवासियों के मुद्दों को सुनने और कानून का अनुपालन न करने पर और अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उनकी सहायता करने, 6 महिने निवास के बाद प्रवासियों को पात्रता पहचान पत्र आबंटन करने, उन्हे न्यूनतम आय कानून की पहचान करने तथा अधिनियमन प्रदान करने मे मदद कर सकता है।

पिछले दो नीतिगत बदलाव उप–अनुबंध प्रणाली को कम कर रहे हैं जो प्रवासियों को प्रमुख नियोक्ता के पद पर भर्ती करने में मदद करेगा, और नियोक्ता–कर्मचारी संबंध एवं शहरी क्षेत्रों में एम. जी. एन. आर. ई. जी. एस. का विस्तार करने में अहम भूमिका निभायेगा।

7. भविष्य का रोजगार परिदृष्य

कई लोग मानते हैं कि जब तक मूल राज्यों में बड़े पैमाने पर बदलाव नहीं होते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न नही करते, कई प्रवासी रोजगार की तलाश में अपने मूल निवास स्थान से बाहर जायेंगे। सरकारों के लिए यह उपयुक्त समय हो सकता है कि वे सिस्टम, नीतियों और तंत्रों को लागू करें ताकि सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित और सम्मानजनक प्रवास सुनिश्चित किया जा सके। यह वैश्विक सघन अह्वान रहा है जिसे 2030 तक सतत् विकास के लक्ष्य 10.7 के अनुरूप बनाया गया

है, जिसमें सदस्य राज्यों ने मानव गतिशीलता के लिए व्यापक दृष्टिकोण और वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबध है।

मानचित्र 3.25 : प्रवासियों के लिए भविष्य की योजना

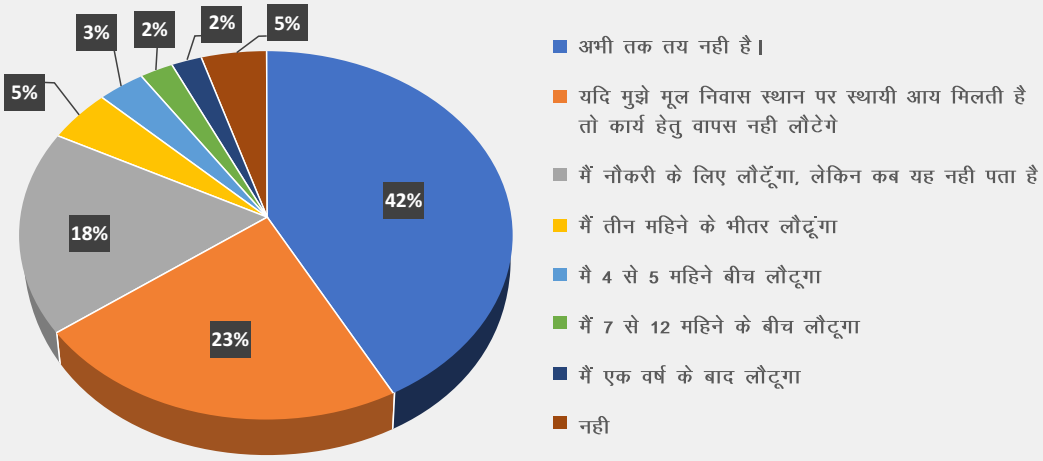

इस सवाल का विश्लेषन केवल उन लोगों के लिए किया गया था, जो मूल निवासी, क्वारंटाइन केन्द्रों या गंतव्य पर वापस लौटने की योजना बना रहे थे। यहॉ उत्तरदाताओं की संख्या 680 है। प्रवासियों की समझ में केवल 32 (4.7%) ने काम के लिए बाहर नही जाने का फैसला किया है। 206 (30.3%) ने कुछ महीनों या एक वर्ष बाद अपने मूल स्थान से नौकरी के लिए बाहर जाने का फैसला किया। लगभग 286 (42.1%) उत्तरदाताओं ने अभी तक निर्णय नही लिया है। 156 (22.9%) उत्तरदाताओं ने प्रतिक्षा करें और देखें नीति को अपनाया। यदि राज्य स्थायी आय सुनिश्चित करता है तो प्रवासी अपने मूल राज्य में ही रहेंगे।

मानचित्र 3.26 : हितधारकों द्वारा प्रवासियों के भविष्य की योजना

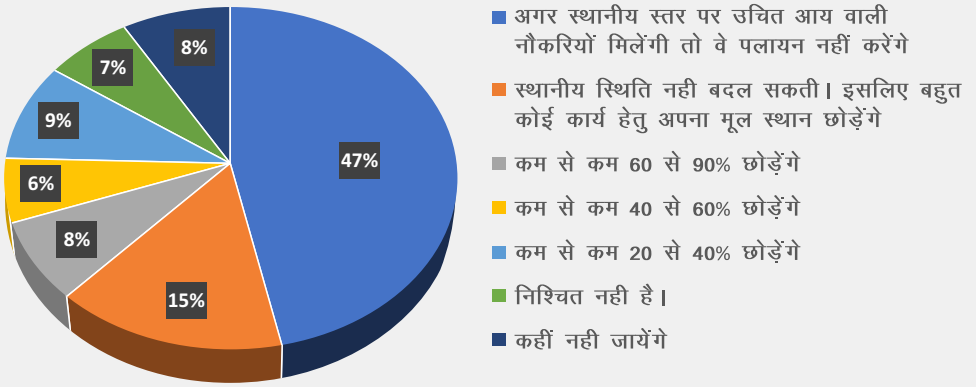

विभिन्न विकल्पों के साथ एक ही सवाल हितधारकों के लिए रखा गया था। 55 (46.6%) ने कहा कि यदि उचित आय के साथ स्थानीय नौकरियॉं हैं, तो कई प्रवासी अपने मूल निवास में रूक जायेंगे। लगभग 18 (15.3%) उत्तरदाता कम आशावादी थे और उसी विकल्प को चुना, स्थानीय स्थिति में बदलाव के कम उम्मीद है अतः कई लोग रोजगार के तलाश में मूल निवास स्थान को छोड़ेंगे। 10 (8.5%) उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपने मूल निवास स्थान को नही छोड़ेंगे।

केवल 8 (6.8%) उत्तरदातां निश्चित नही थे क्योंकि अभी तक अपना मन नही बना पाये थे। इसके विपरित, प्रवासियों (मानचित्र 3.25) के अनुसार लगभग 42.2 प्रतिशत उरदातां 'अभी तक तय नहीं की गई श्रेणी' में आते हैं। लगभग 27 (22.9%) उतरदाताओं ने बताया कि वे अपने मूल निवास से बाहर कार्य करने जायेंगे, यह केवल समय का सवाल है।

प्रवासियों और हितधारकों की समझ से, कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि कई प्रवासियों के जल्द या बाद में अपने मूल राज्यों से बाहर जाने की संभावना है, जब तक कि कोई ठोस परिवर्तन नही होते हैं जिसके अनुसार प्रवासियों को स्थानीय रूप से उचित और टिकाऊ आय के साथ रोजगार नही मिलता है।

नीतिगत बदलाव, मजदूरी में वृद्धि, कृषि में निवेश, कृषि उत्पादों से संबंधित कौशल, रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण, और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने के मामले में निर्णायक रूप से कार्य करना राज्य सरकारों के हाथ में है। पहले से ही स्थानीय उद्योगों के लिए श्रम शक्ति की आपूर्ति के लिए उम. जी. एन. आर. ई. जी. एस. को जोड़ने पर चर्चा चल रही है। इस एजेंडा को आगे नही ढकेला जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो केवल मजदूरों की सहमति से होना चाहिए। (सुश्री अरूणा रॉय के साथ साक्षात्कार)।

समापन अध्याय में, इस अध्ययन के निष्कर्षो पर चर्चा के बाद, इस अध्ययन के निष्कर्षों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा के आधार पर, उभरते आख्यानों को केन्द्र सरकारों, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों, और सी. एस.ओ. के लिए विशिष्ट सिफारिशों के साथ रोड मैप के रूप में

अध्याय 4

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष और आगे का रास्ता

कुल 700 उत्तरदाताओं, 11 सहयोगियों एवं 51 केसों के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष उभर कर आये हैं:–

- प्रवास कई दबाव एवं आकर्षण के मिले–जुले कारकों का परिणाम है। उनमें बेरोजगारी, शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताएं, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें एवं मूल प्रदेशों में कृषि की खराब स्थिति दबाव के कारण एवं गंतव्य प्रदेशों में प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित लोगों के लिए बेहतर मजदूरी आकर्षण के कारण थे।
- प्रवासियों की जानकारी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अन्तर प्रादेशिक प्रवासी साधारणतः पुरूष, युवा एवं कम शिक्षित हैं। उनमें से काफी प्रतिशत में ये बहिष्कृत समुदायों, दलित 20 (प्रतिशत), आदिवासी (30.7 प्रतिशत), धार्मिक अल्पसंख्यक (30.3 प्रतिशत) तथा सभी धार्मिक एवं सामाजिक श्रेणियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं।
- अन्य समुदायों की तुलना में अधिक आदिवासी महिलाएं अन्य प्रदेशों में प्रवास करती हैं।
- करीब 57 प्रतिशत उत्तरदाता कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में काम किये। ये प्रदेश अधिक पसंद किये गये लगते हैं।
- करीब 50 प्रतिशत श्रमिक या अप्रशिक्षित मजदूर के रूप में कार्य किये और बाकी प्रशिक्षित कामगारों के रूप में कार्य किये।
- दो तिहाई उत्तरदाता मासिक वेतन भोगी के रूप में काम पर लगाये गये थे। पुरूषों को 7,000 रूपये (सात हजार) से 13,000 रूपये (तेरह हजार) तक मासिक मिलता था तथा कुछ लोगों को छोड़ कर महिलाओं को 4,000 (चार हजार) से 6,000 रूपये (छः हजार) तक मासिक वेतन मिलता था।
- मूल प्रदेश प्रवासियों को लगातार अधिक आय अर्जन करने के अवसर नहीं देते हैं। मनरेगा बहुत बड़ी राहत देती थी परन्तु वर्ष में 100 दिन बहुत कम थे। यह प्रावधान महिलाओं कामगारों को बहुत मदद किया और कुछ मात्रा में महिला प्रवासियों में कमी आई।
- बहुत कम प्रवासी लगातार विभिन्न गंतव्य प्रदेशों में दो वर्ष से ज्यादा काम किये। जब कभी अपने मूल प्रदेशों में कृषि आधारित काम का अवसर या अन्य अवसर मिला प्रावासी अपने प्रदेशों को वापस जाना पसंद किये।
- कोविड 19 के लॉकडाउन के दौरान उत्तरदाताओं ने तिरस्कृत महसूस किया क्योंकि गंतव्य प्रदेशों के स्थानीय लोगों और राज्य सरकारों के द्वारा उनके साथ "बाहरी" एवं "कोरोना वाहक" जैसे व्यवहार किया जाता था।
- लॉकडाउन की घोषणा ने प्रवासियों और स्थानीय लोगों/मालिकों के विश्वास को चकनाचूर कर दिया। इनके कारण सदमा एवं मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे आये। कुछ घटनाओं से ये पता चला कि जब प्रवासियों के भोजन की तलाश में बाहर जाने पर "घर पर रहें" की चेतावनी पुलिस के लिए प्रताड़ना और अत्याचार का साधन बन गया। कई लोगों को काम से बाहर भेजा गया। जौभि कि कुछ मालिकों ने भोजन दिया लेकिन कई ठेकेदार नदारद हो गये। उन्हें श्रम विभाग का रास्ता मालूम नहीं था। उन्हें मार्ग दर्शन एवं सहायता नहीं दिया गया। अपने मूल प्रदेश की ओर निर्गमन मेजबान प्रदेश के मालिकों, ठेकेदारों एवं स्थानीय समुदाय द्वारा तिरस्कृत किये जाने की अभिव्यक्ति थी।

- हालांकि वे दिन रात मेहनत करते थे, उन्होंने बड़े–बड़े मकानों को निर्मित होते, मेट्रो रेल को चलते हुए, सड़कों का विस्तार होते देखा परन्तु उनके साथ न तो देश के निर्माण में सहयोगी की तरह और न ही श्रमिक की तरह बर्ताव किया गया। वे श्रम कानून की भी मदद नहीं ले सके जो उनके कल्याण की सुरक्षा कर सके। एक मात्र व्यक्ति जिनको ये जानते थे वे थे ठेकेदार। उनके लिए कोई दूसरे प्रशासन का अस्तित्व नहीं था।
- लॉकडाउन अप्रत्याशित था और बढ़ता जा रहा था इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि मेजबान सरकार सामने आयेगी। समय पर किसी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं था। सिर्फ तीन सप्ताह के बाद कुछ सरकार ने खाद्य सामग्रियॉं प्रदान की। ये भी बहुत कम और बहुत देर था। लेकिन मानवीय एजेंसियों एवं लोक हितैषियों के हस्तक्षेप एवं भरपेट भरने के लिए कठिन समय था।
- कुछ प्रदेशों ने राशि की राहत दी। उत्तरी–पूर्वी प्रदेशों की सरकार ने अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक राशि की राहत दी। इसलिए उन्होंने विश्वास किया कि सिर्फ मूल प्रदेश ही की सरकार ही मदद कर सकेगी।
- हमारी अन्तर्रात्मा बता रही थी, घर वापस जाओ। सरकार ने हमारी भावनात्मक जरूरत को नहीं समझा। जैसे ही वे अपनी यात्रा प्रारंभ करने की योजना बना रहे थे परिवहन रोक दिया गया। खाद्य सामग्रियों के वितरण में कई स्तरों में पूरी अस्त–व्यस्तता थी। जब श्रमिक स्पेशल रेल की व्यवस्था की गई प्रवासियों को यात्रा के लिए पंक्ति में जाने के लिए कमीशन के अलावा दोगुना राशि चुकाना पड़ा। ये कम चलता रहा जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया।
- अपने– अपने स्थनों को वापस जाने में रास्ते में कई दूरी सम्पर्क एवं कई अन्य समस्याएं थीं। केस व्याख्यान दिखाते हैं कि वे मुख्य रेल्वे स्टेशन से अपने मूल स्थान पैदल चले।
- अपने मूल स्थान के कई क्वारान्टाइन केन्द्र बुरे हाल में थे। वहॉं भोजन, पानी एवं दवाई की सुविधा नहीं थी। वे सिर्फ समय बरबाद कर रहे थे। उनके लिए सिर्फ एक ही सान्त्वना की बात थी कि वे अपने परिवारों के निकट थे। कई लोगों ने महसूस किया कि स्थानीय स्तर पर क्वारान्टाइन केन्द्र बनाये गये होते तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा बेहर कार्य किये होते।
- मोबाइल का प्रयोग वे सिर्फ अपने परिवारों से बात करने के लिए करते थे। रूपये भेजने और यात्रा पंजीयज के लिए ऑनलाइन मंच का प्रयोग किया जाता था जिनसे वे अपरिचित थे।
- गंतव्य प्रदेशों में आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक खाता बेकार थे। गंतव्य प्रदेशों में वे मानव जैसे कम एवं अनचाहे नागरिक जैसे अधिक महसूस किये। " लॉकडाउन ने हमारी नागरिकता को कस दिया।"
- कई लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं था क्योंकि वे हमेशा अपने मूल प्रदेश से बाहर थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे जॉब कार्ड दिये जायेंगे और कार्य के दिनों एवं मजदूरी में बढ़ोत्तरी होगी। बहुत से प्रवासी बिना राशन कार्ड एवं बिना बैंक खाता के थे।
- गंतव्य प्रदेशों में स्वास्थ्य बीमा एवं कल्याण मंडल उनके जीवन में बहुत अधिक अन्तर ला सकते थे जैसे कुछ अन्य प्रदेशों में किया गया। व्यापारिक संगनों ने उनके निवेदनों को नहीं सुना। संगठित क्षेत्रों और अनौपाचरिक क्षेत्रों के मजदूरों में खाई थी।
- कई प्रवासी यही विश्वास करते हुए वापस गये कि मूल प्रदेशों की सरकार उन्हें राशन, मनरेगा के तहत काम और रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा ताकि उन्हें खाने को रोटी मिलेगी। वे कृषि के पुरूद्धार, कृषि आधारित उत्पादन क्षमता, पशुपालन और स्वरोजगार व्यापार में भविष्य के लिए संभावित कार्य पर निवेश के लिए सुझाव दिये गये। वे उनके लिए भी चिंतित थे जो वापस जाना चाहते थे लेकिन वे नहीं लौट सके क्योंकि रेलों में सीटों की संख्या सीमित थी।

- सरकार के अच्छे सोच के और योजनाओं के बावजूद, उन्हें डर था कि शोषण, कमीशन और राजनैतिक भेद–भाव उनके विकास में रोक लगा देगा। उन्होंने व्यक्त किया कि आत्मनिर्भरता के लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को पुनर्स्थापित किया जाये। गॉधी के स्वराज की दृष्टिसीमा स्वशासन को सशक्त कर कार्य में परिणत होना चाहिए।
- जो लौट चुके थे उनकी चिंता अन्य प्रवासियों के लिए थी। एकल मजदूर विशेषकर महिला प्रवासी चिन्हित किये जाने चाहिए और उनके मूल प्रदेशों में वापसी के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
- बहुतों ने बताया यदि मूल प्रदेशों रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे तो वे बाहर जाने के लिए मजबूर हो जायेंगे।
- कई सहयोगी और वे जिनका साक्षात्कार लिया गया उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय प्रवास के मूल मुद्दों का पर्दाफाश हुआ। प्रति दिन प्रवासी खबर कागजों में प्रकाशित हुए। उनकी एक ही उम्मीद थी कि उनके साथ मजदूर सा व्यवहार किया जाये जो देश की अर्थ व्यवस्था में योगदान देते हैं, प्रजातांत्रिक देश में एक नागरिक जैसा माने जायें और जहॉ कहीं ये जायेंगे इनके साथ मर्यादित, दया और हमदर्दी के साथ व्यवहार किया जाये। उन्हें आशा थी कि ये एक दिन ये सब सच्चाई एवं वास्तविकता में परिणत होगी।

ये सभी मुद्दे कुछ विशेषज्ञों को पेश किये गये थे और उनके विचारों को समाहित करते हुए "आगे के कार्य" का भाग विकसित किया गया है। आगे के कार्य का भाग का उद्देश्य न तो कार्य करने की लम्बी सूची प्रदान करना है और न ही "दूसरे" के लिए अनुशंसा करना है। कई अनुशंसा सार्वजनिक स्तर पर पहले से ही हैं। इस भाग का प्राथमिक केन्द्र उभरते हुए बड़े व्याख्यानों की विवेचना करते हुए एक कार्य की राह के रूप में विभिन्न सहयोगियों के लिए कुछ निश्चित अनुशंसा के साथ समाप्त करते हुए सभी नागरिकों की बातों को प्रकाश में लाना है। यह प्रवासियों एवं विभिन्न सहयोगियों जिन्होंने अपने विचार एवं अन्तदृर्ष्टि हमारे साथ साझा किया, जिन्होंने इस अध्ययन में भाग लिया उन्हें आवाज देने के अध्ययन के अदेश्य को पूरा करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये कार्य के राह न तो पूर्ण रूप से सम्पूर्ण है और न ही इसे एकमात्र रणनीति समझा जाना चाहिए। ये गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही चूंकि प्रवासियों के अल्प–कालीन एवं मध्य–कालीन मुद्दों पर कार्य करने की अत्यावश्यकता है, मूल प्रदेशों एवं गंतव्य प्रदेशों में स्वयं सेवी संगठनों एवं नागर समाज संगठनों के लिए कुछ संभावित रणनीति एवं योजनाएं विकसित किये हैं।

उभरते बड़े व्याख्यान

a. कल्याणकारी राज्य का पुनर्निमाण

मूलभूत नया व्याख्यान ये है कि कल्याणकारी राज्यों को अपने मजदूरों एवं नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह अपनी जिम्मेदारी को किसी बाजारों की ताकत पर थोप नहीं सकती। 3 अपैल 2020 को ब्रिटेन की फाइनाशियल टाइम्स, जो कि दुनियॉ की राजनीति में सबसे धनी और बलशाली पात्रों द्वारा पढ़ी जाती है, उसने एक सम्पादकीय प्रकाशित किया कि एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जो सबों के लिए कार्य करेगी, एक मुलभूत पुनर्गठन की आवश्यकता है। "पिछले चार दशकों के पुनर्गठन एवं रह रहे नीति दिशाओं के बदलने में मूलभूत बदलाव लाकर पटल में रखने की आवश्यकता होगी। अर्थव्यवस्था में सरकारों को अधिक सक्रिय भूमिका स्वीकार करनी होगी। उन्हें लोक सेवा को एक जिम्मेदारी के बदले एक निवेश के रूप में देखना चाहिए और उन तरीकों की तलाश करना चाहिए जो श्रम बाजार को कम असुरक्षित बनाये। बुजुर्गों एवं विशेषाधिकार के प्रश्न में पुनर्वितरण दुबारा मामलों में होंगे। मूल आय एवं सम्पति कर जैसी नीतियॉ जो अब तक अनियमित समझे जाते थे, इन्हें मिश्रण में होना होगा।" यह संदेश इस बात को दिखाता है कि नव–उदारवाद ताश के पैकेट की तरह गिर गये हैं। भारत के संदर्भ में हमें लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित है विकास के संवैधानिक

प्रतिमान पर वापस जाना होगा तथा नीति निर्धारक बाजार के ताकतों को तानाशाही न बनाकर जिम्मेदारी लेने के लिए निर्देशित करे। सबको शामिल करने वाली विकेन्द्रित प्रकार का शासन जो सम्पूर्ण समाज अभिमुख पद्धति, जो सहभागिता तथा विस्तृत सहयोगियों के सामुहिक प्रभाव को सशक्त करता है ऐसे जमीनी स्तर के लोकतंत्र एवं आत्मनिर्भरता, आज के समय की मॉग है।

सम्पूर्ण समाज पद्धति मानव अर्थव्यवस्था एक मानव के पुनर्उत्पादन जो सामान्य तौर पर जीवन का संवर्धन करता है, उसकी मांग करता है। इस प्रकार की अर्थवयवस्था सम्पूर्ण व्यक्ति एवं समुदाय की जरूरतों की पूर्ति करेगी सिर्फ सीमित व्यक्तिबाद की नहीं। यह स्थानीय विशिष्टता में मानवीय विविधता के साथ–साथ मानवता में सबों की आवश्यकताओं को व्यक्त करेगा। (कीथ हार्ट, 2010)

b. कोविड 19 ने हमें महात्मा गॉधी को वापस दिया है

हमने महात्मा गॉधी को भूला नहीं है परन्तु स्वराज की उनकी शिक्षा को दरकिनार कर दिया है। कोविड 19 हमें गॉधी के सिद्धान्तों को याद दिला रहा है। प्रधान मंत्री ने उत्तर कोविड काल में आत्म निर्भर भारत के महत्व पर बल दिया है। गॉधी द्वारा प्रतिपादित स्वराज तभी अर्थपूर्ण होगा जब इसे इस ताबीज के नजरिये से देखा जाये– जब आप संदेह में हैं, या जब आप के साथ स्वयं अधिक हो जाता है तो निम्न परीक्षण को लागू करें– "आप सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति की याद करें जिसे आपने देखा है और अपने आप से पूछें यदि जो कदम आप लेने का विचार कर रहे हैं उसके किसी काम का होगा। क्या इस से उस व्यक्ति को कोई लाभ होगा? क्या ये उस व्यक्ति को अपने जीवन एवं अपने उद्देश्य पर नियंत्रण करने के लिए पुनर्स्थापित करेगा? दूसरे शब्दों में क्या ये लाखों भूखों एवं आध्यात्मिक ललक लोगों को स्वराज (आजादी) की ओर ले जायेगा? तब आप पायेंगे कि आप के संदेह एवं स्वयं पिघल जायेंगे।" यही अन्तिम लेखों में से एक लेख जिसे गॉधी ने अपने गहरे सामाजिक सोच को व्यक्त करते हुए 1948 में छोड़ा। आज समय की मांग है कि अधिकाधिक उत्पादन के बदले अधिकाधिक लोगों के कार्य क्षमताओं ओर उनके उत्पादन को बढ़ायें। यह कि प्रत्येक श्रमिक अपने कठिन मेहनत का आनंद ले और महसूस करे कि लोकतंत्र सभी स्तर पर और विशेष कर जमीनी स्तर पर काम करता है।

c. सभी पात्रों के बीच वार्ता की आवश्यकता

जमीनी स्तर से दिल्ली तक सभी स्तर पर शासन में साकारात्मक वार्ता की पहल की जानी चाहिए। व्यवस्थागत विकसित वार्ता के स्थान में विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक जन महसूस करे और सहभागी हो। हम एवं दूसरे की अवधारणा से अलग होकर व्यक्तियों को सामूहिक चेतना एवं जिम्मेदारी आगे ले जाये। कोविड 19 के दौरान उद्योगपतियों ने श्रमिको के पक्ष में अपनी आवाज उठाई, मीडिया ने लोगों की व्यथा को प्रकाशित करने का कार्य अपने ऊपर लिया और सूचना तकनीकि में कार्य करने वाले आर्थिक योगदान एवं मानवीय श्रम के राहत के कार्य में सामने आये। क्या ये अच्छे समय नहीं हैं? एक जगह जो कामगारों, सामाजिक कार्य करने वालों, शिक्षाविदों, नीति निर्धारकों, अधिकारियों, गैर पार्टी संगठनों जैसे Trade Union Initiative (NTUI) एवं। सस प्दकपं Union of Forest Working People (AIUFWP), सहित मजदूर संगठनों, नागर समाज संगठनों, उद्योगपतियों, उद्यमियों, बाजार ताकतों, तकनीति कम्पनियों के प्रतिनिधियों और मीडिया का साकारात्मक अजेंदा देखने के लिए विकास और आर्थिक व्यवस्था के उद्धार के लिए तथा जगह तैयार करना होगा।

प्राथमिक उद्देश्य इस स्थान का मूल श्रम कानूनों, निपटारे की पद्धतियों, कार्यान्वयन के ढांचे एवं रणनीतियों, निगरानी पद्धतियों और आर्थिक मदद की पुरानी ईकाईयों को सशक्त करना तथा उभरते हुए नई ईकाईयों को भी चिन्हित करके दायरे के बाहर भी देखना हो सकता है। इनमें से कुछ–प्रवासियों के लिए पॉचवीं संहिंता, रूपये का हस्तान्तरण, कुछ महीनों के लिए निःशुल्क राशन, मनरेगा के क्षेत्र को शहरों तक विस्तार करना, अधिकारों की सुविधा, तकनीति आधारित ऑकड़ों

का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं निगरानी, कल्याण मंडल एवं प्रमुख कार्यालयों, स्किल इंडिया को शहरी एवं ग्रामीण असुरक्षित युवा अभिमुख बनाना विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों का तथा लोक स्वास्थ्य के मुद्दों के दायरे को विस्तारिक करना हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। फिर भी वार्ता के जगह को विस्तृत आधारित रणनीति का विकास करना विशेष महत्व का है। इस प्रकार का वार्ता का स्थान सभी सहयोगियों को एक साथ लाने और अपनत्व के भाव को मजबूती प्रदान करेगा। यहाँ प्रमुख मांग यही कि क्षमताओं को उठाकर सभी पात्रों को नीतिगत कार्य में एक मंच में लाना है।

d. राजनैतिक शिक्षा

राजनैतिक शिक्षा में पुनर्शामिल करने एवं अधिक से अधिक लोगों को राजनैतिक शिक्षा देने के लिए उत्तर कोविड काल को छोड़ कर कोई और दूसरा समय नहीं हो सकता है। वास्तविक संम्प्रेशन बहुतों के समय व्यतीत करने के क्रम को बदल दिया है। जितनी मात्रा में ऑनलाइल वार्ता और वेबिनार जो चल रहे हैं वे सब कल्पना के परे अप्रत्याशित हैं। फिर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कोई रणनीति का विकास नहीं किया है। सामुदायिक आकाश वाणी गरीबों तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। राजनैतिक शिक्षा का परिणाम वास्तविकता का विश्लेषणात्मक जागरण में वृद्धि और सामुहिक चेतना पर आधारित अर्थपूर्ण विकल्पों की तलाश एवं सामुहिक कार्य होना चाहिए। परोपकार महत्वपूर्ण है परन्तु दया, हमदर्दी समाहित परोपकार हमें संरचना, शासन एवं नीति के मुद्दों सहित समस्याओं के मूल तक ले जायेगा। भारत की विषमताओं एवं विविधताओं के परिपेक्ष्य में राजनैतिक शिक्षा में मूलभूत आवश्यकताओं में से एक मूल जरूरत ये है कि इस प्रकार की राजनैतिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं एवं बोलियों में होना चाहिए। क्या तकनीति इस दिशा में हमारी मदद करेगा? इस प्रकार के लोक आधारित तकनीकि के मंच का विकास एवं क्रियान्वयन होना चाहिए।

e. कृषि आधारिक औद्योगीकरण एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का पुनर्उद्धार

भारत की अर्थ व्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है जो भारत की बड़ी जनसंख्या की आजीविका के लिए कार्य करता है। जब एक तरफ असंगठित एवं अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था देश की करीब आधी राष्ट्रीय सकल उत्पाद में योगदान देता है, कृषि कार्य शक्ति की 80 से 90 प्रतिशत का हकदार है। इसमें कृषि, गैर फार्म अर्थ व्यवस्था और सेवा का विस्तृत क्षेत्र शामिल है। बहुत बड़ी संख्या में कृषि मजदूरों के रहते हुए भी करीब 70 प्रतिशत हासिए के एवं छोटे किसान हैं। इनमें बड़ी बहुसंख्यक बहिष्कृत समुदायों से हैं। खराब वर्षा और कृषि उत्पादनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कमी ने कृषि उत्पादन एवं उन पर अधारित उत्पादन आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना दिया है। उसी प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों के साथ गैर इमारती वनोपजों के प्रबंधन, एवं वन निवासियों की आवश्यकताएं जो आजीविका के लिए इन पर आधारित हैं, इनकी रक्षा होनी चाहिए।

हमें विकास के वैकल्पिक आदर्श देखने की जरूरत है जो लाखों गरीबों को उचित रोजगार और लगातार आय दे सके। यदि अच्छा निवेश सुनिश्चित किया जा सके तो खादी वस्त्रोद्योग, कोसा वस्त्रोद्योग, जूट उद्योग एवं वृहद् स्तर पर पशु पालन जैसे कृषि आधारित उद्योग शामिल हो सकते हैं, ये बेहतर रोजगार के अवसर बन सकते हैं। इस से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के पुनर्उद्धार एवं बहिष्कृत समुदाय के लिए आजीविका की जरूरतों को पूर्ति करने का दोहरा प्रभाव हो सकता है। कृषि आधारित औद्योगीकरण हरित सोच में भी आधरित होना चाहिए। हमारे पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के सोच एक लम्बी यात्रा कर चुके हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हरित प्रोत्साहन, कम करें, दुबारा उपयोग करने योग्य बनायें, पर्यावरण रक्षा, परिस्थितिकी आंकेक्षण, बिजली आंकेक्षण, प्रदूषण रहित धरती, जड़ी–बुटी बगान, घटते हुए जलभृत का पुनर्उद्धार आज मात्र नारा या खर्चीले मुद्दे नहीं रह गये हैं। धरती माता एवं मानवता को बचाने के लिए इन पर त्वरिक कार्य, निवेश और नीतिगत कार्य की जरूरत है।

f. प्रवासियों को सभी मूल श्रम कानूनों में शामिल किये जाने की आवश्यकता

प्रवसियों की व्यथा ने श्रम कानूनों की प्रमुख मुद्दों को भी सामने लाया। जब अन्तर प्रादेशिक प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 आवश्यक कानूनी खाका एवं सुरक्षा प्रदान करता है, इसके साथ यह भी आवश्यक है कि प्रवासियों को सभी मूल श्रम कानूनों में शामिल किया जाना चाहिए। राज्य रोजगार बीमा, न्यूनतम मजदूरी, अतिरिक्त समय के शुल्क में कमी नहीं, कार्य के घंटे, आराम एवं मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो श्रमिकों एवं प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा का काम करेंगे। कुछ विभागों के सरकारी अधिकारियों में प्रवासियों के मुद्दों पर कार्य करने के लिए 5वीं संहिंता की जरूरत के बारे में एक सोच चली है। कोविड 19 महामारी के आगे कार्य के लिए यह एक प्रमुख संदर्भ एवं मुद्दा हो सकता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को श्रम विरोधी पद्धति पर रोक लगाना चाहिए। इस संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को विशेष भूमिका अदा करने की जरूरत है। एक संरक्षक के रूप में श्रमिकों की आवाज को पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी सहयोगियों, मजदूर संगठनों, प्रवासी मजदूरों, उद्योगपतियों, नागर समाज संगठनों एवं अन्य सहयोगियों के साथ श्रम कानूनों एवं उनसे संबंधित कार्यक्रमों के बारे में वार्ता की पहल करनी चाहिए ताकि प्रवासियों की आवाज का विस्तार हो और सभी मंच में इनके संबंध में विचार विमर्श हो।

g. सम्पोषित विकास लक्ष्य एवं वैश्विक प्रभाव के सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों को भविष्य के श्रम ढ़ांचे में अपनाना

2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के द्वारा अंगीकृत 2030 के सम्पोषित विकास का अजेंडा अभी और भविष्य के लिए लोगों एवं सृष्टि की शॉंति तथा समृद्धि के लिए एक साझा किया गया खाका पेश करता है। लक्ष्य 8 सम्पोषित, सम्मिलित एवं सम्पोषित आर्थिक विकास, सबों के लिए पूर्ण एवं उत्पादक एवं उचित रोजगार की आवश्यकता तथा लक्ष्य 10 राष्ट्रों के अन्दर एवं राष्ट्रों के बीच असमानता को कम करने के महत्व पर बल देता है। 'किसी को पीछे नहीं छोड़ना' सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की शपथ है ओर भारत सम्पोषित विकास लक्ष्य में हस्ताक्षरी देश है।

सम्पोषित विकास लक्ष्य के मद्दे नजर शरणार्थियों एवं प्रवासियों पर 2016 के न्यूयार्क की घोषणा पत्र को अंगीकृत करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों ने मानवीय गतिशीलता एवं बढ़े सहयोग में व्यापक पद्धति की आवश्यकता को स्वीकार किया है। सभी आयामों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए सामुहिक पद्धति पर प्रवास के लिए वैश्विक समझौता हमेशा से पहला समझौता है। इसे प्रादेशिक एवं अन्तर प्रादेशिक प्रवासियों के लिए मूल, मध्य एवं गंतव्य प्रदेशों में प्रवासियों के व्यकितगत एवं सामुदायिक संकटों एवं चुनौतियों का सामना करते समय अंगीकृत किये जाने की आवश्यकता है जैसे कि समझौता जिम्मेदारी में साझा, भेद–भाव विहीन, मानव अधिकारों, एवं सहयोगात्मक पद्धति को बेहतर करने की जरूरत पर बल दिया गया है ताकि सम्पूर्ण रूप से प्रवासियों की भलाई हो।

वैश्विक समझौते में स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रवास के बेहतर प्रबंधन के लिए 23 लक्ष्य शामिल हैं। यह समझौताः

- लोगों के कलए सम्पोषित जीविका का विकास करने एवं उसे बनाये रखने के लिए विपरीत चालक एवं संरचनात्मक कारकों को कम करने का लक्ष्य रखता है।
- प्रवासियों की मर्यादा बनाये रखते हुए उनके मानव अधिकारों को पूर्ण करने एवं रक्षा करते और उनकी देख–भाल एवं मदद करते हुए प्रवासियों के संकटों एवं असुरक्षा जिसे वे अलग–अलग स्तरों में सामना करते हैं, उन्हें कम करने का लक्ष्य रखता है।
- यह स्वीकार करते हुए कि समाज जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक, एवं पर्यावरण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, समझौता राज्यों एवं समुदायों के विधि सम्मत मुद्दों पर कार्य करना चाहता है।
- ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहता है जहॉं प्रवासी अपने मानवीय, आर्थिक एवं

सामाजिक क्षमताओं द्वारा समाज को समृद्ध बनाते हैं और इस प्रकार स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सम्पोषित विकास के लिए अपना योगदान देते हैं।(Adapted - https://refugeesmigrants.un.org/ migration-compact)

प्रवासियों के लिए रणनीति एवं कार्यक्रम का विकास करने के लिए ये 23 लक्ष्यों को आधार माना जा सकता है।

h. नागर समाज संगठनों की पहचान एवं सरकार तथा नागर समाज के बीच साकारात्मक पहल की आवश्यकता

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कान्त ने 30 मार्च 2020 को यह जोर देते हुए लिखा, "संकट की इस घड़ी में हमें समग्र भारत की पद्धति को लेने की आवश्यकता है। आपके जैसे अत्यधिक विशेषज्ञता के साथ सहयोगियों को एक साथ आने और हमारे प्रयास को इस संकट का सामना करने के लिए आगे लाने की आवश्यकता है। रोकथाम, सुरक्षा और इस दाग से लड़ने के लिए जन–जागरण लाने एवं समुदायों के साथ एक साथ मिलकर काम करने आपके अलावा अन्य कोई इस स्थान पर नहीं है। हमारे प्राथमिक स्तर पर कुछ नागर समाज संगठनों के सहयोगियों के साथ चर्चा से हमें बहुत लाभ हुआ है। आज के हमारे चर्चा के आधार पर हम विश्वास के साथ कहते हैं कि नागर समाज संगठनों की ताकतों को एक साथ लाने के लिए स्थानीय जिलों एवं प्रादेशिक प्रशासन के बीच कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मुख्य भूमिका निभाने की आवश्यकता है। नीति आयोग में हमारा दल नागर समाज संगठनों के साथ जमीनी स्तर पर असुरक्षित समुदायों के साथ निकट से सहयोग करने के लिए समर्पित है।" कई स्वयं सेवी संगठनों एवं नागर समाज संगठनों ने श्री कान्त के निवेदन का स्वागत किया और कार्यक्रमों के सामुहिक नियोजन, सहयोग, क्रियान्वयन एवं निगरानी को देखना चाहा। जौभी कि सरकारी ईकाई से कुछ हद तक सहयोग थे परन्तु जितनी उम्मीद की गई उतना नहीं हो पाया।

सम्पूर्ण भारत की पद्धति में स्वयं सेवी संगठनों एवं नागर समाज संगठन एक निश्चित एवं पूरक भूमिका अदा करने की क्षमता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 मार्च 2020 के अपने आदेश में राजनैतिक कार्य एवं स्वयं सेवी संगठनों/नागर समाज संगठनों द्वारा पार्टी राजनीति कार्य में अन्तर को दिखाया। हतोत्साह की आड़ में एक के बाद एक सरकारों ने नागर समाज संगठन विरोधी का स्थान लिया जो वास्ताव में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया एवं व्यवहार से भटका दिया। पहले कदम पर ही सरकार एवं स्वयं सेवी संगठनों के बीच के दाग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और एक बेहतर चर्चा एवं वार्ता को प्रोत्साहित करना चाहिए। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के राहत कार्यों को बिना दरकिनार किये लोकहितैषी एजेंसियों, नागर समाज संगठनों, लोक अभिमुख व्यक्तियों एवं संस्थानों का योगदान भी बहुत ज्यादा था। जैसे श्री कान्त ने स्पष्ट किया कि ये एजेन्सी समुदायों के निकट हैं ओर उनके पास कुछ क्षेत्रों में प्रवासियों के एजेन्सियों के निर्माण की क्षमता सरकार से कहीं ज्यादा है। आपसी सहयोग और पूरकता नये कार्य की राह के लिए आधार होना चाहिए।

निश्चित अनुसंशा

a. केन्द्रीय सरकार

- श्रम समवर्ती सूची में है। इसका अर्थ है कि केन्द्र सरकार को विषयों से संबंधित कार्यों में राज्य सरकारों को विश्वास में लेना होगा। किसी प्राकर का पृथक पद्धति विपरीत फल लायेगा। राज्यों द्वारा व्यक्त किये गये असली मामलों पर विचार किया जाना चाहिए और सहयोगात्मक संघवाद को सशक्त किया जाना चाहिए।
- श्री पार्था मुखोपाध्याय के नेतृत्व में गृह निर्माण एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा गठित प्रवास पर कार्यकारी दल के रिपोर्ट का क्रियान्वयन शीघ्र किया जाना चाहिए।
- ये सन्त्वना की बात है कि कोविड 19 की परिस्थिति के दौरान कुछ उद्योगपतियों ने श्रमिकों की भलाई के लिए आवाज उठाई और अर्थ व्यवस्था के पुनर्उद्धार के लिए गरीबों के लिए राशि के हस्तान्तरण पर जोर दिया। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को

प्रवासियों के प्रति संवेदना, दया और हमदर्दी की भावना से स्वयं को प्रेरित किये जाने के लिए खुला होना चाहिए।

- कल्याणकारी मदों की स्थापना जैसे कि ठब्ँए अधिनियम के तहत निर्माण कामगारों के लिए व्यापक न्यूनतम आय, मतदान के अधिकार के साथ अधिकार पत्रों की सुविधा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ग्रामीण रोजागार गारंटी को शहरी क्षेत्रों तक विस्तार, लोक स्वास्थ्य में निवेश एवं स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए गॉधी के स्वराज की अवधारणा को पुनः स्थापित करने जैसे कई साकारात्मक कार्य की ईकाई उभर कर आये हैं। ये ईकाई या मामले न केवल प्रवासियों के लिए कार्य करेंगे परन्तु समस्त कामगारों के लिए कार्य करेंगे। श्रम से संबंधित कानूनों के बनाने में सभी सहयोगियों और विशेष कर मजदूर संगठनों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। विकास को अन्त्योदय की अवधारणा से देखा जाना चाहिए उन जन मानस को पहचान दिया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं।
- केन्द्र सरकार को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को पर्याप्त आर्थिक मदों के साथ स्वायत रूप से कार्य करने की आजादी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वह श्रमिकों की सुरक्षा, उनके कल्याण एवं श्रम अवहेलना से बचाने के लिए में अग्रणी भूमिका निभाये।
- जब प्रधान मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की धोषणा की तो उन्होंने तकनीकि पर जोर दिया। तकनीकि को गॉव तक ले जाने की चुनौति है। ग्रामीण युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तकनीकि अवश्यवंभावी है। केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया बड़ी मात्रा में डैडम् को आर्थिक सहयोग दिया जाना ग्रामीण अभिमुख होना चाहिए।
- प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा और प्रावधानों के लिए 5वीं संहिंता की पहल की जानी चाहिए। शुरूआती दौर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर स्थापित हो और उचित कार्यान्वयन, निगरानी, समाधान एवं जवाबदेही की विधि के लिए होना चाहिए जो राज्य, जिला, पंचायत/ग्राम सभा शासन की व्यवस्था से सदभावना, दया और काम का संदेश देने के लिए डिजिटली जुड़ा रहे।
- केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए वर्तमान चुनौति कोरोना वाइरस के बढ़ने से रोकने के लिए सभी प्रयास करना और निर्दोषों के जीवन को बचाना और अर्थ व्यवस्था का पुनर्उद्धार करना है। इस संबंध में एक संवेदनशील संतुलन बनाये रखना चाहिए। कोई भी अवहेलना दोनों प्रयासों से भटका देगी।

b. मूल एवं गंतव्य प्रदेश सरकारों में समन्वय

- यह अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रवासी मूल एवं गंतव्य प्रदेशों की सरकारों में सुरक्षित एवं मर्यादित प्रवास के लिए निकटतम समन्वय की उम्मीद करते हैं। कोविड 19 ने इन दोनों ईकाईयों में दूरी या खाई को पर्दाफाश किया। गंतव्य प्रदेशों को ये महसूस होना चाहिए कि प्रवासी मजदूर अपने साथ आपने विशिष्ट उपहार एवं क्षमता लाएं जो न केवल स्थानीय अर्थ व्यवस्था के विकास में मदद करेगा परन्तु वहॉ की संस्कृति, मान्यताओं और मानवीय संवेदना को समृद्ध करेगा।
- जो प्रवासी अपने गॉव घरों को वापस हो गये हैं उनकी बहुत बड़ी उम्मीद है कि उनकी सरकार कृषि के पोषक उपजों के साथ पुनर्उद्धार और उनके लिए रोजगार उपयोगी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने तथा लगातार आय सुनिश्चित करने के लिए साकारात्मक पहल करेगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पर जिला स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर कृषि सहकारिता, पशुधन प्रबंधन, रोजगारयुक्त कौशल और उपभोग उत्पादन के रख रखाव एवं मरम्मत में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के साथ सहयोग करे। असुरक्षा उन्मूलन मदों का प्रयोग इस दिशा में किया जा सकता है। इतना ही नहीं ग्रामीण स्तर पर आजीविका विकास के लिए , public-private partnership (PPP) का आदर्श का अनुपालन किया जाना चाहिए। स्व उद्यमी के लिए बैंक लोन आसानी से और न्यूनतम ब्याज और बिना समानान्तर जमानत के प्राप्त होना

चाहिए। राज्य के लिए प्रवासियों और विशेष कर युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह एक पुनः एक चुनौति एवं अवसर है।

- त्वरिक कार्य गरीबी रेखा के नीचे के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क राशन और उचित राशि का हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बच्चों का शाला त्यागी होना, स्वास्थ्य की देखभाल, बुजुर्गों की देख भाल एवं साहूकारों का भय, प्रवासियों की अन्य चिंताएं हैं। यूनीसेफ ने हमें उत्तर कोविड 19 परिवेश में बच्चों को होने वाले खतरों को बताते हुए चेतावनी दी है। इन मुद्दों पर काम करने के लिए प्रभावकारी रणनीति का विकास करना चाहिए। बहुत से प्रवासी मानसिक सदमे से गुजरे हैं उनके लिए मनोवैज्ञानिक मदद की जरूरत है। मूल प्रदेशों को निम्न सामाजिक और आर्थिक संकेतक के होते हुए भी यह महसूस होना चाहिए कि प्रवासियों की आस्था अपने प्रदेश में बहुत ज्यादा है। यदि ये प्रदेश अन्य सहयोगियों के साथ समूहिक रूप से समन्वय करते हुए इन मुद्दों पर कार्य करें तो बहुत से मामलों का समाधान हो सकेगा।

- गंतव्य प्रदेश अपने लोगों को प्रवासियों के साथ बेहतर मानवीय रिश्ता बनाये रखने के लिए शिक्षित करे। प्रवासियों के योगदान को प्रकाशित करना चाहिए विशेष कर निर्माण एवं सेवा, उत्पादन एवं कपड़ों के उद्योग, मेट्रो, घरेलू काम एवं संरचनाओं संबंधी परियोजनाओं से संबंधित आर्थिक मामलों में प्रवसियों का योगदान। बहुत से प्रवासी शीघ्र ही वापस जा सकते हैं। क्या प्रवासी फिर से एक बार बाहरी व्यक्ति जैसे व्यवहार किये जायेंगे?
- अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी गंतव्य प्रदेशों में ठहरे हुए हैं। जैसे–जैसे वाइरस फैल रहा है बहुत से लोग अपने मूल गॉवों को वापस जाना चाहेंगे। मूल प्रदेश एवं गंतव्य प्रदेश उनके सुरक्षित वापसी के लिए आपस में तालमेल करना होगा।
- राजनैतिक जुड़ाव से हट कर तकनीकि विकास का फायदा लेते हुए प्रवासियों पर डेटा बैंक ऑनलाइल पंजीयन को दोनों मूल प्रदेश एवं गंतव्य प्रदेश में अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे रोजगार पहचान पत्र देने और प्रवासियों के कल्याण की निगरानी करने में मदद होगी।
- उड़ीसा के आदर्श का उदाहरण लेते हुए मुख्य कार्यालयों एवं कल्याणकारी मंडल की स्थापना सभी प्रदेशों में की जानी चाहिए जो प्रवासियों को पहचान एवं मर्यादा देने के लिए प्रारंभ बिन्दु बन सकेगी। मुख्य कार्यालयों की स्थापना से ठेकेदारों द्वारा शोषण सहित कई मुद्दों पर काम किया जा सकता है।
- मूल एवं गंतव्य दोनों प्रदेशों की सरकारों में अन्तर प्रादेशिक प्रवासी कामगार अधिनियम 1979, असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों (रोजगार के नियमितिकरण एवं सेवा की शर्तें), अधिनियम 1961 एवं अन्य श्रम कानून विशेषकर न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, राज्य रोजगार बीमा स्वास्थ्य बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

मानचित्र 4.1 पंजीयन प्रक्रिया

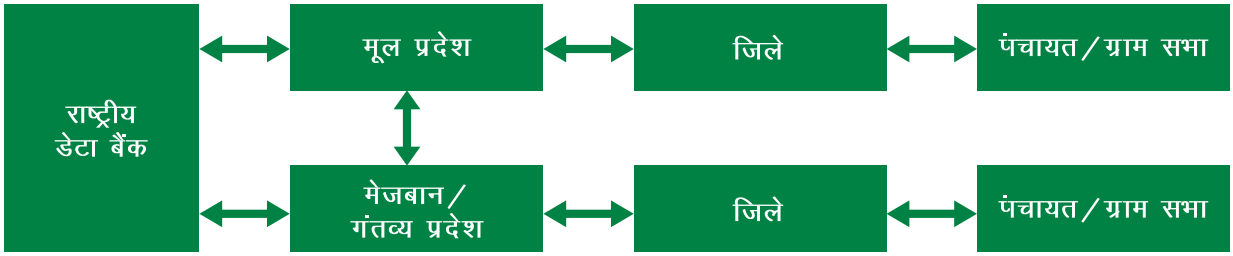

- इनको लागू करने के लिए उचित जवाबदेही पद्धति एवं विधि का विकास नीचे से ऊपर तक विकेन्द्रित तरीके से किया जाना चाहिए तथा प्रवासियों की मर्यादा की सुरक्षा एवं आजीविका का विस्तार हो।

c. मजदूर संघ

- मजदूर संघ के पास मजदूरों को संगठित करने एवं श्रमिक विरोधी नीति के राज के दबदबे को प्रभावकारी ढंग से सामना करने की बहुत अधिक क्षमता है। ऐतिहासिक तौर पर किसी प्रकार ये संगठित क्षेत्र के मजदूरों तक सीमित रह गये और असंगठित एवं अन्यों को छोड़ दिये हैं। लम्बे समय तक ये संघ प्रवासियों के मुद्दों को दरकिनार कर दिये हैं तथा श्रम की परिधि से बाहर कर दिये हैं। इसकी वजह से राज चलाने वाले वर्ग एवं उद्योगपतियों के लिए शक्तिशलियों के साथ गंदी सांठ–गांठ कर श्रमिक वर्ग का शोषण करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। वर्तमान श्रम नीतियों के विरूद्ध बढ़ता असंतोष, उभरते श्रम कानूनों एवं प्रदेश की उदासीनता को श्रमिकों के अधिकारों एवं प्रावधानों की सुरक्षा के लिए प्रभावकारी ढंग से काम किया जाना चाहिए।
- केन्द्रीय श्रमिक संघ के द्वारा प्रादेशिक श्रमिक संघों के साथ मिलकर विशेषकर उन संघों जो राजनैतिक दलों के साथ संबंधित नहीं हैं, उनके साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों के लिए कार्य करें।

d. नागर समाज संगठन

- नागर समाज संगठन सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत हैं। वे समुदायों के साथ निकट से जुड़े हुए हैं।
- कल्याणकारी पद्धति के परे इन्हें अधिक से अधिक लोगों को समुदायों के साथ जोड़ते हुए समुदाय प्रेरित संगठन के आदर्श के साथ स्थानीय नेतृत्व का मध्यस्थ एवं विकास के लिए अधिकार आधारित पद्धति के लिए राजनैतिक शिक्षा को नये तरीके के रूप में अपनाना चाहिए।
- इसके संबंध सीमित राजनैतिक पहचान के परे श्रमिकों के रूप में लोगों के साथ संबद्धता बनाने के लिए नागर समाज संगठन को सम्पूर्ण समाज की पद्धति को अपनाना चाहिए। यह अवश्यंभावी है कि सामुहिक रणनीति एवं कार्य योजना बनाने के लिए नागर समाज संगठनों को एक साथ लाने के लिए एक खुले वार्ता का मंच एवं नेटवर्क बनाया जाना चाहिए।
- स्थानीय समुदाय में शामिल किये जाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका को केन्द्रित कर गंतव्य प्रदेशों में प्रवासियों को स्व सहायता समूहों के आदर्श पर संगठित कर नागर समाज संगठन प्रवासियों को स्थानीय शासन की ईकाई में शामिल करने के लिए बहुत अधिक योगदान दे सकते हैं।
- बहुत से प्रवासी कभी न कभी गंतव्य प्रदेश में वापस होंगे। उनके स्वागत के लिए एक उचित वातावरण बनाया जाना चाहिए। एक पहचान एवं साकारात्मक सोच के साथ प्रवासियों के योगदान को स्वीकार कर उनके लिए बेहतर आवास की सुविधा सरकार, संस्थानों, ठेकेदारों एवं मालिकों के साथ मिल कर उपलब्ध किया

जाना चाहिए और उनके स्वागत के लिए शहरों एवं नगरों की आबादी को संवेदनशील बनाना होगा।

- कोविड 19 ने नागर समाज संगठनों को सिखाया कि लगातार अधिक से अधिक लोगों के लिए आवाज उठाने से कठोर दिल में भी परिवर्तन आ जायेगा। एक दरवाजा बंद होने से कई अन्य दरवाजा हैं जो खोले जा सकते हैं। कई उच्च न्यायालयों के आदेश इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

- कोविड 19 राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर सृजनात्मक रणनीति और अभियान चलाने के लिए एक विस्तृत अवसर है जैसे कि हाल ही में साथानकुलम एवं ब्लैक लिभर मैटर की प्रताड़ना के विरूद्ध चला था। जन मानस की आवाजों को विस्तृत करने के लिए छोटे दुकानदार, श्रमिक संघों, सम विचार वाले मीडिया मैत्री एवं उद्योगपतियों के साथ आपसी सहयोग को सामुहिक पद्धति के लिए तलाश किया जा सकता है।

- कोविड 19 ने कई नये एवं पुराने नागर समाजों को अपने मिशन को पुनः परिभाषित करने का मौका दिया विशेष कर प्रवासियों से संबंधित। यही समय है जब वे विकास की प्रक्रिया में सामुदायिक जन जागरण के लिए 'दाता' से 'सुसाध्य' बनने की ओर बढ़ें।

- नागर समाजों को जरूरत है कि वे प्रवासी मजदूरों को लेकर उनके मुद्दों, उनसे संबंधित कानूनों जो उनके फायदे के लिए हैं ऑकड़ा एकत्र कर निरन्तर शोध करें।

- जैसे कि श्री कान्त, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि "जो नागर समाज संगठन जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं वे एक दूसरे का सहयोग करें जिससे कि कार्यो का दुहरावा न हो और वे स्वयं एक नागर समाज संगठन को जिला प्रशासन स्तर पर सबका समन्वय एवं ताल मेल करने के लिए प्रमुख बनायें।" अभी भी शहर, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क एवं संस्थान विद्यमान हैं जो प्रवासी मजदूरों के लिए कार्य कर रहे हैं। एक साथ कार्य करना समय की आवश्यकता है।

- प्रवासियों के निरन्तर, सुरक्षित एवं नियोजित तरीके से प्रवास के लिए नागर समाज संगठनों को मूल प्रदेश एवं गंतव्य प्रदेश दोनों स्तर में प्रवासी मजदूरों के साथ सतत वार्ता करने की जरूरत है जैसे कि विश्व समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है।

- भारत के संविधान की मान्यताओं का प्रचार–प्रसार कर समाहित नये भारत के निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती देने तथा महात्मा गॉधी के स्वराज के सिद्धान्त को पुनः जीवित करने के लिए यही उपयुक्त समय है।

- हालांकि कि ग्रामीण जमीनी लोकतंत्र का पंचायती राज संस्थाओं/ग्राम सभाओं के रूप में काफी विकास हुआ है लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है जो प्रवासी मजदूरों की रक्षा कर सके।

- वे संस्थान जिन्होंने इस अध्ययन के लिए मिल कर कार्य किया वे अन्य सहयोगियों, शुभचिन्तकों, सामुहिक सामाजिक जिम्मेदारी, एवं सरकार एंजेंसी के साथ मिलकर उत्तर कोविड चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी अवसरों की तलाश करेंगे।

सभी सहयोगियों के लिए अल्पकाल एवं मध्यम काल रणनीति एवं कार्य के लिए योजना

यह अध्ययन उस समय किया गया है जब प्रवासी तब तक कोविड 19 के डर से भरे, सदमें में और भविष्य तथा तात्कालिक जरूरत के बारे में चिन्तित हैं। ऊपर वर्णित अनुसंशा एडवोकेसी के कार्य, नीति परिवर्तन एवं सामुदायिक विकास कार्य के लिए सामान्य दीर्घ कालीन दष्टिकोण एवं दिशा प्रदान करते हैं। फिर भी प्रवासी व्यवस्थागत या

नीतिगत या दीर्घ कालीन परिवर्तन के लिए इन्तजार नहीं कर सकते।

विश्लेषण के बाद अल्पकाल एवं मध्यम काल आवश्कताओं को देखते हुए निम्नलिखित रणनीतियॉं एवं कार्य योजना प्रस्तावित किये जा रहे हैं। परिस्थिति एवं जिस प्रकार के लोगों की सेवा की जाती है उसी के अनुसार अल्पकाल एवं मध्यम काल के समय को लचीला बना कर उसी के अनुसार ढालना होगा। सर्वेक्षण की संख्या बहुत बड़ी नहीं है और ईकाईयॉं प्रदेश के जिलों में बहुत ही विस्तृत है जो अनुसंशा की गई हैं उन्हें स्थानीय स्तर पर लोगों के साथ चर्चा किये जाकर प्राथमिकता निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि समुदाय उन्हें अपना सकें और भविष्य के लिए कार्य का निर्धारण कर सकें। सर्वेक्षण उन स्थानों पर किया गया है जहॉं कारितास इंडिया और आई जी एस एस एस पहले से कार्यरत हैं। यदि ये नये जिलों में प्रारंभ करते हैं तो उचित रणनीति के विकास के लिए उन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड, मेघालय मणीपुर में उत्तरदाताओं की संख्या बहुत छोटी है इसलिए जो अनुसंशा की गई है वे अन्य प्रदेशों के लिए हैं।

प्रमुख ईकाईयों का मानचित्रण

प्रवासी उत्तरदाताओं के लिए लघु कालीन एवं मध्यम कालीन कार्य योजना के लिए निम्न लिखित ईकाईयों का मानचित्रण किया गया है:—

1. शिक्षा का स्तर
2. अन्तर प्रादेशिक प्रवासियों की सामाजिक प्रास्थिति की श्रेणी
3. मेजबान प्रदेशों में प्रवासियों के कार्य के प्रकार
4. जॉब कार्ड एवं अन्य अधिकार पत्र की प्राप्ति
5. पशु एवं छोटे जमीन का स्वामित्व
6. कौशल के प्रकार जो उन्हे तुरन्त काम दिला पायेगा

तालिका 4.1 अध्ययन के प्रमुख ईकाईयों का मानचित्रण

प्रदेश	शिक्षा	प्रवासियों की गतिशीलता	मेजबान प्रदेश में	जॉब कार्ड	छोटे जमीन	पशु	कौशल	
	मध्यमिक विद्यालय के नीचे	सामाजिक श्रेणी	मजदूर अकुशल	हॉं	स्वामित्व	स्वामित्व	अधिकांश	छोटे समूह
असम	68.9%	OBC/ST/GEN	33.8%	25.7%	40.5%	48.6%	मरम्मत/रख रखाव	दर्जी/बिजली का काम
बिहार	64.1%	SC/OBC	66.3%	17.4%	29.3%	67.4%	मरम्मत/ रख रखाव	
छत्तीसगढ़	48.3%	ST/OBC	70.0%	73.3%	61.7%	55.0%	ईट बनाना	मरम्मत/ रख रखाव
झारखण्ड	58.5%	ST	67.1%	40.2%	85.4%	80.5%	मरम्मत/ रख रखाव	बिजली का काम/ बढ़ई
मध्य प्रदेश	98.5%	ST	89.2%	44.6%	60.0%	32.3%	मरम्मत/ रख रखाव	दर्जी/ बिजली का काम
उड़ीसा	54.8%	ST/SC/OBC	33.3%	32.3%	50.5%	53.8%	मरम्मत/ रख रखाव	दर्जी/बिजली का काम
उत्तर प्रदेश	52.5%	OBC/SC/GEN	40.6%	17.8%	42.6%	44.6%	मरम्मत/ रख रखाव	बिजली का काम/सौर उर्जा
पश्चिम बंगाल	63.4%	ST/SC/GEN	47.6%	43.9%	48.8%	41.5%	मरम्मत/रख रखाव	नलकारी

- ओ.बी.सी./एस.टी./सामान्य से तात्पर्य हैं–सबसे अधिक संख्या में ओ.बी.सी. उनके बाद एस.टी. और सामान्य उत्तरदाता। एस.सी./ओ.बी.सी. से तात्पर्य है–अधिक संख्या में दलित और उनके बाद ओ.बी.सी. उत्तरदाता। एस.टी. से ताप्तर्य है अधिक संख्या में आदिवासी।
- सदमा और परामर्श को सभी श्रेणियों के परे समझा जाना है।
- बड़ी संख्या में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं मध्य प्रदेश के उत्तरदाता अकौशल/अप्रशिक्षित मजूदर हैं।
- छत्तीसगढ़ को छोड. कर अन्य प्रदेशों में जॉब कार्ड की सुलभ प्राप्ति न्यूनतम है। राशन कार्ड, बैंक खाता, आधार और मतदान पत्र जैसे अधिकार पत्र अत्यावश्यक है।
- दलितों की तुलना में आदिवासियों के पास जमीन है।
- पशु पालन बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उड़ीसा में सबसे अधिक है।
- मुर्गी पालन सभी प्रदेशों एवं सभी श्रेणियों के लिए प्रस्तावित है।
- ईंट बनाने का काम साधारणः कम पढ़े लिखे एवं शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए है।
- मरम्मत एवं रख रखाव में साईकिल, मोबाईल, मोटर, दो पहिया एवं सौर उर्जा शामिल हैं जो माध्यमिक शिक्षा के ऊपर हैं।
- कम्पूटर संबंधित, उपभोक्ताओं से संबंधित उतपादन एवं बाजार जैसे उद्यमियों का काम उनके लिए है जो 10वीं उत्तीर्ण हैं जो गॉव स्तर में उद्यमिता का कार्य कर सकते हैं।
- शिक्षा, प्राथमिकि एवं लोक स्वास्थ्य, आजविका एवं अधिकारों की सुलभता गंभीर मामले हैं।

तलिका 4.2 मूल प्रदेशों में लघु कालीन रणनीति एवं कार्य योजना
रणनीतिरू संगठन, प्रशिक्षण उपलब्ध संसाधनों की बढ़ोत्तरी–मानव, जमीन,पशु, कौशल एवं सरकारी योजनाओं की प्राप्ति

प्रदेश	लघु कालीन–एक साल तक				
	संगठन एव प्रशिक्षण	लिंग एवं उम्र समूह	क्षेत्र	योजना	आर्थिक उपलब्धता
असम	स्थान, लिंग, जाति एवं धर्म के परे छोटे समाहित समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदेश एवं जिलों में जागृति	30 वर्ष से ऊपर महिलओं एवं पुरूषों के लिए–कृषि एवं पशु पालन केन्द्रित 15 से 30 वर्ष की महिला एवं पुरूष दोनों के लिए कौशल केन्द्रित	कृषि +पशु पालन +कौशल	पौष्टिक उपज,सब्जी उत्पादन,गाय, कौशल प्रशिक्षण, जॉब कार्ड की उपलब्धता	लघु ऋण, चुक्ता योग्य चक्रीय मद, सरकारी योजनाओं की उपलब्धता
बिहार			पशु संबंधी	गाय, भैंस, जॉब कार्ड	
छत्तीसगढ़			कृषि +पशु पालन संबंधी	पौष्टिक उपज, सब्जी उत्पादन, किचन बगान,गाय, भैंसा	
झारखण्ड			कृषि +पशु पालन संबंधी	पौष्टिक उपज, सब्जी उप्तादन, किचन बगान,भेड़/बकरी, जॉब कार्ड	
मध्य प्रदेश			कृषि +पशु पालन संबंधी	पौष्टिक उपज, सब्जी उप्तादन, किचन बगान,भेड़/बकरी, जॉब कार्ड	
उड़ीसा			कृषि +पशु पालन +कौशल संबंधी	पौष्टिक उपज, सब्जी उप्तादन, किचन बगान, भेड़/बकरी, कौशल प्रशिक्षण, जॉब कार्ड	
उत्तर प्रदेश			कृषि +पशु पालन +कौशल संबंधी	पौष्टिक उपज, सब्जी उप्तादन, गाय/भैसा, कौशल प्रशिक्षण जाबॅ कार्ड	
पश्चिम बंगाल			कृषि +पशु पालन +कौशल संबंधी	पौष्टिक उपज, सब्जी उप्तादन, गाय/भैसा, कौशल प्रशिक्षण जॉब कार्ड	

तालिका 4.3 मूल प्रदेशों में मध्यम कालीन रणनीति एवं कार्य योजना
रणनीतिरू अधिकार आधारित विकास और सरकार/बैंक संसाधनों
से जुड़ाव के साथ समुहिक समझौता के लिए चेतना

प्रदेश	मध्यम कालीन 1 से 3 साल		
	संगठन एवं प्रशिक्षण	योजना	आर्थिक उपलब्धता
असम	कृषि क्लब का गठन, दुग्ध सहकारिता, पशु क्लब और तकनीति प्रक्षिण संसाधन क्लब 10 वीं से ऊपर शिक्षितों के लिए नकनीति, बाजार एवं उद्यमी कौशलता सरकार/निजी ईकाईयों से सहभागिता	दूध एवं संबंधित उत्पादन, कौशल प्रशिक्षण विकास	नाबार्ड से जुड़ाव, बैंक ऋण की उपलब्धता, सरकारी योजनाओ की उपलब्धता, सी.एस. आर.
बिहार		दूध एवं संबंधित उत्पादन, कौशल प्रशिक्षण विकास	
छत्तीसगढ़		ईंट बनाना, दूध एवं संबंधित उत्पादन, कौशल प्रशिक्षण विकास	
झारखण्ड		मांस संसाधन, कौशल प्रशिक्षण	
मध्य प्रदेश		मांस संसाधन, कौशल प्रशिक्षण	
उड़ीसा		मांस संसाधन, कौशल प्रशिक्षण	
उत्तर प्रदेश		दूध एवं संबंधित उत्पादन, कौशल प्रशिक्षण विकास	
उत्तर प्रदेश		दूध एवं संबंधित उत्पादन, कौशल प्रशिक्षण विकास	

टीपः उचित प्रकार के कौशल प्रशिक्षण के लिए तालिका क्र.3.6 एवं 4.1 देखें

तलिका 4.4: मेजबान एवं गंतव्य प्रदेशों में कार्य योजना
रणनीतिः अधिकार एवं अधिकार पत्रों के लिए जन–जागृति लाना,असुरक्षित लोगों की देख–भाल,
शामिल किये जाने उन्हें सामुहिक समझौते के लिए संगठित करना

लधु–कालीन	दीर्घ–कालीन
स्थानीय/व्यवसाय आधारित समाहित समूहों का संगठन	सामुहिक समझौते के लिए जन जागरण
अधिकार एवं अधिकार पत्रों पर जन जागरण का विकास	आवेदन लेखन पर प्रशिक्षण, सरकारी कार्यालयों तक पहुँच
स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों पर जागृति, कौशल आधारित प्रशिक्षण	स्थानीय स्वशासन की मजबूती एवं स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ सम्पर्क
स्दमा एवं परामर्श, स्वास्थ्य चेक अप एव्र प्रवासी बच्चों की शिक्षा	नीति और कार्यक्रम विकास के लिए सरकार एवं निजी संस्थानों के साथ सहभागिता
राशन, प्राथमिक एवं लोक स्वास्थ्य, बच्चों की देख–भाल एवं शिक्षा के लिए उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए तलाश	अन्तर प्रादेशिक प्रवासी मजदूर, अधिनियम एवं अन्य श्रमिक सुरक्षा मुद्दों के क्रियान्वयन की निगरानी
ठेकेदारों, मालिको, संस्थानों एवं अन्यों से वार्ता की पहल करना	मलिकों के साथ वार्ता की क्षमता का विकास
प्रवासियों के मुद्दों और उनके योगदानों पर प्रदेश की सरकार, जिलों, निजी एवं सरकारी स्तरों पर चेतना जगाना	विभिन्न केन्द्रीय एवं प्रादेशिक प्रावधानों को शामिल किया जाना विशेष कर स्वास्थ्य (केरल में आवाज, आयुष्मान भारत।)

लघु कालीन एवं मध्यम कालीन कार्य योजना को गति देने के लिए प्रदेशों को अनुसंशा

- प्रवासियों के आंकड़ों के अद्यतन के लिए जिसमें प्रवासी परिवार के सदस्यों की जानकारी और जो मूल प्रदेश में रह गये हों उसके लिए एक निश्चित प्रवासी मजदूर पोर्टल दोनों मूल प्रदेश एवं ग्रतव्य प्रदेश में हो। उस प्रकार के पोर्टल में प्रवासी एवं उनके परिवारों से संबंधित जानकारी, वृतीय प्रवास, निगरानी आदि ट्रैकिंग, प्रवासियों के प्रावधान, हितग्राहियों की सूची, महिलाओं एवं बच्चों के कार्यक्रम एवं अन्य जानकारियॉ ऑल–इन–वन डैशबोर्ड हो। उड़ीसा सरकार ने इस दिशा में पहल की है। (https://statedashboard.odisha.gov.in/)

- गंतव्य प्रदेश उद्योगपतियों एवं मालिकों को अपने कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ पंजीयन करने के लिए निर्देशित करें। इस प्रकार की सूची चुनौतियों के मामलों को वर्तमान एवं भविष्य की आपात कालीन स्थितियों को कम करने में मददगार होंगे।

- राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन स्वयं सेवी संगठनों एवं सामुदायिक आधारित संगठनों के लिए वलनेरबिलिटी रिडक्शन फंड से ऋण में रियायत में देने के बारे में सोच सकती है।

- निरत चलने वाले महामारी के मद्देनजर जो युवा कृषि बाजारों, संसाधन, मान्यता सहभागिता में मध्यस्थ, निःशुल्क डिजिटल आर्थिक ऋण में न्यूनतम ऋण बिना दोहरे जमानती के उद्यमी प्रशिक्षण एवं बीमा के लिए सम्मिलन में डिजिटली प्रशिक्षित हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।

- प्रवासी जो मनरेगा के तहत जॉब कार्ड दिये गये थे जैसे ही अन्य प्रदेश में प्रवास किये निष्क्रिय किये गये। जिन्हें जॉब कार्ड प्राप्त नहीं था, उनकी पहचान की जाये, उन्हें नया जॉब कार्ड दिया जाये और रोजगार उपलब्ध कराया जाये।

- आयुष्मान भारत के तहत या प्रादेशिक स्वास्थ्य बीमा जैसे कि केरल में किया गया है उसके तहत प्रवासियों के स्वास्थ्य की गंतव्य प्रदेशों में विशेष ध्यान दी जानी चाहिए।

कोविड 19 एक पोर्टल के रूप में नये भारत के नये अवसरों को खोलता है जो हमारे राजनैतिक नेताओं ने जैसे कोविड 19 के पहले सोचा है उनसे बिलकुल भिन्न होगा। परिस्थिति की विशालता और विषमताओं, वर्तमान के उनके निर्गमन में प्रवासियों की व्यथाओं को देखते हुए हम सारी समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं ढूढ़ पायेंगे। लेकिन उनके लिए जो दया, हमदर्दी, सद्भावना, और सामजिक न्याय पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक रूचिकर समय इन्तजार कर रहा है।

SELECT BIBLIOGRAPHY

Das, K.C., and Saha, S. (2013). Inter-state migration and regional disparities in India. Retrieved from www.iussp.org

Deshingkar, P. (2006). Internal Migration, Poverty and Development in Asia: Including the Excluded through Partnerships and Improved Governance. Paper presented at the 'Promoting Growth, Ending Poverty: Asia 2015' conference hosted by the Institute of Development Studies and Overseas Development Institute, London.

Deshingkar, P. and Akter, S. (2009). Migration and Human Development in India. Human Development Research Paper 2009/13. New York: UNDP.

Deshingkar, P. and Farrington, J. (eds.) (2009). Circular Migration and Multi-locational Livelihood Strategies in Rural India. Oxford: Oxford University Press.

Everett S. Lee, (1966). A Theory of Migration, Demography, Vol. 3, No. 1, pp. 47-57.

Gosal G.S. and Krishnan, G (1975). "Patterns of Internal Migration in India", in Leszek A. Kosinski and Mansell (eds.), People on the Move 193- 206, Methuen and Co. Ltd., London.

Irudaya Rajan S, Bernard D' Sami. (2020). The Way Forward on Migrant Issues, Frontline, June 5, 2020.

Keith Hart, et al, (ed.) (2010). The Human Economy, A Citizen's Guide, Polity Press. http://sds.ukzn.ac.za/files/Keith%20Hart_%20Building%20the%20Human%20Economy.pdf

Khan, Amir Ullah. (2020). Livemint, 6 January 2020.

Kohli, P.S. (2010). Inter-state immigration into Punjab during 1971-91. Institute of Sikh Studies, Retrieved from http://sikhinstitute.org/demo_07/ps%20kohli%20(paper%202).pdf

Lall, V., Selod, H, and Shalizi, Z., (2006). "Migration in Developing Countries: A Survey of Theoretical Predictions and Empirical Findings", World Bank Policy Research Working Paper no.3915, Working Paper Series, May 1, 2006.

Lorene Y.L. Yap, (1976). The attraction of cities: A review of the migration literature, Journal of Development Economics, Volume 4, Issue 3, pp. 239-264.

Mander, Harsh. (2020). A moment for civilizational introspection, The Hindu, 30 May 2020.

NCEUS (2007). Report on Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganised Sector, National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, Govt. of India, New Delhi.

Prothero, R.M., (1968). "Migration in Tropical Africa", in J.C. Coldwell and C.Okonjo (eds.), The population in Tropical Africa, Longman, London, pp. 250-62.

Raleigh, C. (2010). Political Marginalization, Climate Change, and Conflict in African Sahel States. International Studies Review 12, pp. 69–86.

Renaud et al. (2011). A Decision Framework for Environmentally Induced Migration. International Migration. Volume 49 issue 1, pp. 5-29.

Saxena R.P., and Bedi L.S. (1966). Rural Migration – A Case Study of four villages in Western UP, Agr. situation in India 20(11): pp. 881-886.

Sen, Amartya (2001). 'Many faces of Gender Inequality' Frontline Vol 18 No 22 Oct/Nov.

Siddiqui, T. (2011). Recruitment Cost in Bangladesh: Challenges of Governing Migration in the Countries of Origin. Background paper prepared for 'Strengthening Dialogue to Make Migration Work for Development in

the ESCAP and ESCWA regions', 28-30 June, Beirut, Lebanon.

Srivastava, R. (2005). 'India: internal migration and its links with poverty and development', in Migration, Development and Poverty Reduction in Asia. Geneva: International Organization for Migration (IOM).

Srivastava, R. (2009). 'Internal Migration in India: An overview of its features, trends, and policy challenges', in National Workshop on Internal Migration and Human Development in India, Workshop Compendium, Volume 2, Pages 1-47.

Srivastava, R. (2011). 'Internal Migration in India', Background Paper prepared for the Migrating Out of Poverty Research Programme Consortium, University of Sussex.

Srivastava, R., Rajan, I., Adhikari, J., Billah, M.M., Ruhunage, L.K., Lakshman, R. and Sangasumana, P. (2011). Impact of Internal and International Migration: South Asia. Unpublished paper prepared for the Research Programme Consortium (RPC) on Migrating out of Poverty. Brighton: University of Sussex.

Suhrke, A. (1993). Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict. CMI.

Zelinsky, W. (1971). The hypothesis of the mobility transition. Geographical Review 61, pp. 219-49.

Recent Reports

21 Days and counting: COVID-19 Lockdown, Migrant workers, and the inadequacy of welfare measures in India: Stranded Workers Action Network (SWAN), April 2020.

32 Days and counting: COVID-19 Lockdown, Migrant workers, and the inadequacy of welfare measures in India: Stranded Workers Action Network (SWAN), May 2020.

Impact of COVID-19 National Lockdown on Women Street Vendors in Delhi: Institute of Social Studies Trust, May 2020.

Voices of invisible citizens, Jan Sahas, April 2020.

स्वागत करो
रक्षा करो
प्रोत्साहित करो
समाहित करो
–संत पापा फ्रांसिस

हमदर्दी

दया

Dr. Joseph Xavier SJ

Masters in Human Rights and Ph.D in Human Rights and Criminology. From 2001 – 2007, he worked as Secretary for Jesuits in Social Action in South Asia. From 2012 – 2015, he served as the Executive Director of ISI Delhi and Editor of 'Social Action', a quarterly journal and as Deputy International Director of Jesuit Refugee Service, Rome from 2017 – 19. Authored 5 books, published over 20 articles in reputed journals and conducted half a dozen evaluation studies. He was the chief editor of 'Policy of Dalit Empowerment in the Catholic Church in India: An Ethical Imperative to Build Inclusive Communities'. Currently, he is the Director of Indian Social Institute, Bengaluru. In partnership with Caritas India, his next work, 'Development Anchored in Community Intelligence – A Handbook for Community Mobilisation' is in press.

With Gratitude

Ms. Aruna Roy, MKSS, Ms. Medha Patkar, NAPM, Prof. Babu Mathew, NLSIU, Prof. Virginius Xaxa, Mr. Nikhil Dey, MKSS and NCPRI, Prof. Bernard D' Sami, LISSTAR, Mr. Shabarinath Nair, ILO, Mr. Indu Prakash, Action Aid India, Mr. Subash Batnakar, NIRMANA, Mr. Thanneshwar, Lok Adhikar Manch, Mr. Jammu Anand, National Hawker Federation, Ms. Leeza, CI

With Gratitude to the Participants on the Draft Report Discussion

Mr. Vijayanand, Former Chief Secretary, Govt. of Kerala, Mr. Amitabh Behar, OXFAM India, Dr. Manjit Bal, Samerth Charitable Trust, Chhattisgarh, Fr. David Solomon SJ, Bagaicha, Ranchi, Prof. Amitabh Kundu, Former Dean of Social Sciences, JNU, Mr. Satyanarayan Pattanayak, Secretary of Seba Jagat, Bhawanipatna, Odisha, Dr. Dhanuraj, Chairman, Centre for Public Policy Research, Ernakulam, Kerala, Mr. Digambar Narzery, NEDAN Foundation, Assam, Mr. Senthil Kumar, CRS, Fr. Jaison, PGSS, Partner from UP, Fr. Jaison Vadassery, CCBI Secretary for Migrants.

Special Appreciation

Staff of CI, IGSSS and ISI-B for their assistance in collecting data, case narratives, photo and interviews.

Study Team

Mr. Julius Pascal Osta and Mr. Adrian D Cruz (IGSSS), Ms. Eshani Choudhury and Dr. Sadanand Bag (Caritas India), Fr. Martin Puthussery SJ, Ms. Rosey Mukherjee, Mr. Shujayathulla and Fr. Joseph Nazareth SJ (ISI-B).

Caritas India
CBCI Centre, 1 Ashok Place,
New Delhi - 110001
Web: www.caritasindia.org

Indian Social Institute
24 Benson Road, Benson Town
Bengaluru - 560046
Web: www.isibangalore.com

Indo Global Social Service Society
28, Institutional Area,
Lodi Road, New Delhi - 10003
Web: www.igsss.org

ISBN: 978-81-952078-6-2